असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **सोमवार,तिथि 28 मार्च,2016**

द्वितीय सत्र **08 चैत्र,1938 (शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया**)**

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि बिहार में किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा । महोदय, शुक्रवार को रात्रि में जोबा मांझी जी का भूख से मौत होती है । दूसरी घटना महोदय, वैशाली जिले के समझपुरा ग्राम में वहां भी चैती देवी की भूख से मौत होती है.....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, समय पर मामले को उठाईयेगा, अभी तो प्रश्नोत्तर काल है, माननीय सदस्यों का सवाल है ।

श्री प्रेम कुमार : एक मिनट सुन लीजिए महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, सरकार से हम जवाब चाहेंगे कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद भी राज्य में गरीब लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं, गरीबों को अनाज ठीक से बंट नहीं रहा है और गरीबों को अनाज नहीं बंटने के कारण लगातार मौत की घटनायें हो रही है । हम सरकार से चाहेंगे महोदय कि इसपर सरकार का जवाब हो ।

महोदय, जोबा मांझी की मौत, चैती देवी की मौत, राज्य में जो घटनायें घट रही है, इससे सरकार के दावे का पोल खुल रहा है । सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं । पुनः हम सरकार से चाहेंगे कि राज्य के अन्दर जो भूख से मौतें हो रही है, हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इसपर सरकार का जवाब हो ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल, अब तो लगता है कि आप सारी बातें कह ही चुके ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-1953(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2015-16 में निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर

प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीतियां हैं।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ पंचायत के कालाबलुआ गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और वहां की आबादी काफी घनी है । कब्रिस्तान में कुल 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है, जिसमें लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है । इसलिए प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कालाबलुआ गांव की कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया जाय ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है महोदय, देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1954(श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के विधि-व्यवस्था का संचालन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा अनुमंडल सृजन वर्ष 1992 से किया जा रहा है । चूँकि बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय मुख्यालय से सोनवर्षा राज थाना की दूरी मात्र 17 कि0मी0 है, जबकि सदर अनुमंडल की दूरी 30-40 कि0मी0 है । अतः अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था की समुचित संधारण हेतु सोनवर्षा प्रखंड का दायित्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के जिम्मे है ।

2. उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि किसके आदेश से और कौन-सी चिट्ठी निकली और किनके आदेश से यह परिवर्तन किया गया, हम यह सिर्फ जानना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा कि 1992 में सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल बना, उसी के साथ इसका नोटिफिकेशन है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, ऐसा कोई पुलिस मैनुअल में सुधार नहीं हुआ है कि कोई अनुमंडल बने और बगल के थाना को उसमें ऐड कर दिया जाय । महोदय, जहां तक मंत्री महोदय बता रहे हैं कि नजदीकी का सवाल तो नजदीकी के सवाल पर सोनवर्षा का और थाना है, सोनवर्षा प्रखंड में तीन थाना है, सहरसा से एक थाना नजदीक है, एक थाना उदाकिशुनगंज से नजदीक है और एक थाना बख्तियारपुर से नजदीक है तो आखिर कौन से नियम के तहत, माननीय मंत्री जी जवाब दें कि कौन से नियम के तहत और किनके आदेश से हम दो चीज जानना चाहते हैं, किनके आदेश से और कौन से नियम के तहत सोनवर्षा को बख्तियारपुर से जोड़ा गया ?

अध्यक्ष : नीरज जी, माननीय मंत्री जी ने आपको कहा कि यह अनुमंडल पुलिस का जो महकमा होता है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद का जो सृजन हुआ, वह अनुमंडल का सृजन हुआ, उसी समय से इस थाना को उसके साथ जोड़ा गया । यह माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, वह तो गृह विभाग की अधिसूचना से होता है, किसी पदाधिकारी के आदेश से होता नहीं है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, कोई अधिसूचना नहीं निकला है, अनुमंडल सहरसा है सोनवर्षा का तो महोदय, जनता डी0एस0पी0 से मिलने बख्तियारपुर जायेंगे और एस0डी0ओ0 से मिलने सहरसा जायेंगे, जबकि दोनों का दूरी दो तरफ है और काफी दूरी हो जाती है । जनता को इससे काफी कठिनाई होती है, कोई नियम, कानून तो होगा महोदय कि किस कानून के तहत, किस नियम के तहत सोनवर्षा को बख्तियारपुर से जोड़ा गया, कौन-सी चिट्ठी, किसका आदेश, सरकार का कोई आदेश है तो बताया जाय?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : नीरज जी, ऐसा नहीं है । अब भागलपुर में एक अलग एस0पी0 हैं और कलक्टर एक ही हैं । मैंने कहा कि 1992 में जब वह अनुमंडल बना, उसी समय सोनवर्षा थाना नोटिफायड हो गया बख्तियारपुर के साथ और सरकार को यह अधिकार है । इसलिए इसमें कोई दूसरी बातें नहीं हो सकती है, यह स्थिति है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, सरकार को अधिकार है तो सरकार के पास कोई चिट्ठी होगी न, सरकार का कोई आदेश होगा ? हम भी महोदय विभाग से पता किये हैं, कोई जवाब, कोई आदेश नहीं निकला है । बिना आदेश का लोकल इशु पर, लोकल लोग लग कर इसको करवाये हैं । कोई ओदश होगा, कोई चिट्ठी तो होगा, कोई नियम,कानून है या नहीं ? कोई कानून होगा न, किस कानून के तहत यह किया गया, कौन सा कानून के तहत यह किया गया ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : कह रहा हूँ कि 1992 के नोटिफिकेशन में ही वह बख्तियारपुर के साथ नोटिफायड है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि किसके आदेश से, कब हुआ, क्या पुलिस मैनुअल में कोई सुधार हुआ है ? महोदय, मंत्री महोदय बता दें कि क्या पुलिस मैनुअल में कोई सुधार हुआ है कि किसी थाना को किसी दूसरी अनुमंडल से जोड़ा जाय, क्या ऐसा कोई सुधार हुआ है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बात को एप्रेसियेट करिए कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिस समय सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल पुलिस का कार्यालय बना तो उसके सृजन के समय ही इसको जोड़ दिया गया । जो 1992 का नोटिफिकेशन है, उसी में उसके साथ यह थाना संबद्ध हो गया । वह तो पुलिस विभाग की अधिसूचना

से होती है, उसके लिए तो कोई अलग पदाधिकारी का आदेश होता नहीं है, वह आपको माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

आप कहिए कि उससे कठिनाई है तो सरकार उसपर विचार करे, अगर आप यह कहना चाहते हैं तो उस हिसाब से पूरक पूछिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, हम वही चाह रहे हैं न कि सोनवर्षा.....

अध्यक्ष : आप बार-बार पूछ रहे हैं कि किसके आदेश से, आदेश तो विभाग का होता है न।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, यही कर दें माननीय मंत्री महोदय कि सोनवर्षा के लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि सोनवर्षा का अनुमंडल सहरसा है और सहरसा से ही इसको जोड़ा जाय ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, यह बहुत ही वायटल मुद्दा है । 25 साल पहले इसको शामिल किया गया था और अभी इससे आम जनता को काफी कठिनाई होती है एक लम्बी दूरी तय करने में । इसलिए राज्य सरकार से माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है, हमारा भी आग्रह सरकार से होगा कि माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उसको अमल कराये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1955(श्री बशिष्ठ सिंह)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि कुछिला थाना एवं कुछिला पंचायत कैमूर जिलान्तर्गत पड़ता है । गारा पंचायत कुछिला थाना के 6 कि0मी0 की दूरी पर इन दोनों पंचायत की दूरी कोचस थाना से 10 कि0मी0 की दूरी पर है । रोहतास जिला विभाजन के समय में दोनों पंचायतों को आमजनों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैमूर जिलान्तर्गत रखा गया है । वर्तमान में ग्राम पंचायत कुछिला एवं गारा को रोहतास जिला के कोचस थाना से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : देखिए नीरज जी, यह तो जिला भी बदला हुआ है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे चूँकि यह दोनों पंचायत रोहतास जिला में पड़ता है गारा और कुछिला और पुलिस का जितना भी काम है, वह कैमूर जिला से होता है । इससे वहां के लोगों को जाने-आने में परेशानी होती है । जब हमलोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो जनता का यह डिमांड था कि जब सब काम रोहतास जिला से होता है तो पुलिस का काम भी हमारा रोहतास जिला से होना चाहिए।

अध्यक्ष : बशिष्ठ जी, आपकी तो सभी बातों को मंत्री जी ने स्वीकारा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1956(श्री सुदामा प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार के अवगीला कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्व में पूर्ण हो चुकी है ।

श्री सुदामा प्रसाद : यह पूर्ण नहीं हुई है महोदय, अधूरा घेराबंदी का काम पड़ा हुआ है और सी0ओ0 जानबुझ कर झंझट पैदा कर रहे हैं । जो रास्ता तय हुआ था दोनों पक्षों के बीच में देने का, उसको कह रहे हैं अब आप डेढ़ गुना रास्ता छोड़िए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, देखवा लेंगे । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जो बात कह रहे हैं, वे लिखकर एक दे दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न:2/अंजनी/दि0 28.03.16

तारांकित प्रश्न सं0-1957(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्म्क है ।

ईख अधिनियम,1981 की धारा-36 के माध्यम से राज्य सरकार को चीनी मिलों में उपयोग में लाये जाने वाले ईख के किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति प्राप्त है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति को उपर वर्णित कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रिकोवरी प्रतिशत् कम होने के कारण बीस रूपया कम राशि का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा किया जाता है तो माननीय मंत्री जी से यह सदन जानना चाहता है कि रिकोवरी ट्रायल का सिस्टम क्या है, क्या चीनी मिलों में रिकोवरी का ट्रायल वैज्ञानिक या विभाग के समक्ष अबतक हुआ है, यदि हुआ है तो कितनी बार उसकी रिकोवरी औसत प्रतिशत् क्या रहा है या सरकार केवल फैक्ट्री रिपोर्ट को ही रिकोवरी प्रतिशत् का आधार मानती है ? दूसरी बात यह है कि रिकोवरी ट्रायल दो तरीके से होते हैं, हेंड मिल ट्रायल और दूसरी मिल ट्रायल, किस फैक्ट्री में कितनी-कितनी बार विभाग के समक्ष रिकोवरी ट्रायल हुए, सरकार तिथि बताये ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, राज्य में 11 चीनी मिलें कार्यरत हैं, उनके द्वारा उल्लेखित प्रभेदों को अमान्य प्रभेद नहीं घोषित किया गया है बल्कि उन्हें निम्न प्रभेद में रखते हुए आघात प्रभेद के लिए निर्धारित दर से बीस रूपया क्विंटल कम दर पर खरीद की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में गन्ने के किसी भी प्रभेद को अमान्य, अनुपयुक्त घोषित नहीं किया गया है । अनुपयुक्त घोषित करने से चीनी मिलों को ऐसे प्रभेदों को नहीं क्रय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जायेगा । गन्ने के वैसे प्रभेद जो रोगग्रस्त हो गये हैं तथा जिस कारण उनके उत्पादकता एवं चीनी की उर्वरता में ह्रास हुआ है तथा जिनकी खेती मिल और किसान, दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है, उसको तत्काल निम्न श्रेणी में रखते हुए मिलों द्वारा क्रय किया जा रहा है तथा किसानों के बीच यह प्रचारित कराया जा रहा है कि वे निम्न कोटि के गन्ने की खेती के स्थान पर सामान्य, उन्नत श्रेणी के गन्ने की खेती करें । बिहार सुगर मिल एसोशियेसन द्वारा निम्न प्रभेद के गन्ने का दर सामान्य प्रभेद से 10 रूपया क्विंटल एवं आघात प्रभेद से बीस रूपया क्विंटल निर्धारित कर उसके अनुरूप ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है । विभागीय पत्रांक इतना-इतना के माध्यम से गन्ना के प्रभेदों का निदेशक, एस0आर0आई0,पूसा, आई0सी0ए0आर0,मोतीपुर के वैज्ञानिकों एवं विभागीय पदाधिकारियों एवं चीनी मिलों के परामर्श के उपरान्त वर्गीकरण को निर्गत किया गया है। पत्र के माध्यम से गन्ने के सभी प्रभेदों को आगाध सामान्य निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या गन्ना के प्रभेदों के रिकोवरी प्रतिशत् के आधार पर तय होता है और यदि नहीं होता है तो विभिन्न गन्नों के प्रभेदों के मूल्य में अन्तर क्यों है और मिलों के द्वारा खंड-2 में उल्लेखित प्रभेदों को मिलों के द्वारा बीस रूपया कम मूल्य का भुगतान करने का क्या औचित्य है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम : महोदय, यह वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके, जब रोग लगने लगता है, बीमारी लग जाती है तो चीनी का रिकोवरी कम हो जाता है । यह सारे रिसर्च करके वैज्ञानिकों द्वारा निम्न कोटि घोषित किया गया, चूंकि चीनी का रिकोवरी बीमारी लगने के वजह से चीनी का रिकोवरी कम हो गया, उस रेशियो में राज्य सरकार किसान हित में उसको अघोषित नहीं करके निम्न कोटि का करके और किसानों को लाभकारी यानि लाभ देने की दिशा में सामान्य प्रभेद एवं उच्च प्रभेदों का गन्ना लगाने के लिए राज्य सरकार भी राय दी, जिसपर सरकार

दूबारा 135 रूपया अनुदान भी दी जाती है तो चीनी का जब रिकोवरी कम होगा तो स्वभाविक है कि उसका रेट कम लगेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्या का मूल प्रश्न है, उसमें गन्ना के विभिन्न प्रभेदों के संबंध में उन्होंने कहा है कि क्या किसी मिल ने उनको अमान्य घोषित किया है तो आपने कहा कि नहीं किया है ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम : महोदय, हमने तो कहा है कि अमान्य घोषित नहीं किया गया है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि रिकवरी प्रतिशत के आधार पर गन्ना का मूल्य मिलों के द्वारा भुगतान की जाती है । माननीय मंत्री जी आपकी अध्यक्षता में दिनांक 28.5.2015 को विभागीय बैठक हुई थी, जिसके आधार पर प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग ने अपने ज्ञापांक 1633 दिनांक 16 जुलाई, 2015 को आदेश निर्गत किया कि खंड–2 के गन्ना प्रभेदों के किसानों को किसी प्रकार का अनुदान, प्रोत्साहन तथा पांच रूपया बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा तो सरकार यह बताये कि गन्ना किसानों के लिए मूल्य निर्धारण में दो मापदंड क्यों अपनाया गया है ?

श्री प्रमोद कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : पहले माननीय सदस्या का जबाब होने दीजिए ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम : महोदय, मैंने बताया कि सरकार अघोषित की ही नहीं है, जब सरकार रिजेक्ट कर देगी तब तो फैक्ट्री गन्ना लेने में यह कह देगी कि मैं नहीं लूंगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मेरे पास लेटर है, मैं इसे भेजवा दूंगी ।

अध्यक्ष : बोलिए चौधरी जी ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हर भेराइटी का सुगर रिकवरी परसेंटेज भेरी करता है, इसलिए शायद माननीय सदस्या इस चीज को कनफयूज कर रहे हैं । कोई भी भेराइटी का रिकोमेडेशन उसके आधार पर होता है कि कितना सुगर परसेंटेज रिकवरी हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई भेराइटी नहीं है, जिससे सुगर परसेंटेज कम होता हो और उसको रिकोमेंडेड करे ।

अध्यक्ष : मूल रूप से माननीय मंत्री जी का कहना है कि गन्ने के किसी प्रभेद को अमान्य घोषित नहीं किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय....

अध्यक्ष : अब इसमें क्या है ? आपको क्या पता है कि सरकार ने इसको अमान्य घोषित किया है या मिल ने ?

श्री प्रमोद कुमार : माननीय मंत्री महोदय, रिकवरी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो मूल्य निर्धारण या जो प्रभेद की चर्चा किये हैं तो कौन वैज्ञानिक और कौन थर्मामीटर वैज्ञानिक का है, जिसके आधार पर यह रिकवरी निर्धारित करते हैं ?

अध्यक्ष : प्रमोद जी, थर्मामीटर से तापमान देखा जाता है....

श्री प्रमोद कुमार : मैं वही बता रहा हूँ कि कोई पारामीटर नहीं है । हुजूर बता रहे हैं, इनका कोई लैब या लेबोरेट्री नहीं है, चीनी मिल अपने मुख से घोषणा करके बीच में काट ले रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1958(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड के अंतर्गत फुलहारा ग्राम पंचायत से फुलहारा गांव तक कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर वर्ष 2013 में निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक-292 पर सूचीवद्ध है और उस प्राथमिकता सूची के क्रमांक 12 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना क्रियान्वयन में है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढ़ंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री शकील अहमद खां: महोदय....

अध्यक्ष : अभी माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य प्रश्न पूछने के लिए बाकी हैं शकील जी । मनोहर जी, आपको पूछना है पूरक ?

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : जी नहीं ।

अध्यक्ष : बोलिए शकील जी ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, कब्रिस्तान की घेराबंदी के सिलसिले में बातचीत यहां हो रही है। जब साढ़े आठ हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी आइडेंटीफाइड किये गये तो किस सेंसिटिविटी के आधार पर किये गये नम्बर वन, किसी-न-किसी सेंसिटिविटी के आधार पर ही किये गये होंगे । नम्बर-2- घेराबंदी के संबंध में टका सा जबाब आता है कि यह होना चाहिए । यह तो आप कह दें कि कब्रिस्तान की घेराबंदी सिर्फ टू कम्युनिटी के कनफ्लीक्ट के आधार पर नहीं है, कब्रिस्तान के उपर अगर जानवर भी चला जाता है तो वह भी हमारे लिए सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी का आधार सिर्फ कनफ्लीक्ट ऑफ टू कम्युनिटीज नहीं होनी चाहिए । इसलिए यह बात साफ है मंत्री महोदय कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी है, उसमें सिर्फ यह

जवाब दे देना कि एस0पी0 और डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट चाहेंगे, बल्कि आप एक टारगेट पूरा कर दें, हर जिला में इतना टारजेट हर साल का तो आने-वाले तीन-चार साल में जो साढ़े चार हजार बचे हुए हैं, वह पूरे हो जायेंगे । लेकिन सेंसिटिविटी का आधार सिर्फ कम्नयुटिज कनफलिट्स नहीं हो सकता है, इन्सान का मामला दूसरी तरह का है ।

टर्न-3/शंभु/28.03.16

तारांकित प्रश्न सं0-1959/डा0 रंजु गीता

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बोखड़ा के कुरहर वार्ड सं0-10 कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक-30 पर सूचीबद्ध है। प्राक्कलन तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में ही इसकी घेराबन्दी कराने की कार्रवाई की जायेगी। बड़ी सौरिया वार्ड नं0-2 कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है। कब्रिस्तान में मिट्टी भराई की नीति नहीं है।

डा0 रंजु गीता : महोदय, वह सौरिया वाला जो कब्रिस्तान है वह अति संवेदनशील है। उस गांव में अक्सर झंडा होता है, उसके चलते काफी परेशानी होती है तो उसे 2016-17 वित्तीय वर्ष में कराने की मैं माननीय मंत्री महोदय से समयावधि चाहती हूँ।

तारांकित प्रश्न सं0-1960/श्री नितिन नवीन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सप्ताह में एक दिन पुलिस पब्लिक संवाद आयोजित करने संबंधी आदेश सभी थानाध्यक्ष को दिया गया था, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा बंद करने हेतु कोई आदेश नहीं दिया गया है। सभी थानाध्यक्षों को प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आम जनता की समस्या को सुनकर उनके निराकरण करने का निदेश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार आयोजन करने का निदेश भी दिया गया है। इसका अनुपालन किया जा रहा है।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि पटना में जितने थाने हैं उसमें कितनी बार यह जो तिथि निर्धारित की गयी है और समय निर्धारित किया गया है, दिन निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि

पिछले तीन महीने में कितनी बैठकें हुई है और इसका जिला प्रशासन के पास क्या रेकार्ड है ? चूंकि कोई बैठक केवल एक बार मीडिया के माध्यम से हुई और उसके बाद कोई बैठक किसी भी थाने में नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह से बंद हो गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उनके पास क्या रिपोर्ट है कि पिछले तीन महीने में कितनी बैठक, किस थाने में हुई है, कितने थाने में ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसको देखवा लेंगे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। अभी इसका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह केवल पटना जिले के लिए है या बिहार के सभी थानों में समय, दिन और स्थान आप तय करना चाहते हैं जिसके माध्यम से पुलिस पब्लिक संवाद हो सके, क्या सरकार इसका विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह निर्णय पूरे बिहार के लिए है और माननीय सदस्य जब कह रहे हैं कि बैठक नहीं हो रही है तो इसको देखवा लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–1961/श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी किये जाने की नीति है।

श्री शकील अहमद खां : एक मिनट.....व्यवधान।

अध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके हैं शकील साहब, आप प्रश्नकर्त्ता को पूछने दीजिए।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, यह प्रश्न लगातार सदन में आ रहा है और कई बार इस प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि कब्रिस्तान की घेराबन्दी की प्रायोरिटी है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो प्रायोरिटी तय किये जा रहे हैं जिलों में जिसमें जिला पदाधिकारी और एस0पी0 को रखा गया है तो क्या उसमें क्षेत्रीय माननीय विधायक को रखा जा सकता है, प्रायोरिटी की बात हो सकती है क्या?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : शकील साहब बार–बार उठकर प्रश्न करते हैं, शायद शकील साहब स्थायी रूप से हाऊस में रहते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन साफ किया कि नीतियां क्या है कब्रिस्तान के मामले में और आप ही के कहने पर,

लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने पर भी बार-बार वे पूछ रहे हैं तो अब इसका उत्तर तो मुश्किल काम है.....व्यवधान.....बैठिए, बैठिए। आप तेज आदमी हैं, लेकिन तेजी में कभी-कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है। अरे बैठिए, आपको हम जान रहे हैं, 10-15 साल से जान रहे हैं कोई आज का परिचय है? महोदय, वह एस0पी0, डी0एम0 सेंसेटिवनेस-नीतिगत निर्णय मैं बार-बार पढ़ रहा हूँ कि जहां प्राथमिकता सूची बनेगी हर जगह, यह बात अपने जगह पर है, लेकिन पहले जहां खतरा है, झगड़े होने की गुंजाइश है, कब्जा करने की बात है और बाकी अपना जो नीति है उसके अनुसार सूची बनायी गयी है उसके हिसाब से- अगर माननीय सदस्य को उसपर कोई ऐतराज हो तो कलक्टर के यहां लिखकर दें कि बहुत सेंसेटिवनेस है तो वह जॉच करायेंगे और जॉच कराकर उसकी प्राथमिकता तय हो जायेगी।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जिस कब्रिस्तान की मैंने चर्चा की है 1972 में उसमें मुकदमे दर्ज हुए, आपस में मारपीट हुआ, फिर 2003 में वहां झंझट हुआ, फिर 2009 में वहां झंझट हुआ। हमलोगों ने जिला पदाधिकारी और एस0पी0 को लिखकर भी दिया कि आप इसको प्रायोरिटी सूची में शामिल कीजिए, इसकी घेराबन्दी कराइये और जिन कब्रिस्तानों की घेराबन्दी क्षेत्र में हो रही है, जो भी कब्रिस्तान घेराबन्दी के अंदर आ रहे हैं, जो हमलोगों के सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि जो हमलोग लिखकर दे रहे हैं और जो दूसरा कब्रिस्तान है वह ज्यादा सेंसेटिव है और साल में एकाध कब्रिस्तान की कहीं घेराबन्दी हो रही है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या विधायकों के प्रायोरिटी पर एस0पी0, कलक्टर नहीं इस बात को समझते हैं तो माननीय मंत्री जी के यहां हमलोग लिखकर देंगे तो प्रायोरिटी में लिया जा सकता है क्या ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जब कब्रिस्तान की बात उठाये हैं तो निश्चित रूप से इसको देखवा लेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1962/डा0 सुरेन्द्र कुमार</u>

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पहसौलि ग्रामीण बाजार है, जिसकी आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार 6517 है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि जिला अग्रहणी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार उक्त बाजार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा कार्यरत है। जो ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।

3- भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक-482, दिनांक 08.01.2016 के द्वारा पांच हजार से ज्यादा की जनसंख्या वाले गांव में 31.03.2017 तक ब्रिक ऐंड मोर्टार शाखा खोलने का निर्धारित किया गया है।

डा0 सुरेन्द्र कुमार : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1963/श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत फतेहनगर के महुअर कब्रिस्तान की घेराबन्दी वर्ष 2007 में की गयी थी। कब्रिस्तान की घेराबन्दी को तीन स्थानों पर आनेजाने के लिए ग्रामीणों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। जिला पदाधिकारी को उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति अगले वित्तीय वर्ष में करा देने तथा दीवार को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में कांड दर्ज कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

तारांकित प्रश्न सं0-1964/मो0 आफाक आलम

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1- स्वीकारात्मक है।

2 एवं 3- वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां प्रखंड की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है। थाने स्तर पर मिक्स टेक्नोलोजी आधारित अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिए मिक्स टेक्नोलोजी आधारित अग्निशामक वाहन का चेसिस क्रय कर ली गयी है। इसपर बॉडी के फेब्रिकेशन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फेब्रिकेशन होने के बाद श्रीनगर थाने पर मिक्स टेक्नोलोजी अग्निशामक वाहन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

टर्न–4/अशोक/28.03.2016

मो0 आफाक आलम :अध्यक्ष महोदय, अभी मौसम भी बहुत खराब आ गया है, कई जगह आग लग चुकी है और वहां से वहां की दूरी भी माननीय मंत्री को पता है, इसलिए मेरा कहना है कि इसको कब तक करायेंगे ? यही आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके इसको किया जाय ।

अध्यक्ष : वे कहें कि चेसिस खरीदा गया है, बॉडी का फेब्रिकेशन हो जायगा तो आपको मिल जायेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, ऐसा है कि जिला और अनुमण्डल स्तर पर तो पहले से अग्निशामक है, लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न प्रखण्ड से संबंधित है इसलिए मैंने कहा कि एक मिक्स्ड टेकनौलॉजी का, उससे पानी का फब्बारा निकलेगा और आग बुझाने का काम करेगा, उसका चेसिस ऑबटेन कर लिया गया है और बाकी के लिए जो प्रक्रियाधीन है टेन्डर, वह भी आ जायेगा, तो अगले वित्तीय वर्ष में ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने बतला दिया अगले वित्तीय वर्ष में ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1965(श्रीमती समता देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी थाना अन्तर्गत पतुलका में कोई थाना नहीं है, पतुलका से करीब तीन कि.मी. की दूरी पर धनगायी में थाना का सृजन किया गया है, धनगायी थाना भवन निर्माण हेतु जमीन अनुपलब्ध है, भूमि चिन्हित की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1966(श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1967(श्री सुबेदार दास)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1968(श्री विद्यासागर केसरी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1– सम्पूर्ण प्रदेश में नये प्रमण्डल, जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड या अंचल बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विद्यासागर केसरी : माननीय महोदय, सदन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि दस वर्ष पूर्व ऐसी बात रखी गई थी, जिला, अनुमण्डल बनाने के लिए, ऐसा प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया था कि नये–नये जिला उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से बनाया जायगा ।

दूसरी बात है माननीय महोदय कि तीन साल पहले फारबिसगंज को जिला बनाने के संबंध में, नगर निकाय के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी, इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आखिर सारा दृष्टिकोण जब पूरा कर रहा है फारबिसगंज, सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, सीमा से भी सटा हुआ है, 60 कि.मी. के रेडियस से चलकर के अररिया जिला को जाते हैं, यहां आई.टी.आई. का केन्द्र.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्यासागर जी, आप प्रश्न पूछिये

श्री विद्यासागर केसरी :मैं यह पूछना चाहता हूँ कि...

अध्यक्ष : प्रश्न यह समझ कर पूछिये कि सरकार ने आपको कहा है कि कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री विद्यासागर केसरी : पूर्व में तो ऐसी बात आई थी महोदय, 10 साल पहले ऐसी बात आई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चहता हूँ महोदय, आग्रह करना चाहते हैं कि जिला बना दिया जाय ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, पिछली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई थी जिले और अनुमण्डल के पुनर्गठन के लिए, सिमिलर केस में बाढ़ सबसे पुराना अनुमण्डल है अंग्रेज के जमाने का, उससे छोटा-छोटा जिला बन गया और बाढ़ अनुमण्डल नहीं बना, मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमिटी बनाई गई है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है ।

अध्यक्ष : ज्ञानू जी, आपने तो फारबिसगंज के आड़ में अपना मामला अच्छे से उठा दिया, आप फारबिसगंज के साथ बाढ़ को भी सटाना चाहते हैं !

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : एकदम, बाढ़ उससे ज्यादा पुराना है ।

अध्यक्ष : लेकिन सरकार ने जो उत्तर फारबिसगंज के परिप्रेक्ष्य में दिया है, वह लागू तो बाढ़ पर भी हो जायेगा ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : लेकिन महोदय, कमिटी बनी थी कि नहीं बनी थी, मंत्री जी यह बतलायें कि पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमिटी बनी थी या नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है, आपका आग्रह सरकार ने सुना ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं है कोई प्रस्ताव, आगे होगा भी कि नहीं होगा, यह मैं नहीं जानता, अभी नहीं है कोई प्रस्ताव ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : कमिटी बनी कि नहीं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : कमिटी बनती थी तब, जब आप इधर थे, जब उधर चले गये तो कहां मामला बनता है ? फिर इधर आ जाइये बन जायेगा ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इस संबंध में दो तथ्य मैं बतलानाा चाहता हूॅ, उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कुछ अनुशंसा की गई थी उस पर सरकार का क्या निर्णय हुआ ?

दूसरा, कई जगहों से जनता ने सरकार को लिखकर दिया है, क्या वह अनुरोध को फाड़ कर फेंक दिया गया है? या उस पर कुछ विचार करने की मंशा है ?

अध्यक्ष : श्री पाण्डेय जी, सरकार ने जो जानकारी दिया है कि उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमिटी थी वह प्रखण्डों के संबंध में थी, जिला के संबंध में नहीं थी । उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति प्रखण्डों के संबंध में थी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1969(श्री अजीत शर्मा)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : यह स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : यह स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1970(श्री तारकिशोर प्रसाद)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज प्रखंड के बलूआ पंचायत अन्तर्गत फुलवड़िया गॉव स्थित कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी किये जाने की नीति है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में उसको प्राथमिकता सूची में नहीं होने की बात कही है, मैं थोड़ा तथ्यात्मक बतलाना चाहता हूॅ कि हसनगंज प्रखण्ड में बलुआ पंचायत में रतनी, फुलवड़िया, पनसेरूआ-इन गांव के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां पर एक कब्रिस्तान हैं जिसमें वे शव को दफनाते हैं । ठीक उसके बगल में झारखंड से कुर्मी समाज के लोग आये हुये हैं, वे भी आर्थिक स्थिति के कारण शव को वहीं बगल में दफनाते हैं, जो सरकार की जमीन है । दो बार इस पर विवाद भी हो चुका है, हम पहल करके शांति करवाये हैं, दोनों समुदाय अभी शांतिपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन दो बार घटना हो गई है, हो सकता है कि तीसरी बार घटना हो, हम नहीं रहें उस समय या प्रशासन नहीं पहुंच पाये, इसलिए कब्रिस्तान की घेराबन्दी हो जाती है तो ये जो हिन्दू समाज के लोग आर्थिक कारण से या परम्परागत कारण से शव को दफनाते

हैं, तो वो भी निश्चिंत होकर दफनावे और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कब्रिस्तान चिन्हित करके चहारदिवारी दे दिया जाय, वे भी अपने शवों का संस्कार बेहतर ढंग से कर सकें । इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूॅ कि इस परिप्रेक्ष्य में हमने जो आपको अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बतलाया है, इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन को आप प्राथमिकता सूची में देने के लिए निर्देशित करना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अब जब तारकिशोर जी उठा रहे हैं, पुराने मेम्बर हैं, कैसे इनकार किया जा सकता है, निर्देशित करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1971(श्री राजू तिवारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वास्तविकता यह है कि जिला अग्रणी बैंक पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार 31.03.2015 तक पूर्वी चम्म्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड संग्रामपुर में बैंक की कुल पांच शाखायें हैं, संग्रामपुर बाजार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा कार्यरत है, व्यवसायिक बैंक के रूप में बैंक ऑफ इन्डिया, ग्राम बरहरिया में है । भारतीय रिजर्व बैक के पत्रांक-482 दिनांक-08.01.2016 के द्वारा पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव में 31.03.2017 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

श्री राजू तिवारी :महादेय, आपके माध्यम से मंत्री जी को बतलाना चाहता हूॅ कि जो बरियरिया में शाखा है, वह बाजार से ढ़ाई कि.मी. दूर है और वहां बहुत पुराना बाजार है, प्रखण्ड मुख्यालय है, थाना है और वह ढ़ाई कि.मी.-दो कि.मी. दूर है, दिन में व्यवसायी लोग पैसा लेकर जा ही नहीं सकते हैं जब तक कि सुरक्षा नहीं हो ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि संग्रामपुर में भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा है।

श्री राजू तिवारी : जी, जी । उससे काम नहीं चल रहा है । हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि भरतीय स्टेट बैंक या कोई बैंक लगवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक ।

टर्न-5-28-03-2016-ज्योति

तारांकित प्रश्न संख्या 1972 (श्री बृजकिशोर बिन्द)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- सरकारी जमा राशि को बैंको में रखने के संबंध में बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा एक नीति बनायी गयी है । इस नीति के तहत न्यूनत्तम मानक निर्धारित किए गए हैं जिसे प्राप्त करने वाले बैंकों में ही राज्य सरकार के विभागों , निगमों, सोसायटियों, अभिकरणों एवं अन्य प्राधिकारों द्वारा बैंक में निधि रखी जा सकेगी।

प्रोत्साहन नीति के तहत न्यूनत्तम आहर्ता 33 अंक प्राप्त करने वाले बैंकों में ही सरकारी जमा रखने का निर्णय लिया गया हे । ग्रामीण बैंकों में सरकारी जमा राशि रखने के लिए अलग से कोई नीति सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी है।

श्री बृजकिशोर बिन्द : अध्यक्ष महोदय, जितने कौमर्सियल बैंक है, उसको छोड़कर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, इनका मुख्यालय बिहार के अंदर है और उसमें सरकार की ही हिस्सेदारी भी सुनिश्चित है, इसके बावजूद भी वो अपनी हिस्सेदारी वाले बैंक में सरकारी धनराशि जमा न करके, दूसरे बैंकों में जमा किया जाता है । जिनका मुख्यालय - किसी का मुख्यालय राजस्थान में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, कुछ परसेंट राशि बिहार के जो लोग हैं उनके ऊपर खर्च करके जैसे ऋण देना वगैरह वगैरह बाकी बिहार का रुपया वह अपने क्षेत्र में ले जाकर खर्च करते हैं उद्योग लगाने में, कारखाने बनाने इत्यादि कामों में खर्च करते हैं और बिहार में जब वह पैसा रहता और यहाँ कोई उद्योग धंधा उस राशि से लगता ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : पूरक पर आ रहा हूँ । अगर बिहार के ऊपर खर्च करते तो यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलता और बिहार आगे की ओर जाता तो महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से हम यह जानना चाहते हैं कि जिसमें बिहार का हिस्सा है, उस मुख्यालय में न रखकर, किस नियम के तहत जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक नियम बना हुआ है, तो वह किस नियम के तहत धनराशि उन बैंकों में जमा की जाती है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : माननीय सदस्य श्री बिन्द जी ने बड़ा माकूल सवाल उठाया है । जहॉ तक कॉमर्सियल बैंकों का सवाल है, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । मगर एस0एल0बी0सी0 की मिटिंग जो है , स्टेट लेवेल बैंकर्स कमिटी की बैठक हुआ करती है और जो भी कॉमर्सियल बैंक है वह रिजर्व बैंक के गाईडलाईन को फौलो करता है तो जो एस0एल0बी0सी0 की मिटिंग हुई जनवरी में उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात उठायी कि साहब जिन बैंकों में राशि हम जमा करते हैं और उस बैंक का सी0डी0 रेशियो बहुत ही न्यूनत्तम है और सोशल रेसपौंसब्लिटी जो है, बैंक निर्वहन नहीं कर पाता है इन सारे मुद्दों को उठाया गया है और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि को भी बताया गया है । आवश्यकता पड़ी तो केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिलकर इस बावत शिकायत की जायेगी ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री जी का कहना है कि कॉमर्सियल बैंक पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं बनता है । लेकिन जो बिहार के अंदर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है उसपर तो राज्य सरकार का अधिकार बनता है तो उसमें राशि क्यों नहीं जमा करते हैं ?

श्री राघव शरण पाण्डेय : क्रेडिट डिपोजिट रेशियो कितना है और इसको इम्प्रूभ करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : देखिये, पाण्डे जी ने जो सवाल उठाया अभी उसका उत्तर मेरे पास नहीं है मगर यह सही है कि क्रेडिट रेशियो विभिन्न बेंकों कां खास तौर पर बिहार के मामले में बहुत ही पुअर है । हमलोग दबाव बनाए हुए हैं और इसी वजह से इस बार यह नीति निर्धारित की गयी है कि जिन बैंकों का क्रेडिट रेशियो 33 अंक से कम होगा वहॉ हम अपने विभाग का, निगम का, अभिकरण की, कोई भी राशि उसमें जमा नहीं करेंगें, ऐसा सरकार ने अपने अधीनस्थ विभाग और निगमों को निर्देश दिया है ।

श्री राघव शरण पाण्डे : महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में क्रेडिट डिपोजिट रेशियो 30 परसेंट से कम है जबकि नेशनल एवरेज 60 परसेंट है तो जितना भी बढ़ा है , हम नेशनल एवरेज से काफी कम हैं और एक अनुरोध होगा कि रिजर्व बैंक औफ इण्डिया को कहा जाय कि निर्धारित मानकों के अनुसार अगर नहीं दे सकते हो तो बिहार के लिए स्पेशल नौर्म्स बनाओ जिससे कि कम से कम हम राष्ट्रीय एवरेज पर पहुंचे ।

तारांकित प्रश्न संख्य 1973 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : 1- जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अरवल जिला के करपी प्रखण्ड मुख्यालय में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा है ।

2- मध्य ग्रामीण बैंक से लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

3-उपरोक्त 1 एवं 2 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, यह जो करपी प्रखण्ड मुख्यालय है सन् 1963 में स्थापित हुआ है । उसके बीच में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनलाईज्ड बैंक की यूनिट स्थापित हुयी है और मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रखण्ड मुख्यालय है, वहॉ पर नेशनलाईज्ड की यूनिट खोलने मे माननीय मंत्री जी को क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष : मंत्री जी बैंक थोड़े ही खोलते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : मंत्री को या राज्य सरकार को खोलने का होता तो आपके अनुरोध पर हम स्वीकारात्मक उत्तर देते मगर रिजर्व बैंक औफ इण्डिया ने भी जो लक्ष्य निर्धारित किया है और एस0एल0बी0सी0 की मीटिंग में भी जो तय हुआ था कि पॉच हजार से ऊपर की आबादी पर एक बैंक की शाखा खोली जायेगी और लक्ष्य निर्धारित किया गया 15-16 के लिए कुल 527 शाखा खोलने का और उस लक्ष्य के विरुद्ध अभी 31-12-2015 तक मात्र 302 शाखाएं ही खोली गयी है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण बैंक की शाखा वहॉ पर स्थापित है । माननीय मंत्री जी विद्वान हैं , अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं तो ग्रामीण बैंक और नेशनलाईज्ड बैंक की शाखा में क्या फर्क होता है ? किसके द्वारा लोगों को सुविधा दी जाती है ?

अध्यक्ष : मुन्द्रिका बाबू आप माननीय मंत्री जी को चाहे जितनी भी चीज का ज्ञाता घोषित कर दीजियेगा लेकिन ये बैंक की शाखा कैसे खोलेंगे ?

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, इन्होंने कहा कि लक्ष्य जो है आगे पूरा नहीं हुआ है, आगे जो लक्ष्य बचा हुआ है क्या उसमें माननीय मंत्री जी करपी में नेशनलाईज्ड बैंक खोलने का प्रयास करेंगे ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : ऐसे सभी मामले जहॉ 5 हजार से ज्यादा की आबादी है अगली जो एस0.एल0बी0सी0 की मीटिंग होगी उसमें सरकार की तरफ से इन सारे मामलों को रखा जायेगा ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : ठीक है, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1974(श्री रमेश ऋष्दिेव)

श्री बिजेन्द प्रसाद यादव : 1- वस्तुस्थिति यह है कि सिपाही/96 देवाशीष मिश्र वर्ष 2005 से नवगछिया जिला बल में पदस्थापित हैं । पूर्व में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के हिन्दी, लेखा शाखा में कार्यरत रहे हैं । दिनॉक 30-11-13 को पी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रस्थान किए एवं प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 22-09-14 को नवगछिया जिला बल में योगदान दिए । योगदान के पश्चात् पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में इनसे कार्य लिया गया । पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के ज्ञापॉक 3778/गो0 दिनॉक 18-11-15 द्वारा उन्हें गोपनीय शाखा में प्रतिनियुक्त किया गया था । प्रक्षेत्रावधि पूर्ण होने के कारण उनका स्थनान्तरण मुजफ्फरपुर क्षेत्र में किया गया है । सिपाही महेन्दु टुड्डु का स्थनान्तरण पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापॉक 3347 पी0टी0 दिनॉक 6-12-13 द्वारा गया जिला किया गया है । नवगछिया जिला आदेश संख्या 25-9-14 द्वारा स्थानान्तरित, जिला गया के लिए विरमित कर दिया गया है ।

टर्न-6/विजय/28.03.16

2. वस्तुस्थिति यह है कि निरक्षर से सिपाही स्तर के पुलिस अधिकारियों को किसी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर की जाती है । उनका कार्यकाल जिला में 6 वर्ष, रेंज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्ष का है ।

3. इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है चह चला गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1975 (श्री रमेश ऋषिदेव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड में ग्राम लक्ष्मीपुर, चंडीस्थान के लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी की जाने की नीति है।

श्री रमेश ऋषिदेव: अध्यक्ष महोदय, ये कब्रिस्तान रोड के साइड में है और लगातार उसमें पशु जाते हैं जिसके चलते हिन्दु और मुसलिम के बीच कई बार मारपीट हुआ है । इसीलिये हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि विशेष प्राथमिकता के आधार पर इसको घेराबंदी कराने का काम स्वीकार किया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1976 (डॉ0 शकील अहमद खॉ)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, 1 और 2 स्वीकारात्मक है ।

3. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर जांच प्रतिवेदन विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखने की कार्रवाई की जा रही है ।

डॉ0 शकील अहमद खॉः मंत्री महोदय, ये अगर इसी सदन में हो रहा है क्योंकि यह मामला जिस समय हुआ था और 5 साल गुजर गए हैं फारबीसगंज हत्याकांड में पुलिस की गोली से हत्यायें होती रहती हैं लेकिन असल मामला यह था कि उसमें जिस तरह से एक पुलिस कर्मी ने एक जिन्दा जिस पर गोली लगी थी उस पर जब कूद रहे थे मेरे ख्याल से ललन जी भी वहां गए थे, अब्दुलबारी सिद्दिकी साहब भी वहां गए थे, राहुल गांधी भी गए थे सभी लोग वहां गए तो बहुत ही सेंसेटिव मामला है 5 साल हो गए अगर इसी सेसन के पटल पर यदि रखा जाय और एक्शन टेकेन रिपोर्ट हो तो यह जो सेंसेटिविटी है उसकी और उसके बारे में लोगों को पता चलेगा कि क्या एक्शन लिया गया है और एक्शन के आधार पर फिर चीजें सेट्ल होंगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1977 (श्री दिनकर राम)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वर्षो का लेखा विवरणी इ0जी0पी0एफ0 पोर्टल पर उपलब्ध होने के कारण लेखा विवरणी निर्गत नहीं किया जा रहा था परंतु अब इस कार्यालय के पत्रांक 209 दिनांक 11.01.2016 द्वारा वर्ष 2014-15 तक का लेखा पुर्जा निर्गत करने का आदेश दिया जा चुका है एवं इस आलोक में लेखा पुर्जा निर्गत किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1978 (श्री अशोक कुमार सिंहः203)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत बरूणा कब्रिस्तान नुआंव प्रखंड में है तथा डुमरी प्रखंड दुर्गावती प्रखंड में है । डुमरी एवं बरूणा कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्रखंड स्तरीय प्राथमिकता सूची के क्रमांक14 एवं 9 पर सूचीबद्ध है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीतियां हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंहः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जबतक कोई कब्रिस्तान विवादित नहीं होगा तबतक उसकी घेराबंदी नहीं होगी और क्या कब्रिस्तान घेराबंदी में माननीय सदस्यों का कोई अधिकार होगा या नहीं ?

अध्यक्षः आपके कब्रिस्तान के बारे में तो माननीय मंत्री ने बताया कि सूची में संख्या भी बतायी है 14 और 9 पर कहीं अंकित है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, माननीय सदस्य भी इस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि हैं प्रश्न यह है कि संवेदनशीलता के आधार पर जो डिसपुटेड ज्यादा हैं प्राथमिकता सूची उसी के आधार पर निर्धारित होती है । बारी बारी से सब होगा । माननीय सदस्य ने जो पूछा है ऐसी बात नहीं है आपने जो प्रश्न किया है इसको दिखवायेंगे जिला पदाधिकारी से अगर संवेदनशील होगा जैसा आप कह रहे हैं तो सूची उपलब्ध कर लिया जाएगा ।

श्री मोहम्मद नवाज आलमः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संवेदनशीलता का पैमाना क्या है ?

अध्यक्षः नवाज जी, संवेदनशीलता का पैमाना तय है वह सभी जिला पदाधिकारियों को, सभी आरक्षी अधीक्षकों को संसूचित है और वे उसी पैमाने पर संवेदनशीलता निर्धारित करते हैं ।

श्री मोहम्मद नवाज आलमः महोदय, कई जगहों पर अभी माननीय सदस्य अपने जिला का मामला उठाये थे वह पूरी तरह से सहार का संवेदनशील मामला था । कई बार वहां घटनायें घटी ।

अध्यक्षः आप इसकी सूचना जिला पदाधिकारी और सरकार को दे दीजिये ।

श्री मोहम्मद नवाज आलमः लेकिन उन मामलों का गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है सदन में ।

श्री अशोक कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहां 85 लाख रू0 के कब्रिस्तान की प्रशासनिक स्वीकृति हुई है । 85 लाख रूपये का कैमूर जिला में कब्रिस्तान के घेरेबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है । जितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है महोदय एक भी हमारे कब्रिस्तान विवादित नहीं हैं और जो हमारे विवादित कब्रिस्तान हैं महोदय मैं सदन को और सरकार को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं महोदय आरक्षी अधीक्षक और जिला पदाधिकारी संवेदनशील कब्रिस्तान को छूना नहीं चाहते हैं महोदय और यहां से जो पैसा जाता है उस पैसे को दूसरे दूसरे कब्रिस्तानों में खर्च कर घेराबंदी की जाती है ।

अध्यक्षः आप उसकी लिखित शिकायत दे दीजिये ।

श्री अशोक कुमार सिंहः मैं आपके माध्यम से महोदय चाहूंगा कि सरकार माननीय सदस्यों के साथ जिला पदाधिकारी और एस0पी0 के साथ साल में एक बैठक करावे और उसमें प्राथमिकता तय हो जाय जिला की किन किन कब्रिस्तानों की घेराबंदी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह: उत्तर नहीं आया महोदय ।

अध्यक्ष: आपने सुझाव दिया है, प्रश्न थोड़े ही किया है कि उत्तर आएगा !

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, माननीय सदस्य, पहली बार जीतकर आए हैं प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में माननीय विधायकों की कमिटी की बैठक होती है आप उसमें भी उठा सकते हैं ऐसा नहीं है कि बैठक नहीं होती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1979 (श्री राम विलाश पासवान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किये जाने की नीति है ।

श्री रामविलाश पासवान : बहुत बड़ी आबादी है महोदय अगर प्राथमिकता के आधार पर बन जाता तो बहुत अच्छा होगा बहुत बड़ी आबादी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1980 (डॉ0 रविन्द्र यादव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: !. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलान्तर्गत झाझा प्रखंड के ग्राम पो0-सहिया निवासी स्व0 राजेन्द्र यादव की विधवा पत्नी को मुआवजा की राशि भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, जमुई को राशि आवंटित कर दी गयी है । नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है ।

3. खंड 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

डॉ0 रविन्द्र यादव: कब तक भुगतान हो जाएगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: जल्द ही इसको करवा दिया जाएगा अभी राशि चली गयी है ।

डॉ0 रविन्द्र यादव: जो सरकार का निर्णय है महोदय उग्रवादियों द्वारा जिनकी हत्या होती है उसका एक प्रावधान है 1998 में एक निर्णय लिया गया था कि वैसे लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी ।

अध्यक्ष: सरकार ने कहा है कि नौकरी देने का प्रावधान नहीं है । मुआवजा देने का प्रावधान है और इनके लिए मुआवजा की राशि भी आवंटित कर दी गयी है ।

डॉ0 रविन्द्र यादव: जो उसका घर डैमेज कर दिया गया उसका घर बनवाया न जाएगा सर? घर बनवाने की कृपा की जाय सर ।

टर्न–7/राजेश/28.3.16

श्री राहुल तिवारी:– महोदय, 20 साल से वहॉ पर ओ0पी0 है बेलवनिया में, वहॉ काफी बड़ा बाजार है और अगल–बगल में काफी दबंग लोगों का गॉव है, जिसके चलते बाजार पर हमेशा हमला और रंगदारी मॉगने की बात होते रहती है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करेंगे कि वहॉ ओ0पी0 सुचारु रुप से चालू हो, चूंकि पुलिस पिकेट, कोई इमरजेंसी डियूटी के कारण, पुलिस वहॉ से हट जाती है, जिसके चलते वहॉ पुलिस नहीं रह पाती है, इसलिए ओ0पी0 बनवाने का कष्ट किया जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या:–1982 (श्री सुभाष सिंह)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद:– महोदय, 1:– उत्तर स्वीकारात्मक है। पेराई सत्र 2015–16 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के प्रावधानों के तहत 9.5 प्रतिशत रिकभरी के लिए 230 रुपया क्विंटल उचित मूल्य निर्धारित किया गया है।

2:– उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार को ईख मूल्य निर्धारण की शक्ति प्राप्त नहीं है। ईख मूल्य निर्धारण की शक्ति प्राप्ति हेतु संशोधन 2007 पारित करवााकर केन्द्र सरकार को भेजा गया है, जिसपर केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पेराई सत्र 2015–16 के लिए बिसमा द्वारा निम्न रुप से ईख मूल्य की दर की घोषणा की गयी है। आयात प्रवेश पर 270 रुपये क्विंटल, सामान्य प्रवेश पर 260 रुपये क्विंटल, निम्न प्रवेश 250 रुपये क्विंटल ।

3:– उपर्युक्त खण्ड 2 एवं 1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री सुभाष सिंह:–अध्यक्ष महोदय, मिल मनमाने ढंग से भुगतान कर रही है, कहीं 220 रुपया कहीं 200 रुपया लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारण के बावजूद 10 रुपया बढ़ाकर मूल्य का निर्धारण किया गया लेकिन राज्य सरकार और चीनी मिल एशोसिएशन के द्वारा मूल्य का निर्धारण होना है, जिसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ, जिसके चलते सारे किसान तबाह है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार कब तक इसका नोटिफिकेशन कराकर भुगतान कराना चाहती है।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमदः- महोदय, न जाने कैसे हमारे माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, सरकार 270 रुपया, 260 रुपया एवं 250 रुपया निर्धारित कर चुकी है, एशोसिएशन ने लिखकर दे दिया है सरकार को, जो मंत्रिपरिषद् की बैठक में पारित भी किया जा चुका है लेकिन हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गन्ने मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है तो एक चीज इन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि मूल्य निर्धारण करने का शक्ति जो है वह आपके केन्द्र सरकार में है, आप केन्द्र सरकार से बिहार सरकार को शक्ति दिलवा दीजिये, वहाँ से आदेश दिलवा दीजिये कि बिहार सरकार अपने गन्ने मूल्य का निर्धारण कर सके।

अध्यक्षः- प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो, उसे सदन पटल पर रख दिये जायं । कार्य स्थगन ।

श्री विनोद कुमार सिंहः- महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न यह है कि दिनांक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है संपूर्ण बिहार में और हमारे कटिहार जिला में 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया, उसका उद्घाटनकर्ता, फीता काटने वाला, दीप जलाने वाला, वहाँ के डी0एम0 द्वारा किया गया ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः- यह सदन में व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है ? आप इसकी लिखित सूचना दे दीजिये, सरकार इसको संज्ञान में लेगी।

<u>कार्य-स्थगन</u>

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण आज दिनांक 28 मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल 7 कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री विद्यासागर केशरी ।

आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से गृह विभाग की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99(i) के (ii) एवं (iii) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है। शून्यकाल ।

श्री प्रेम कुमारः- महोदय, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध लगातार बढ़ रहा है.... .....(व्यवधान)

अध्यक्षः- माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, पूरा सदन जानता है कि आज गृह विभाग की ही मांग पर विमर्श और मतदान होना है और

पूरा तीन घंटे का समय गृह विभाग से संबंधित विमर्श के लिए निर्धारित है, उसमें विधि-व्यवस्था भी आती है, माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को उठा रहे हैं और हम समझते है कि आज तीन घंटे के बहस के अलावा इससे पर्याप्त व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती है, आप कार्य स्थगन भी दीजियेगा तो 2 घंटे का बहस होगा और आज इसपर तीन घंटे का विमर्श होना है, इसलिए आज तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है,आप पुराने सदस्य है, आपके दल को एवं सब को समय मिलेगा, आप अपनी बात रखेंगे।

श्री श्रवण कुमार:- महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है, इनको छपास रोग लगा हुआ है, इनको छपास रोग है, इनको नियमावली से मतलब नहीं है, छपास रोग के चलते हुजूर ये नियम के विरुद्व सदन में लाया करते है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं महोदय, जबकि आज डिबेट हो रहा है गृह विभाग पर और इसपर तीन घंटे की बहस होगी और सदन का जो समय है महोदय, सिर्फ बर्बाद करने की नीयत से ये सवालों को उठाया करते हैं, इन्हें तो नियमानुसार बात को उठाना चाहिए।

अध्यक्ष:- ठीक है।

<u>शून्यकाल</u>

श्री अशोक कुमार सिंह:- महोदय, रामगढ़ बड़ौरा पथ की दूरी 8 किलोमीटर है, यह पथ बिल्कुल टूट गया है। यह सड़क बिहार और उत्तरप्रदेश को जोड़ती है एवं रामगढ़ से राजधानी आने के लिए सबसे नजदीक स्टेशन उत्तरप्रदेश का दिलदारनगर है। सरकार से उक्त सड़क के निर्माण का मांग करता हूँ।

श्री राणा रणधीर:- महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा प्रखण्ड को पकड़ीदयाल अनुमंडल से जोड़ने वाला चामु-टोला पुल का पहुंच पथ काफी जर्जर हालत में है,जिसके कारण प्रखंड तथा अनुमंडल का सम्पर्क भंग होने वाला है।

मैं जनहित में चामु-टोला पुल के पहुंच पथ के शीघ्र निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री मिथिलेश तिवारी:- महोदय, एन0एच0आर0एम0 के तहत जनसंख्या के अनुसार 87,135 आशा कार्यकर्ता के स्थान पर राज्य में 85,239 आशा कार्यकर्ता है, जिनमें अधिकांश का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण नहीं हुआ है, न ही 15 दवाओं के साथ उन्हें ड्रग किट ही उपलब्ध कराया गया है तथा ड्रग किट में एक्सपायर दवाओं की आपूर्ति हुई है।

श्री तारकिशोर प्रसाद:- महोदय, कटिहार सहित पूरे राज्य में दो वित्तीय वर्षों से कबीर अंत्येष्टि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को राशि मुहैया नहीं करायी गयी है। जिससे समाज के कमजोर वर्ग लाभ से वंचित हो गए हैं तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आंशिक राशि मुहैया करायी गयी है।

अतः सरकार अविलम्ब कार्रवाई करें।

डा0 विनोद प्रसाद यादवः- महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी थाना के निलकंठ होटल के पास नइम अंसारी, पिता मो0 मुस्तकिम, मो0 उमर, पिता-नईम अंसारी दोनों ग्राम भेलवा-थाना- डोभी, मो0 सोयैब पिता मो0 एजाज, ग्राम-गोड़वाली, थाना-हंटरगंज, चतरा की मृत्यु 15.6.2015 को सड़क दुर्घटना में हो गई है। मुआवजा देने की मांग करता हूँ।

टर्नः 08/कृष्ण/28.03.2016

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय,पटना के मुख्य इलाके के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए आवंटित गर्दनीबाग में कोई जगह नहीं है । सरकार विरोध प्रदर्शन पर अघोषित प्रतिबंध को वापस लेकर विरोध की संवैधानिक अधिकार की हिफाजत करे । पटना के मुख्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन इजाजत देने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बलिया में माले नेताओं की हत्या दिखलाता है कि पर्चे की जमीन पर प्रशासन पर्चाधारियों की बजाए सामंती ताकतों का पक्ष लेती है । ऐसी सभी जमीनों पर गरीबों-महादलितों की सुरक्षा की गारंटी और और उत्पीड़न की हर घटना के लिए संबंधित जिलाधिकारी व एस0पी0 को जवाबदेह बनाये ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बेगुसराय में एक दलित की हत्या हो गयी । राम प्रवेश राय और महेश राम।

अध्यक्ष : मा.स0 श्री सुदामा प्रसाद जी, आप की सूचना समरूप है श्री महबूब आलम जी के ।

श्री सुदामा प्रसाद : हम डी0एस0पी0 को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, इसलिए कि इन्हीं की सांठ-गाठ से हत्या हुई है । एक माह पहले हमला हुआ था । डी0एस0पी0 ने दलित उत्पीड़न का केस हटा दिया ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय,पूर्णियां जिला बस स्टैण्ड सभी प्रमंडल मुख्यालय बंगाल, झारखंड, असम एवं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है । राज्य परिवहन सहित बड़ी संख्या में बसें विभिन्न रूटों पर चलती है । यात्री, शौचालय, पीने का पानी, रोशनी, सुरक्षा जैसी दैनिक सुविधा से वंचित है ।

अतः पूर्णियां शहर से बाहर आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की मांग करता हूं।

(इस अवसर पर माकपा(माले) के माननीय सदस्यगण तख्ती लेकर वेल में आकर बोलने लगे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जायं । आपने सूचना पढ़ ली, दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका दीजिये । मामला गंभीर है सत्यदेव जी, आप अलग से सूचना सरकार को दे दीजिये । अभी आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, बाखरगंज में पांचवी कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया । आरोपी इसी विद्यालय काा शिक्षक है । एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है । जनता में काफी आक्रोश है । आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड में एक दिन में चार गांव में आग से सैकड़ों घर जलकर राख हो गये । ग्राम तिवारीडीह-तेतरहडा़, चान्दपुर, तोल, बरियावां में 150 घर जलकर राख हो गये । लोग त्राहिमाम है ।

अत: सरकार उक्त गांवों में आपदा राहत कोष से सहायता कर पूनर्वास की व्यवस्था करावें ।

श्री ललन पासवान : रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड के भभुरा एवं हटैया गांव में न तो प्राथमिक विद्यालय है, न ही मिडिल स्कूल ।

सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गांवों में प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल बनावे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखंड के बथुआ मठिया के आप-पास कोई भी मातृ उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, जिसके कारण प्रसूति महिलाओं को काफी पीड़ा झेलनी पड़ती है।

अत: मांझा प्रखंड के बथुआ मठिया पर एक उप मातृ स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आदेश निर्गत किया जाए ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,विगत 23.03.2016 को जहानाबाद जिला के शकुराबाद थाना के ग्राम चिकसौरा में विजेन्द्र यादव, ललन यादव, रघुनाथ सिंह के घरों में भीषण आगजनी हुई, घर का सामान जलकर खाक हो गया ।

अत: गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये राहत एवं पुनर्वास की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा के मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से होनेवाली इलाज में मिलनेवाली राशि अभी तक इलाज हेतु चिकित्सा संस्थान को प्राप्त नहीं है ।

अत: आग्रह है कि मरीजों के इलाज में मिलनेवाली मुख्यमंत्री चिकित्सा राशि अविलंब मुहैय्या कराने की कृपा की जाए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा के तहत कई बी0पी0एल0 परिवार को राशन नहीं मिलने के कारण दिनांक 25.03.2016 को शेखपुरा के जिला निवासी जागो मांझी की भूख से हुई मौत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है ।

अत: पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : महोदय, ये तुरंत शेखपुरा से लखीसराय कैसे पहुंच गये ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, वह हमारे कमीशनरी के अंदर है और माननीय मंत्री जी शेखपुरा और लखीसराय के प्रभारी मंत्री हैं । संवेदनशील मंत्री है, गंभीरता से लें । 28,000 आवेदन लंबित क्यों है ?

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबीसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के आमगाछी मौजा की जमीन 1990 में चकबंदी पूर्ण होने के उपरांत बोर्डर रोड बनने के कारण अंशत: या पूर्णत: अधिग्रहित कर ली गयी । अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि चकधारी को प्राप्त हो, पूर्ण चकबंदी प्रारूप जारी हो, सदन से मांग करते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ ; अध्यक्ष महोदय,मधुबनी जिलान्तर्गत महाराजगंज स्थित शवदाह गृह चालू नहीं रहने के कारण न सिर्फ गरीबों को अत्यंत कठिनाई हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अत: महाराजगंज स्थित शवदाह गृह को चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री मो0नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय,भोजपुर जिला आरा में 17 प्राथमिक विद्यालय हैं जो भूमिहीन हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई गली-नाली के किराने होती है जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है । सरकार भूमि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय भवन का निर्माण करावें

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय,बाढ़ के डुमरिया में पूर्व सरपंच लाला यादव, बिक्रम के बड़हिया मठ के महंत श्री रामाशंकर सिंह एवं बिक्रम के राघोपुर में नाबालिग से गैंगरेप कर हुई हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो ।

ध्यानाकर्षण–सूचना

सर्वश्री मो0नेमतुल्लाह,श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (अल्पसंख्यक कल्याण विभागा) की ओर से वक्तव्य।

श्री मो0नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में रह रही लगभग 5000 तलाकशुदा महिलाओं के जीविका उद्धार हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में दो करोड़ का प्रावधान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बार्ड के माध्यम से प्रत्येक तलाकशुदा महिला को दस हजार रूपये दिया जाएगा ।

उक्त दो करोड़ रूपया में से दस हजार रूपये की दर से अब तक वर्ष 2014–15 में मात्र 1169 (एक हजार एक सौ उनहत्तर) महिलाओं को ही तलाकशुदा महिला राशि दिया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड को लगभग 5,000 आवेदन प्राप्त होने की सूचना है ।

अत: शेष तलाकशुदा महिलाओं को राशि उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न–9/सत्येन्द्र/28–3–16 .

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के परित्यकत्ता तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुस्लिम परित्यकत्ता महिलाओं के स्वनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से मुस्लिम महिला परित्यकत्ता योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत मुस्लिम परित्यकत्ता महिलाओं का चयन कर प्रति महिला 10 हजार रू0 की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 2 करोड़ का बजट उपबंध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1159 महिलाओं को 10 हजार रू0 प्रति महिला की दर से राशि दी गयी है। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत 6203 आवेदन प्राप्त हुए थे। मार्गदर्शिका में दिये गये मापदंडों के अनुसार 2461 आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाये गये तथा 3742 आवेदन त्रुटिपूर्ण पाये गये। सही पाये गये 2461 आवेदनों को भुगतान के पूर्व स्थलीय जांच हेतु संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को भेजा गया । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा कुल 1169 आवेदन स्थल जांच के उपरांत पूर्णतया सही पाया गया जिनके बीच राशि का वितरण बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जा चुका है। पुन: विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर योग्य लाभार्थियों के बीच राशि वितरण की जायेगी।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः अध्यक्ष महोदय,इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गयी है, ये तो तलाकशुदा महिलाएं हैं। शाहवानो केस के बाद से यह प्रावधान किया गया था और सरकार की नीति थी कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से इनको पेमेंट किया जायेगा। चूंकि सरकार इसको अनुदान देती है, 2 करोड़ रू0 सरकार दी। पहले मुखिया इसकी अनुशंसा करते थे और वो पैसा उठा लेती थी। अब इसकी प्रक्रिया इतना जटिल कर दिया गया है कि 82 लाख रू0 अभी भी बचा हुआ है और लैप्स करने जा रहा है। यह वर्ष 2014-15 का है और 2015-16 का 2 करोड़ रू0 अभी बाकी है इसलिए ये सरल करें।अभी इतना जटिल कि ये विभाग को भेज देते हैं और विभाग सी0ओ0 बगैरह से रिपोर्ट लेती है। वो तलाकशुदा हैं,कहां-कहां दर दर भटकेंगी वो महिलाएं। यह इतना संवेदनशील मामला है,कुछ लोगों ने थक हार कर यह छोड़ दिया। सी0आर0पी0सी0 125 में जो मेनटेनेंस का है उसका भी हकदार नहीं है, वो फाईल नहीं कर सकती है चूंकि शाहबानो केस में वो अमेंडमेंट किया गया है।

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये न?

श्री मो0 नेमतुल्लाहः प्रश्न हम यही पूछ रहे हैं कि ये जो जटिल बनाकर उनलागों को उलझाया जा रहा है तो उसको सरल करेंगे ये और जो बाकी पैसा है..

अध्यक्षः नेमतुल्लाह जी,आप कौन सी जटिलता सरल करना चाहते हैं?

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय,मुखिया है उससे अनुशंसा करा कर के उसको पेमेंट कर दिया जाये। 31 तारीख तक पेमेंट कर दिया जाये तो जो पैसा बचा है सब हो जायेगा।

..

डॉ0 अब्दुल गफूरः अध्यक्ष महोदय, तलाकशुदा महिला को 10 हजार रू0 जो सरकार देती है उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए, उसमें कोई जटिल मामला नहीं है। सीधा आवेदन देता है और विभाग उस आवेदन की जांच कराकर देखता है, चूंकि कुछ ऐसे लोग का भी आवेदन आता है जो तलाकशुदा नहीं है। इसमें जांच में बिलम्ब हुआ है लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना कि राशि बची हुई है विभाग को हमने निर्देश दिया है कि एक महीने के अन्दर विशेष अभियान चलाकर के जो बाकी वितरण करना है वह वितरण कर दिया जाये।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः अध्यक्ष महोदय,एक महीने के अन्दर कह रहे हैं और पैसा लैप्स कर जायेगा 31 मार्च को। (व्यवधान) हम चाहेंगे कि 31 मार्च के पहले उसको करा देने की व्यवस्था करें माननीय मंत्री जी।

अध्यक्षः महबूब आलम जी,ध्यानाकर्षण में जो हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्य होते हैं वो ही पूरक पूछते हैं और आपका हस्ताक्षर इसमें नहीं है।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः हुजूर, ऐसा नियम है कि जनहित का मामला हो तो कोई भी पूछ सकता है। यह सदन का मामला है।

अध्यक्षः कोई पूछेगा आप बैठ जाईयेगा तब तो।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय,आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वो 31 मार्च तक इसको सारा कैम्प लगाकर बंटवा दें।

अध्यक्षः 31 मार्च में कितना दिन बच गया है? मंत्री जी ने कहा है एक महीने में करा देंगे।

सर्वश्री तारकिशोर प्रसाद,सुदामा प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,बिहार सरकार ने बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन कर महिला सरकारी सेवकों को देय प्रसव छुट्टी 135 दिनों के बजाय 180 दिन देने का फैसला लिया है,परन्तु इसका लाभ लगभग डेढ़ लाख कार्यरत महिला नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में 135 दिनों की प्रसव छुट्टी नियमित एवं नियोजित कर्मचारियों के लिए समान था,जबकि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान की श्रेणी में शामिल कर लिया है।

अतः महिला सशक्तिकरण एवं समानता के आधार पर नियोजित महिला शिक्षकों को भी 180 दिनों का प्रसव छुट्टी देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री अशोक चौधरीः अध्यक्ष महोदय,विभागीय संकल्प संख्या 1529 दिनांक 11-8-15 द्वारा नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त्त निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है। नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त्त निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। अधिसूचित नियुक्ति नियमावली,2012 के आलोक में महिला शिक्षक/ पुस्ताकलयाध्यक्षों को 135 दिनों के मातृत्व अवकाश 180 दिन विस्तारित करने के संबंध में उपरोक्त निर्देश पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब 135 दिनों को संशोधित कर के 180 दिनों का प्रावधान सरकार ने 6 जनवरी के कैबिनेट की बैठक में कर दिया। वह निर्गत भी हो गया है और वो इफैक्ट भी हो गया लेकिन जो नियमित महिला शिक्षिकाएं हैं उन पर इफेक्ट भी है तो सरकार उसके साथ ही साथ जब कि वो वेतनमान की श्रेणी में शामिल

हो गयी है तो उसके साथ ही साथ क्यों नहीं उसको प्रभावी किया जा रहा है जबकि महिलाओं को प्रकृति ने जो एक विशेष मातृत्व सुख का वरदान दी है, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,उसका लाभ तो दोनों को मिलना चाहिए।

अध्यक्ष: तारकिशोर जी,माननीय मंत्री जी ने तो एक तरह से सकारात्मक उत्तर दिया है। उन्होंने तो कहा है कि सेवा शर्त्त नियमावली इनलोगों के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए बन रही है और उसमें इस बात पर भी वो समिति विचार करेगी।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय,हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सरकार इसको तत्काल क्यों नहीं प्रभावी करती है? जब तक सेवा नियमावली में संशोधन होगा तो बीच में जो लाभ से बंचित हो रहे हैं..

अध्यक्ष: तारकिशोर जी, नियम बनेगा तब न लागू होगा?

श्री तारकिशोर प्रसाद: महोदय,आखिर वो सरकार कबतक इसको लागू करना चाहती है, कबतक संशोधन करना चाहती है नियमावली में? यही सरकार बतावे।

श्री अशोक चौधरी: अध्यक्ष महोदय, नियोजित शिक्षकों को वेतनमान जब से दिया गया है। उसके बाद उनके सेवा शर्त्त नियमावली के लिए कमिटी हाई लेवेल बनी थी लेकिन चुनाव के चलते वो कमिटी अपना रिपोर्ट सब्मिट नहीं कर पायी है। आने वाले वित्तीय वर्ष में बहुल जल्द, सरकार इसके ऊपर संवेदनशील है, चिन्तित है, चाहती है कि जल्द से जल्द इसका निर्धारण किया जाये और जल्द से जल्द इसका रास्ता निकाला जाय।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–10/मधुप/28.3.16

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : गृह विभाग के अनुदान की मॉग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	– 59 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	– 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	– 2 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	– 2 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	– 2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 1 मिनट
निर्दलीय	– 3 मिनट

कुल	– 180 मिनट

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, अपनी मॉग प्रस्तुत करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''गृह विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए 72,97,36,46,000/– (बहत्तर अरब संतानवे करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मॉग पर माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अरूण कुमार सिन्हा, डॉ0 सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री सचीन्द्र प्रसाद

सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पार्टी की अनुशंसा के मुताबिक 12 मिनट का समय है ।

श्री विनोद कुमार सिंह : जी सर । आपका आशीर्वाद होगा तो दो-चार मिनट और मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग की माँग पर डिबेट में हमलोग भाग ले रहे हैं। हमें कुछ बातें याद आ रही हैं, जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेसी हुकूमत का शासन बिहार में बढ़िया नहीं था । इसके खिलाफ हमलोग लड़ाई लड़ रहे थे और बिहार के अन्दर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत ही जद्दोजहद के बाद 2005 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार बनी, जिसे हम एन0डी0ए0 की सरकार कहते हैं । एन0डी0ए0 की सरकार में जो उपलब्धियाँ रहीं और बिहार के अन्दर में जो कानून का राज स्थापित हुआ था उसकी सराहना सम्पूर्ण भारतवर्ष में की जा रही है और बिहार के लोग भी उन बातों को याद करते रहते हैं कि उस समय का पीरिएड बहुत अच्छा था, बेहतर था । लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी को अलग किया गया तब से बिहार के अन्दर पता नहीं, जिस प्रकार से लालू-राबड़ी की सरकार 15 सालों तक बिहार के अन्दर में कुशासन के नाम से जानी जाती थी और बिहार के अन्दर में जंगलराज कायम था । उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति बिहार के अन्दर में, जब से भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया गया तब से इन बातों की चर्चा सम्पूर्ण भारत और विश्व के अन्दर में होने लगी ।

हम स्मरण करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, ज्यादा उदाहरण हम देना नहीं चाहते हैं । हम सिर्फ 1990 से लेकर 2005 की बातों को याद कराना चाहते हैं । 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के अन्दर में लालू-राबड़ी की सरकार में सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार हुआ....

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, किसी का नाम लेने के पहले मर्यादा का ख्याल रखना चाहिये, ये कह रहे हैं लालू-राबड़ी की सरकार....

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह : ठीक है । मैं मानता हूँ, लालू-राबड़ी जी की सरकार । अध्यक्ष महोदय, 2004 की घटना का जिक्र हम करना चाहते हैं, 2004 में लालू-राबड़ी जी की ही सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी । उस समय 3861 हत्याएँ की गईं, 15 सालों के अन्दर सबसे ज्यादा रेकर्ड स्थापित करने वाली घटना 2004 की है, उस समय 3861 हत्याएँ हुई थीं एक साल में इस बिहार के अन्दर, वहीं डकैती हुई थी 1297, 2909 लूट की घटनाएँ, फिरौती के लिए अपहरण हुआ था 411, सड़क डकैती हुई 287, सड़क लूट हुई थी 1875, बैंक डकैती हुई थी 30 और बैंक में 27 लूट की गई थी । जिस समय नीतीश जी की सरकार बिहार के अन्दर आई, उस समय एन0डी0ए0 की सरकार थी, हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से इन बातों को सदन के अन्दर में हम रखना चाहते हैं । 2004 में लालू-राबड़ी जी की सरकार में 3861 हत्याएँ की गई थीं, 2007 में जब एन0डी0ए0 की सरकार थी बिहार के अन्दर में, तो 2963 हत्याएँ हुई, यह बात हम नहीं कह रहे हैं कि उस समय हत्याएँ नहीं हुई थीं, कहाँ 2004 में 3861 हत्याएँ और 2007 में 2963 हत्याएँ, डकैती 646 हुई थीं 2007 में लेकिन 2004 में डकैती 1297, 1729 लूट हुई थी, उसी जगह 2004 में 2909 लूट हुई थी, 2007 में 89 हुआ था फिरौती के लिए अपहरण, 151 हुआ था सड़क डकैती, 1109 सड़क लूट, बैंक डकैती 19 और बैंक लूट 09 हुआ था । फिर 2007 के बाद, जनवरी, 2015 से लेकर दिसम्बर तक की जो आपराधिक घटनाएँ हमारे सामने आयी हैं जो लिखित और बिना लिखित भी है - 2,61,301 आपराधिक घटनाएँ इस बिहार के अन्दर में हुई हैं । संज्ञेय अपराधों की संख्या 1,95,397 है जिसमें 2015 में 3178 लोगों की निर्मम हत्या की गई, 426 डकैतियाँ हुई हैं, 1640 लूट किये गये, 4518 सेंधमारी की गई, 22,461 चोरी हुई है, बिहार के अन्दर 13,111 दंगे हुये, 7127 अपहरण हुआ, 58 फिरौती के लिए अपहरण हुआ, बहु-बेटियों का बलात्कार बिहार में अन्दर 1,041 हुये, सड़क लूट 1195 हुये, बैंक डकैती 09 और बैंक लूट 05 किये गये हैं । 2004 के रेकर्ड को भी और बढ़ाने का काम 2015 में किया गया है ।

हम आपको बताना चाहते हैं 11 जुलाई, 1996 की घटना, बिहार को दहला देने वाली घटना है । बिहार के अन्दर में बहु-बेटियों ने किस प्रकार से अपना सपना सँजो कर रखा था, जो बेटियाँ बिहार की पढ़ती हैं, बेटियों की शादी होती है, किस प्रकार से अपने सपने को सँजो कर रखा कि हमारी शादी होगी, अपना दाम्पत्य जीवन हम बितायेंगे, हम बिहार के लिए भी कुछ करना चाहेंगे लेकिन हमको याद है लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, 11 जुलाई,

1996 को दिन के 2 बजे 21 निहत्थे लोगों को एक लाईन में खड़ा करके गोली मार दिया गया, 21 लोगों की हत्या हो गई ।

...क्रमशः...

टर्न–11/आजाद/28.03.2016

...क्रमशः...

श्री विनोद कुमार सिंह : उसी समय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में हम बताना चाहते हैं कि पूर्णिया के अन्दर में निखरैल जैसा गांव जहां दो दर्जन आदिवासियों की निर्मम हत्या की गई, वैशाली में दिन–दहाड़े डी0एम0 की हत्या कर दी गई, कटिहार में बारसोई के अन्दर में सी0ओ0 की हत्या की गई, बिहार के प्रखर छात्र नेता चन्द्रशेखर की हत्या की गई, यहां तक ही नहीं अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि बिहार के अन्दर में विधायक भी असुरक्षित थे, अजीत सरकार, बृजबिहारी प्रसाद, देवेन्द्र दूबे जैसे लोगों को सीने में गोली मारकर छलनी कर दिया गया। बिहार को ये दूषित कर दिये, ये बिहार को विश्व के अन्दर में एक अपराध जगत का राज्य स्थापित किया था । आज इन बातों को दोहराया जा रहा है । 2015–16 में, उस समय भी दियारा क्षेत्र में लूट और हत्यायें की जा रही थी, आज एन0डी0ए0 की सरकार चली गयी, बिहार के अन्दर में आज महागठबंधन की सरकार आयी है । इस महागठबंधन की सरकार में अध्यक्ष महोदय आप और हम जानते हैं कि बिहार के अन्दर में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार काबिज है और यह सरकार चल रही है । बड़े भाई और छोटे भाई की भी हम चर्चा करेंगे। हम एक रामायण की पंक्ति के साथ अन्त में कहना चाहेंगे । चार महीने के अन्दर में हमारा बिहार लहू–लुहान हो गया, बिहार फिर से बदनाम होने लगा, बिहार के अन्दर में 2004 में जिस प्रकार से चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार होता था, उस रिकोर्ड को भी बढ़ाने का काम इस बिहार के अन्दर में 2015–16 में हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, हम कटिहार जिला के बारे में बताना चाहते हैं, कटिहार जिला के अन्दर में 3 फरवरी,2016 को लखन अग्रवाल की हत्या की गई, शंभु गुप्ता नाम के एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई, रेल कर्मचारी राहुल की भी हत्या इस बिहार के अन्दर में की गई, इसी बिहार के अन्दर में मंजीत सिंह फौजी की हत्या की गई, पेशकार आलम किसान की हत्या की गई, छींटाबारी निवासी अर्जुन तांती की हत्या की गई, शरीफगंज में सेमी, पिस्टल, ए0के047 बरामद हुआ। जिस हथियार से लैस होकर क्रिमिनल पकड़ाये गये, उसके विरूद्ध में आज तक

कार्रवाई नहीं हुई । हम आपको बताना चाहते हैं, आप घबराईए नहीं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, ये सैकड़ों रेकर्ड हमारे साथ है । मैं जो भी बोलता हूँ, राजनीति से प्रेरित होकर नही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वह दिल की आवाज और बिहार के अन्दर जो घटना घट रही है, उन बातों को सदन में रखना चाहते हैं । 29 फरवरी, 2016 की घटना है .....

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश प्रसाद सिंह के घर में चोरी, बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराने वाले पकड़े नहीं जा रहे यहां पर । पेपर कटिंग को जरा सुनिए, 2 दिसम्बर,2015 का सलमारी में नहीं थम रहा सूबे में लूट का सिलसिला, एक बात देखिए बिहार में अपराध ही अपराध.....

अध्यक्ष : विनोद जी, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप जल्दी से अपनी बात कह डालिए।

श्री विनोद कुमार सिंह : 4 मिनट है अध्यक्ष महोदय । खाते से गायब 40 लाख बाहर ट्रांसफर, गिरती कानून व्यवस्था पर बोले राज्यपाल, यौन शोषण में फंसे एम्स के डिप्टी डायरेक्टर, राजधानी से गायब बच्चों को नहीं ढूढ़ पा रही पुलिस, अपराधियों के दबाव में राज्य सरकार, बगहा में बैंक का 20 लाख रू0 लूटा, सहमे कर्मचारियों ने मांगी सरकार से सुरक्षा, वैशाली में ए0एस0आई0 की हत्या, नीतीश शासन में हत्याओं का नहीं थम रहा सिलसिला, सीतामढ़ी में रंगदारी के लिए डॉक्टर के घर पर फायरिंग, दुष्कर्म में फँसे राजद के विधायक, पुलिस ने किया अपराध तो क्या ए0एस0आई0 करेंगे कार्रवाई, हादसे के बाद उपद्रव, थाना अध्यक्ष की मौत, 4 साल में 4 मामले का ही निपटारा हुआ, गर्म सलाखों से दाग कर नौकरानी को मार डाला, इस बिहार में क्या हो रहा है ? शंकरबिगहा नरसंहार में सभी 24 अभियुक्तों को .....

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक लाईन लास्ट में रामायण का जरा सुन लिया जाय, सुन लीजिए, बस दो मिनट का समय लेंगे । सीता माँ का भी अहपरण हुआ था और रावण अपहरण करके ले गया था सात समुन्दर पार करके और उस समय राम के छोटे भाई लक्ष्मण गये थे दोनों भाई मिलकर सीता माँ को छुड़ाने के लिए और वहां पर समुन्दर महाराज रास्ता नहीं दे रहे थे, जब उनको रास्ता नहीं दिया तो समुन्दर महाराज को छाती भेदने के लिए प्रभु श्रीराम ने छोटे भाई को कहा, देखते क्या हो लक्ष्मण, तुम्हारे भाभी का अपहरण हुआ है, निकालो तरकश से तीर, भेद दो समुन्दर महाराज की छाती को और उसमें कहा गया है कि :-

''सात दिवस तक पन्त मांगते, रघुपत सिन्धु किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छन्द, अनुनय के प्यारे-प्यारे ,
उत्तर में जब एक नाद भी, उठा नहीं सागर से,
उठी अधीर धधक पौरूष की, आग राम की सर से । ''

अध्यक्ष महोदय, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता को छुड़ाकर हिन्दुस्तान लाया और आज बिहार का राम और लक्ष्मण के समय में बिहार के बेटियों का अपहरण हो रहा है और ये मूकदर्शक बने हुए हैं और इसको छुड़ा नहीं पा रहे हैं। इस कारण सरकार के द्वारा जो अनुदान मांग पेश किया गया है, उसके संबंध में हमने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है, इनको एक नैया पैसा देना नहीं चाहिए महोदय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कोई सदस्य बोलते हैं तो कृपया सुनिए । आप सबों की बारी आती है, अपनी बारी आने पर अपनी बात कहिए । श्री ललित कुमार यादव । ललित जी, आपने अपने लिए खुद से 15 मिनट का समय निर्धारित किया है ।

श्री ललित कुमार यादव : थोड़ा तबियत अस्वस्थ है महोदय, नहीं तो और समय लेता ।

अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग का वर्ष 2016-17 का जो अनुदान मांग माननीय प्रभारी गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज गृह विभाग का अनुदान मांग सदन में प्रस्तुत किया गया है । गृह विभाग का कई मायने में अहम भूमिका होता है । एक तो स्वयं इस विभाग के मंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं । दूसरा राज्य में अमन-चैन और न्याय के साथ विकास और सुदृढ़ उत्तरदायित्व प्रशासन कायम करना गृह विभाग का दायित्व है । महोदय, इस महागठबंधन की सरकार बनने के बाद गृह विभाग का पहला अनुदान मांग आया है । गृह विभाग का मांग अनुदान इस मायने में भी अहम है कि 2015 में विधान सभा चुनाव में जो महागठबंधन का महाबहुमत के साथ जिस सरकार का गठन हुआ है आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया जी के महागठबंधन के बाद यह सरकार बनी है । इस सरकार का दायित्व है, सरकार का यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था हम कायम करेंगे महोदय ।

..... क्रमशः .....

टर्न–12/अंजनी/दि0 28.03.16

..क्रमशः..

श्री ललित कुमार यादव : किस तरह से कानून व्यवस्था हम कायम करेंगे, आज बिहार का कानून व्यवस्था के नाम पर, विधि व्यवस्था के नाम पर आज बिहार में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम है। महोदय, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके जिम्मे गृह विभाग भी है और बिहार में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में, जो बिहार की शासन व्यवस्था, राज्य की विधि व्यवस्था जिसके संबंध में आज चर्चा हो रही है जो बिहार के नीतीश कुमार जी के जिम्मे हैं, उनके जिम्मे कानून व्यवस्था है और यही कारण है कि आज बिहार में कानून व्यवस्था का राज है और कानून व्यवस्था के नाम पर कोई भी लोग, बड़े–से–बड़े लोग क्यों न हों, कानून अपना काम कर रहा है और उसके बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा । आये दिन उदाहरण है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है, कुछ घटनायें घटी हैं, वह दुःखद है, हम भी उसके प्रति दुख प्रकट करते हैं । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, बड़े–से–बड़े लोग क्यों न हों, चाहे कोई लोग हों, कानून ने अपना काम किया है, उसको तोड़ने का काम नहीं किया है । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरभंगा डबल मर्डर इंजीनियरिंग कांड हुआ लेकिन आज क्या है, उस घटना में जितने भी लोग सम्मिलित थे, सभी लोगों को पकड़ा गया और भी जो घटनायें घटी हैं, उसमें बड़ा–सा–बड़ा आदमी क्यों न हो, उनको छोड़ा नहीं गया है तो बिहार में कानून का राज है, महोदय । आपको मानना होगा । हम दूसरे प्रदेश के बारे में भी बतायेंगे कि यहां और दूसरे राज्य में क्या स्थिति है जहां बी0जे0पी0 शासित राज है। आपकी दिल्ली राजधानी है, वहां क्या स्थिति है । हरियाणा में अभी जाट आन्दोलन हुआ, कितने हजार, करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ, इसमें कितने निर्दोष लोग मारे गये हैं, वहां आपका शासन है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ । लेकिन बिहार में जो कानून का राज है और देश, दुनिया में नीतीश कुमार जी के शासन व्यवस्था का परचम लहरा रहा है कि नीतीश कुमार जी का शासन व्यवस्था कितना सुदृढ़ है । कितना उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन है, इसलिए आज लोग बिहार का नाम गर्व से लेते हैं कि बिहार में शासन, प्रशासन का राज है, कानून का राज है । महोदय, आज 24 घंटे हेल्प लाईन खोला गया है मोडर्न कंट्रोल रूम के रूप में, क्या है यह ? कहीं भी किसी भी थाने में, किसी कोने में, किसी टोले में, किसी कसबे में, यदि कोई घटना घटती है तो बिहार सरकार का मौडर्न कन्ट्रोल रूम है, जिसे 24 घंटा त्वरित गति से, किसी तरह से चाहे और्गेनाइज्ड क्राइम हो या दूसरे

तरह का क्राइम हो, तुरंत थाने को निदेशित होगा और उसपर अंकुश लगाया जायेगा, उसको निदेश मिलेगा कि मामले को तुरंत हल कीजिए, यदि उसमें कोई कोताही बरती जायेगी तो उसके लिए भी बहुत उपाय किय गये हैं , वे भी बख्शे नहीं जायेंगे, इसमें कहीं कोई भी कोताही होगी तो । महोदय, एक–दो उदाहरण नहीं हैं, आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत् का आरक्षण दिया गया है । आज एस0सी0,एस0टी0थाना, महिला थाना का सृजन किया गया है, उसमें नयी जिप्सी और नयी संसाधन का मुहैया कराया गया है ताकि किसी तरह का कोई कठिनाई न हो । आज बिहार में अमन, चैन का राज कैसे कायम रहे, उसके दिशा में अनेक कार्य किये गये हैं । महोदय, आज प्रयोगशाला के रूप में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जहां पटना में एक लैब था, फौरेसिंग लैब, उस दिशा में जांच लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्थापित किया गया है । मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस तरह के जो भी क्राइम होते हैं, उसकी तत्परता से जांच हो, उसमें लगे रहते हैं । इस तरह से सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं। महिलाओं के अपराध पर जो नियंत्रण किया गया है, वह एक अनूठा कदम है । आज महिला थाना का अलग से सृजन हुआ है, उसके लिए संसाधन की व्यवस्था की गयी है। तार घेराबंदी की दिशा में, आज सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाली स्थिति रहती थी, आज वह स्थिति नहीं है। समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे, जातीय उन्माद नहीं फैले, उसके रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया । कब्रिस्तान की जो घेराबंदी है, वह निर्वाध रूप से, सिलसिले वार ढ़ंग से हो रही है । जो कब्रिस्तान ज्यादा सेंसेटिव हो, उसकी घेराबंदी तुरंत होनी चाहिए , उस दिशा में आज कार्य भी हुए हैं । महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव भी है कि जहां एस0पी0, डी0एम0 का संयुक्त टीम बना हुआ है और जिस तरह की जांच होती है जहां सेंसेटिव है, वह नहीं आ पाता है । मैंने आज ही प्रश्न किया था । हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन कब्रिस्तान की घेराबंदी है एक कब्रिस्तान आमी में है जो नैना घाट पंचायत में है और दूसरा सौंकी पंचायत में है, जो झफड़ा गांव में है,? तीसरा हमने बताया था, अभी याद नहीं है। जहां आबादी है हिन्दुओं की चार हजार और मुस्लिम की आबादी है तीन सौ तो ऐसी जगह पर सेंसेटिव कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराते । जहां 6हजार–7हजार मुस्लिम की आबादी है, वहां के कब्रिस्तान में कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाला नहीं है लेकिन जहां 3हजार–4हजार हिन्दु की आबादी है, तीन सौ–चार सौ मुस्लिम की आबादी है, वहां कब्रिस्तान की छंटाई हो रही है । उसका अतिक्रमण हो रहा है । उसको छोड़कर यदि दूसरा लिया जा रहा है तो इसके लिए जो भी संबंधित

पदाधिकारी हैं, चाहे बड़े से बड़े पदाधिकारी क्यों न हो, वहां के जिला पदाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक क्यों न हों, उसके लिए भी उनको जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए । यदि इसके कारण कोई घटना घटती है तो उनके उपर भी जिम्मेवारी ठहराया जाना चाहिए । महोदय, राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कानून का राज स्थापित करना । आज अपने राज्य में और दूसरे राज्य के क्राइम का आंकड़ा देखते हैं या आज महिला के अत्याचार में, महिला के बलात्कार के संबंध में या और भी जो संज्ञेय अपराध हों, दिल्ली जहां इनका शासित राज है जो प्रधानमंत्री के अंडर में है । महोदय, हरियाणा में, मध्यप्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या बगल में झारखंड जैसे राज्य में, बालूमाथ में प्रमुख व्यापारी को किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गयी और भी इनके और भी शासित राज्य में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्यप्रदेश में, जहां बी0जे0पी0 शासित राज है, इससे सौ गुणा अच्छा बिहार का कानून व्यवस्था है । इनका मध्यप्रदेश और दूसरे राज्य में इतनी स्थिति खराब है, जिसको कहने की जरूरत नहीं है । महोदय, ये बी0जे0पी0 के लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है । महोदय, माननीय सदस्य श्री विनोद जी बता रहे थे लूट और हत्या के बारे में, जंगल राज के बारे में बता रहे थे तो आपको हम कहना चाहते हैं कि साढ़े सात साल हमलोग भी विपक्ष में थे और किस तरह से आप राम राज, नीतीश कुमार और मोदी का राम और लक्ष्मण का आप विलाप कर रहे थे, हमलोग दस साल उधर रहे हैं वर्ष 2005 और 2010 में, आपको हमलोग देखे हैं कि किस तरह से आपलोग राम और लक्ष्मण की जोड़ी कर रहे थे और देखे कि आपको जब शासन से, सरकार से हटा दिया गया तो जिस तरह से शासन के लिए, प्रशासन के लिए, राज के लिए, यदि जल से मछली को निकाल दीजिए तो उसी तरह से आपको देख रहे थे कि बी0जे0पी0 के लोग तड़प रहे थे, कैसे आप लोग तड़प रहे थे

क्रमशः....

टर्न–13/शंभु/28.03.16

...क्रमशः...

श्री ललित कुमार यादव : और इस बार आपको सामाजिक न्याय और नीतीश कुमार जी की जोड़ी आपको कहां पहुंचा दिया, आप अपने आप को स्मरण कीजिए कि कहां पहुंच गये और उसके लिए स्थिति रही आपलोग सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़नेवाले लोग हैं। आपलोग समाज में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। आपका एक मकसद है बी0जे0पी0 का कि हम भाई भाई में अलग करके हम सांप्रदायिक

सौहार्द्र बिगाड़कर करके कैसे सत्ता में आयें। आप यह सपना देखना छोड़ दीजिए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी आये दिनों में ऐसी हो गयी है- बिहार में कानून व्यवस्था चार साल पहले जब ये सत्ता में थे तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था और आज इनको सबकुछ उल्टा-पुल्टा लग रहा है। ये लोग महोदय, भारत जलाओ पार्टी हैं।

अध्यक्ष : अब आपका समय करीब हो रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी- यह भाई-भाई को अलग करना चाहता है कि किसी तरह से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये चाहेंगे इस राज्य को बर्बाद क्यों नहीं कर दें, जनता का इनको कोई परवाह नहीं है, जनता बर्बाद हो जाय इनको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए इनको सत्ता में हम कैसे काबिज रहें। महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ। महोदय, पिछले दिनों विधान सभा में भी इस मामले को उठाये थे कि 214/15 एक घटना घटी थी। महोदय, जो मुख्य अभियुक्त थे 15 अगस्त को किस तरह से उसको मारकर एक तरह से फेंक दिया और उसको थाना प्रभारी के संज्ञान में थाना प्रभारी ने उसका हॉस्पीटल में इलाज कराकर- लोग गये तो थाना प्रभारी भी गये, देखे। चश्मदीद गवाह थे और उसके दस दिनों के बाद जिसको मारकर फेंक दिया उसी पर एक झूठा केस कर दिया। उसको वह संजय कुमार थाना प्रभारी मनीगाछी मेरे ही विधान सभा में है, हम भी उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस तरह से निर्मम उसपर हमला हुआ और दस दिनों के बाद उसी महफूज आलम पर झूठा केस 218/15 कर दिया गया। जिस तरह से सिनेमा में और नाटकीय ढंग से उसपर केस कर दिया गया और विधान सभा में भी यह मामला आया तो मात्र जो उस केस के आइ0ओ0 थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। महोदय, आइ0ओ0 को सस्पेंड कर देना समस्या का समाधान नहीं है। महोदय, दस दिनों के बाद झूठा केस हो और उसमें जिस व्यक्ति पर हमला हो उसी पर 307 लगा दिया गया और भागा फिर रहा था। दूसरा वही थाना प्रभारी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन का मिट्टी कटवा दिया, फोरलेन में फेंक दिया, बेचवा दिया, उसके जमीन का अतिक्रमण करा दिया, उस जमीन को बेचवा दिया।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री ललित कुमार यादव : उस केस में उसको ट्रांसफर- आपही गृह विभाग के प्रभारी मंत्री थे उस थाना प्रभारी को हटाए। दूसरा उसको फिर घटना घटी। इसमें एस0पी0 को, डी0आइ0जी0 को और डी0एस0पी0 को सारे लोगों के संज्ञान में था। 7 महीना तक वह भागा रहा जब मामला आया आपके सदन में तब उस आइ0ओ0 को

आनन फानन में सस्पेंड करके उसपर से 307 दफा हटाकर के उसको बेल दे दिया गया।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए।

श्री ललित कुमार यादव : यह सुशासन के कार्यक्रम में ऐसे पदाधिकारी यदि रहेंगे तो सुशासन के सरकार को निश्चित रूप से बदनाम करेंगे और ऐसे पदाधिकारी पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करने की सरकार को जरूरत पड़े तो बर्खास्त करना चाहिए। हम पुनः सरकार के पक्ष में आज गृह विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रवि ज्योति कुमार : सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं पहली बार जीतकर आया हूँ और सदन में आपकी कृपा से बोल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने नेता श्री नीतीश कुमार, श्री लालू यादव, श्रीमती सोनिया गांधी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐज ए पुलिस ऑफिसर मैं एक्टिंग पुलिस ऑफिसर था और समाज में आज भी पुलिस को निगेटिव नजर से देखा जाता है। अगर मैं इस सदन में खड़ा हूँ तो यह पुलिस की जीत है और यह अवाम की जीत है और यह सुशासन की जीत है। राज्य में कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। मेरा खड़ा होना ही यह प्रमाण है कि राज्य में कानून का राज है। सबसे बड़ी बात जो मेरे माननीय नेता कल जो विपक्ष के साथी थे तो वे बहुत अच्छे थे आज अगर वह विपक्ष के साथ नहीं हैं तो वह खराब हो गये हैं। दुसरी सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वे माननीय मेरे नेता का स्वभाव और कार्यकलाप से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जो सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए लॉ ऐंड आर्डर ऐंड क्राइम कंट्रोल ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो डाटा, जो आंकड़ा हमारे विपक्ष के द्वारा दिया जा रहा है, उस आंकड़े से अगर देखा जाय तो एन0सी0आर0बी0, नेशनल क्राइम रेकार्ड ब्यूरो के द्वारा वर्ष 2014 में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख जनसंख्या 129.2 है। देश में बिहार 1174.2 के दर से 22वें स्थान पर हैं। लोग भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं और अगर इसके अलावे भाजपा शासित राज्यों को देखा जाय। जैसे हरियाणा, मधयप्रदेश, छतीसगढ़, राजस्थान, झारखण्ड उनकी स्थिति से अगर अपने राज्य की स्थिति का कंपेयर किया जाय तो उनसे हमलोग बेहतर स्थिति में हैं। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्राइम कंट्रोल और लॉ ऐंड आर्डर के इश्यू पर जो बात हुई है और जिसके फेवर में मैं बोल रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पुलिस का रेस्पांड टाइम देखिए। पुलिस कितने देर में रेस्पांड करती है, घटना स्थल पहुंचने पर, मैं एक पुलिस

औफिसर रहा हूँ और 21 साल पुलिस का काम किया है। जैसे ही घटना स्थल की घटना के बारे में खबर होती है थाने स्तर पर पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है यह रेस्पांड टाइम है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी विजिबुल पुलिसिंग अभी देखी जा रही है। जो राज्य में विजिबुल पुलिसिंग अभी देखी जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, सी0सी0टी0वी0 से आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आप किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा किडनैपिंग की बात की जा रही है। कैलाश सत्यार्थी जी को जब से नोबेल प्राइज मिला है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक भरडिक्ट निकाला है कि जिसमें मिसिंग एफ0आइ0आर0 भी होती है तो वह भी किडनैपिंग में कन्वर्ट करते हैं। मैं दावा करता हूँ, मैं चुनौती करता हूँ कि जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी है, एक भी आदमी बता दे कि किडनैपिंग फोर रैनसम हुई है, एक भी आप उदाहरण दे दीजिए कि किडनैपिंग फोर रेनसम हुई है। यह भय का वातावरण एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, भय का वातावरण क्रियेट किया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के दौरान इन्होंने जंगलराज, जंगलराज बोले हैं उसी जंगलराज को उसी गलत को प्रूफ करने के लिए एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं कि बिहार में जंगलराज है। जहां तक मेरी सरकार की बात है आप एस0सी0, एस0टी0 का देख लीजिए, महिला सुरक्षा के लिए देख लीजिए। सरकार 35 परसेंट महिला रिजर्वेशन दी है। जहां कोन्सटेबुल से लेकर सब इन्सपेक्टर तक महिला की बहाली हो रही है, महिलाओं के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोली गयी है जो रोहतास में रन कर रही है। उसके बाद राज्य के प्रत्येक थाना में महिलाओं के लिए बैरक, शौचालय की व्यवस्था की गयी है। सबसे बड़ी बात जो बहुत दिनों से थी सभी आदमी को मालूम था और किसी ने इस बात पर क्वेश्चन नहीं उठाया है। आज भी प्रत्येक पुलिस लाइन में जात के नाम पर मेस चलता था, लेकिन सी0एम0 साहब ने यह पब्लिकली एलान किया और डी0जी0 साहब को बोले कि देखिए और इसको बंद करवाइये क्योंकि पुलिस तो सभी के लिए होती है यह जात के लिए नहीं होती है, सभी के लिए होती है।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्रीमती लेशी सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि उनकी नजर इसपर नहीं गयी थी क्या उनको यह पता नहीं है। दूसरी बात इन्टरनल सिक्युरिटी- आज इन्टरल सिक्युरिटी में बिहार की पुलिस पूरे इंडिया के पुलिस में नंबर एक गिनी जा रही है। आपका ए0टी0एस0,

एस0टी0एफ0- एस0टी0एफ0 की ट्रेनिंग होती है रेहंद में, मनेसर में..... क्रमशः...

टर्न-14/अशोक/28.03.2016

श्री रवि ज्योति कुमार : ....क्रमशः ... आज भी संगठित अपराध के विरूद्ध आज एम.सी.सी. श्रमबाधियों के विरूद्ध जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी एचिभमेंट हुई है रैदर देन अदर स्टेट, मेरा स्टेट एक नम्बर पर है । क्योंकि मैं पुलिस में भी रहा हूँ, एस.टी. एफ. में रहा हूँ, दूसरे स्टेट में भी जाता हूँ, मैं ग्रेहौंड ट्रेन्ड होकर आया हूँ ।

दूसरी सबसे बड़ी बात जो उग्रवादी के लिए, एम.सी.सी. के लिए, चरमपन्थियों के लिए, सरकार ने सरेन्डर एण्ड रिहैब्लीटेशन प्रोग्राम रखी है, उस सरेन्डर एण्ड रिहैब्लीटेशन में, उनको रिहैब्लीटेट किया जाता है ।

चौथी, बिहार के होम गार्ड के लोगों की समस्याओं का हल किया गया है, उनकी यात्रा भत्ता बीस रूपये से एक सौ रूपया कर दिया गया है, दैनिक भत्ता चार सौ रूपया कर दिया गया है और उनकी उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है । जहां तक पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात है, जो एफ.एस.एल. है, जो पुलिस की प्रयोगशाला है वह पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी खुल रही है । तीसरी, पुलिस बिल्डिंग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग में 90 करोड़ की लागत से बन रही है, जो निर्माणाधीन है । चौथी बात, पूरे स्टेट के सभी थाने में एनड्रायड फोन दी गई है, वाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर से पुलिस को जोड़ी जा रही है, इन कमिंग फ्यूचर बिहार पुलिस की एप्स की भी बात है जिससे मोबाईल पर भी देखी जायेगी कि पुलिस की क्या रिसपौंड है, क्या उसकी कार्य-कलाप है। जहां तक अराजकता की बात है, तो उस समय, जो मेरे स्टेट की बात कही जा रही है, आप रोहित वैमुला, जे.एन.यू. की कांड को देखा जाय, वहां क्या हो रही है ? सेन्ट्रल गर्वनमेंट क्या कर रही है और हमारे सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जहां तक इनटॉलरेंस की बात है, ये भी समाज से जुड़ा हुआ, गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, यहां जितने भी शिडियूल कास्ट से जुड़े हुये सदस्य हैं वे अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें कि क्या अपने जीवन में कभी इनटॉलरेंस फिल किये हैं या नहीं किये हैं ? हमलोग जिस सामाजिक परिवेश में रह रहे है, आज भी भारतीय समाज मध्यइजीम बर्बर समाज में रह रहे है, तबायली बर्बर समाज में रह रहे हैं- मैं खुद बतला रहा हूँ जितने भी शिडियूल कास्ट के यहां मेम्बर्स हैं, क्या वे इनटालरेंस नहीं फिल किये हैं, क्या उनके साथ भेद-भाव, डिसक्रीमिनेशन नहीं

हुआ है ? इसका मतलब यह नहीं है कि हम देश के और जहां तक देश भक्ति की बात है, " भारत माता की जाय ", " तिरंगा की जाय"- क्या हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मुझ में देश भक्ति नहीं है ? महोदय, धन्यवाद ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी जी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी जी अनुपस्थित)

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर बिंद ।

श्री बृजकिशोर बिंद : महोदया, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गृह विभाग के पेश बजट के संदर्भ में दिये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ । बिहार में कानून की जो बिगड़ती हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सभी लोग बड़े ढ़ंग से जानते हैं । महोदया, राजा पहले राज्य के लिए होता है, फिर राज्य की जनता के लिए और जिस राजा के राज्य में देश की प्रजा ही सुरक्षित न रहे, उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न हो, लोग व्यवस्थित न रहें, जिस राज्य में चोरी डकैती, अपहरण, लूट, मर्डर, बलात्कार- ये सरेआम घटनायें घटती हो, रात के अंधेरे की बात तो दूर है, दिन की दोपहरी में, जिस समय से ये महागठबन्धन चला है, भाई ललित जी बोल रहे थे, मैं बड़ी बारीकी से सुन रहा था, अजीब विडम्बना है, आप बिहार को देंख रहे है, तो बात करते हैं राजस्थान का, बात करते हैं मध्यप्रदेश का, बात उठाकर, तुलनात्मक अध्ययन दिखलाते हैं झारखण्ड का । बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता ने मैनडेट आपको दिया है, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं झारखण्ड की जनता ने आपको जीता कर सदन के अन्दर नहीं भेजा है- अरे मैं तो कहता हूँ कि जिस सरकार में सदन के अन्दर, जहां कानून बनते और बिगड़ते हैं, जहां कानून के रखवाले हैं, वे रखवाले- रक्षक ही भक्षक बन जायं और जिस सदन के सदस्य अपने आप को सदन में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वैसी सरकार की बात करते हैं । वैसी सरकार की बात करते हैं ? और जो सरकार में सदन के अन्दर रहने वाला सदस्य कानून को बनाता हो, कहते है यही सुशासन की सरकार है? दिन दहाड़े बैंक लूटा जाता है- यही है बिहार का सुशासन ? थाने के करीब में रहने वाले बैक में डकैती होती है- यह है आपका सुशासन और न्याय के साथ विकास ? वाह रे भाई, कानून के रखवाले ! उत्तर देते हैं ले जाकर के मध्यप्रदेश का ? रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं बिहार में और बिहार की जनता के बोट के बदौलत जीत कर आते हैं सदन में और उदाहरण वहां का देने लगते हैं -अजीब विडम्बना है ? अजीब सी विडम्बना है । आप चलिये, इसी सदन का सदस्य, मैं तो नाम नहीं रखना चाहूंगा, एक कोई किशारी

को भगा कर कहां ले जाता है, इसी सदन का सदस्य, जिसकी बहुत बड़ी गरिमा है बिहार में, चलते हुये ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी करता है, यही है सुशासन ? यही है आपका न्याय के साथ विकास ? इतना ही नहीं, अरे राजद के एक साथी ने तो हद कर दिया, इतना हद कर दिया कि एक किशोरी के साथ इस तरह का बलात्कार किया गया- यही है आपका सुशासन ? और सुशासन का नारा देते हैं ? अभी एक पदाधिकारी महोदय बोल रहे थे कि हम भी प्रशासन में हैं, अरे आपकी बात क्या करें, हमलोग यहां पटना से कैमूर के लिए चलते हैं

(व्यवधान)

मैं आपको क्या बताऊं, एक राजद के साथी जो इस सदन के सदस्य हैं, इतना घिनौना हरकत किया कि हम भाजपा वालों का सर शर्म से झुक गया, शायद आपलोगों का झुकता हो या नहीं झुकता हो । क्या बात करेंगे ? न्याय के साथ विकास की बात करते हैं ? सुशासन की बात करते हैं ? यही है सुशासन ? मेरे मित्रों, जिस जनता ने जिसे जीताकर इस सदन के अन्दर भेजा है, मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि यदि आप दो आंखों से दुनिया को देखते हैं तो लाखों आंखों से दुनिया के लोग आपको भी देख रहे हैं । अगर यही स्थिति आपलोगों की रही, मुगालते में मत रहिये, जो चार महीने के सरकार में, अपराध का जो ग्राफ आपलोगों ने बढ़ाया है, बड़े आकार का ग्राफ बढ़ाया है और अबलाओं की आंचल को जो लूटा है आपलोगों ने, बिहार की जनता आंखों से देख रही है, लाखों आंखों से बिहार की जनता देख रही है, मुगालते में मत रहिये आने वाले समय में आप सत्ता से भी अलग हो सकते हैं - यही स्थिति रही तो । क्या मामला है, कथनी और करनी में कितना अन्तर, सरकार कहती है, जवाब भी आता है, जवाब भी आता है, इसी पर मुझे शेर याद आ गया....क्रमशः

टर्न-15-28-03-2016-ज्योति क्रमशः

श्री बृजकिशोर बिन्द : मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ ।

गर्मिए धूप, बरसे बरसात मत भूलो ।
बीती हुई रात और बीते हुए दिन मत भूलो ।
खोलकर रखो सामने दिल की किताब,
बुलन्दियॉ लाख कदम चूमे फिर भी
अपनी औकात मत भूलो ।

आप औकात से बाहर हो जाते हैं । आप कहते हैं कि आपकी सरकार, तो आपकी सरकार जरुर है, उदाहरण वहॉ मत दिखाईये । दूसरे प्रदेश का उदाहरण नहीं, मैं निवेदन करता हूँ । अपने अगुआ से भी निवेदन करता हूँ और इस तरह की जो स्थिति रही , बिहार प्रदेश का अगुआ- एक सदन के सदस्य के द्वारा इस तरह की घटना घटती रही और राजा ऑख फाड़कर देखता रहे, कान खोल करके सुनता रहे और मुंह फाड़कर के सफाई देते रहे कि इस प्रदेश में अभी हमलोग तुलनात्मक अध्ययन में हमलोग काफी अच्छे हैं । अरे जंगल राज नहीं तो क्या कहा जायगा ? जंगल राज- टू है ।

(व्यवधान)

गरीबों का राज कितना है आप बढ़िया से जानते हैं । आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछ लीजिये कि कितना गरीबों का राज्य है । ये गरीबों का राज्य नहीं जंगल राज है । इसमें मंगल आ नहीं सकता और जिस विधि से गठबंधन की सरकार चल रही है, छोटका और बड़का भईया की सरकार चल रही है । एक दो घटना का जिक्र हमारे बड़े भाई ललित जी ने किया, मैं आपको बधाई देता हूँ । सब से कह दिए कि खूब बढ़िया सरकार चल रही है और अंत में आकर कह दिए कि अध्यक्ष महोदय, थोड़ा इशारा करते हैं कि शासन व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए । इसका मतलब क्या हुआ ? दिल में तो कसक है ही कि घटना घट रही है लेकिन अब सत्ता पक्ष में बैठे हैं और उस तरफ से व्हीप जारी है तो आप कैसे कह सकते हैं । बोलने पर भी तो ताला लगा हुआ है और इसलिए यह सब बात नहीं कह सकते हैं । यही स्थिति है । आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी स्थिति में सुधार लाईये । नहीं तो यह सरकार जायेगी। बचेगी नहीं । और आप लोग इसको बचा भी नहीं सकेंगे। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं सरकार की कथनी और करनी में भी बड़ा फर्क है । 2014-15 में सरकार ने मेरे यहॉ कैमूर जिला के अधौरा प्रखण्ड में घोषणा की थी कि पॉच थाने का हम उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे लेकिन आजतक काम नहीं हो सका। 2014 का मामला है । आसन में, लोहरा में, सारोबाग में, करगहर में और ताला में और अधोरा एक ऐसी पहाड़ी है, आज मैं इस सदन को , सभापति महोदय, आपके माध्यम से सभी को, यह जेहन में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो कैमूर जिला का चैनपुर विधान सभा क्षेत्र है 157 कि0मी0 लम्बा है और 61 कि0मी0 चौड़ा है। देश की आजादी के बाद यह बिहार का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है । देश की आजादी के बाद यहॉ सुशासन की सरकार चल रही है । न्याय के साथ विकास हो रहा है। हम तो अपने बड़े भाई से ललित भाई से कहना चाहते हैं कि

जरा अधौरा चल कर देख लीजिये एक भी रास्ता बनी है ? 107 गांव हैं, 3 गांव छोड़कर किसी गांव में बिजली है ? 15 साल बिहार में श्री लालू जी की सरकार रही । और अब आपके छोटका भईया की सरकार चल रही है । यही न्याय के साथ विकास है ? कौंग्रेस की बात छोड़ दीजिये । अधौरा पहाड़ी में रोड नहीं होने के चलते वह तीन प्रदेश का बौर्डर है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखण्ड, जब वहॉ पुलिस प्रशासन के लोग टाईट होते हैं तो अपराधी अधोरा में आकर संरक्षण लेते है, एक भी रास्ता और रोड नहीं होने की वजह से नतीजा क्या निकलता है ? पुलिस आंख फाड़कर देखते रह जाती है अपराधी भाग करके फरार हो जाते हैं, यह स्थिति है, क्या यही न्याय के साथ विकास है ? एक उदाहरण देना चाहता हूँ । बिहार में अपराध की स्थिति बढ़ रही है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : एक मिनट आपका समय है ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : देख लीजिये , यही न्याय के साथ विकास है । यही सुशासन है। दरोगा समेत चार लोग घायल हो गए और अपराधी मार करके फरार हो गये , लख्खीसराय में थाने पर हमला हुआ है , यही आपका सुशासन है ? इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर किसान की हत्या और हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया, यही है महागठबंधन का सुशासन । यही है न आपका सुशासन ? मेरे मित्रों ये सोना व्यवसायी जो दुकानदार है, उससे रंगदारी मांगी गयी , रंगदारी नहीं देने पर, 20 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है । यही है आपका न्याय ?

सभापति (श्रीमती लेशाी सिंह) : अब आप समाप्त करें , माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : महोदया, एक मिनट । इतना ही नहीं, एक लाख रुपया रंगदारी एक व्यवसायी से मांगी गयी, देख लीजिये, यही आपका सुशासन है । दवा व्यवसायी को रंगदारी नहीं देने के एवज में गोली का शिकार होना पड़ा ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : मित्रो, कैमूर में हत्या कर दी गयी और हत्या करके लाश को फेंक दिया गया ।

सभापति (श्रीमती लेशाी सिंह) : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ,आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य डा0 जावेद जी । 7 मिनट ।

श्री मो0 जावेद : चिट्ठी दिए हैं मैम, शकील जी बोलेंगे।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, समीर कुमार महासेठ जी, 10 मिनट आपका समय है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदया, आज हम गृह विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदया, सही माने में जो जबसे हमलोग जीतकर आये हैं, परिपाटी यहाँ देखने को मिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे सदन में एक पक्ष केवल सरकार को बदनाम करने पर तुला हुआ है और उनकी सोच यही है कि हम सरकार को छोटी बातों से लेकर के सदन में खींचने का काम करें । लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा और साथ में चर्चा करुं तो शायद विपक्ष के लोगों का शायद जवाब नहीं मिलेगा । अगर इस बात पर चर्चा की जाय कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, यह अलग बात है । सच्चाई पर आप भी रहें और सच्चाई पर हमलोग भी रहें तब जाकर के आने वाला वक्त बातयेगा कि सुशासन की सरकार - 40 पार्लियामेंट में ज्यादा आप जीतकर चले गए । बिहार के एक एक ब्लौक में जो पहले भारत सरकार की 17 योजनाएं चलती थीं जनता के लिये, अब जनता जाती है और पूछती है कि भारत सरकार की कौन सी योजना चल रही है, वहाँ से जनता मायूस होकर लौट कर जाती है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है । आज हमारे विपक्ष के लोग पूरा शंखनाद कर रहे हैं , पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए चले हुए हैं । लेकिन अतीत में अपने झांक कर देखें कि कहाँ पर इनकी नीयत साफ है और कौन से बजट में इनकी पहले जैसी मदद है । जहाँ पर 15 परसेंट पहले लगता था अब 40 परसेंट बिहार सरकार को लगाना पड़ेगा । कहाँ पर आप अपेक्षा करते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब पुलिस बिल्डिंग कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन में जब पैसा एक मुश्त नहीं दिया जाता था, एक साथ थाना नहीं बनता था और आज पटना के एक कौर्नर में चले जाईये, लगता है कि बिहार का वह पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का कई बिल्डिंग चकचकाता हुआ दीख रहा है । बिहार के किसी कोने से आईये और पाँच धंटे में पटना में पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरे जहाँ से ये विपक्ष के लोग जीत करके आते हैं, शहर (टाउन) की हालत इन्होंने जो नगर विकास इनके जिम्मे में लगातार रहा , इनलोगों ने नर्क बना दिया । पटना को इन्होंने कहा था कि हम पेरिस बनायेंगे । यह याद दिलाने की बात है , आज कहना नहीं है जिसकी चर्चा करते हुए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा और साथ में, इन्होंने जो कहा है वह भी पक्ष रखूंगा कि समाधान का कौन सा तरीका है, सुधाार क्या चाहिए, जिस सुधाार में मुझे नहीं चाहिए, इनको भी चाहिए । सुधार केवल एक व्यक्ति के लिए एक विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं होता है ।

क्रमशः

टर्न–16/विजय/ 28.03.16

श्री समीर कुमार महासेठः क्रमशः मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि और साथ में इन्होंने जो कहा है वह भी पक्ष रखूंगा कि समाधान का कौन सा तरीका है । सुधार चाहिए यह सुधार इन्हें भी चाहिए । सुधार केवल एक व्यक्ति से हो तो विधान सभा पूर्ण नहीं होता है होता है तो 243 विधान सभा के लिए होगा । आज परिस्थिति कुछ और है हम सोच रहे हैं कि हम कहां थे और आज हमें कहां जाना है अगर इसकी चर्चा की जाय तो हम जिस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आते है वहां से इनके चार चार बार इनके लोग विधायक रहे इन्होंने क्या किया? अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं । एक ही चीज लगातार उसी चीज पर उछालते रहे और आज कम से कम जो जीतकर आये हैं अगर यही बात थी तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाने का इन्होंने सपना दिखाया और किसी एक व्यक्ति को चुना । वह हिम्मत नहीं था इनमें और आज जब महागठबंधन आराम से जीता और आज कुछ करने को सोच रही है चाहे वह सात निश्चय के माध्यम से हो, एक एक गली नली बनाने के माध्यम से हो, हर चीज सुधार करने की नीयत से हो और उस सुधार के माध्यम से जहां पर भारत सरकार को पैसा लगाना चाहिए क्यों नहीं जाकर दबाव डालते हैं कि जो 6 साल पहले हमारे यहां भारत सरकार के जितने भी पी0एम0जी0एस0वाई के एप्रूव्ड रोड थे जो नक्सल के वजह से बिहार झारखंड जब अलग हुआ था और उस समय जितना नक्सल प्रभावित जिला था बिहार में आज कितना जिला बढ़ा है और झारखंड में जितने जिलों में उग्रवादी नक्सलवाद थे पूरा झारखंड में नक्सलवाद सभी जिलो में चला गया है । बिहार में कहां है बिहार में अच्छे लोग, अच्छे प्रशासक जो जहां हैं अच्छा कर के दिखाये और यहां की जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे हैं । हमारा बोर्डर एरिया नेपाल से जुड़ा हुआ है । क्राइम क्रिमिनल नेपाल से भी लोग आकर करते हैं और करके चले जाते हैं । और यहां पर बैठे हुए विपक्ष के लोगों से पूछता हूं । हमारे प्रधानमंत्री जी वहां भी मधेशी आंदोलन को डिसटर्ब कर के छोड़ दिये । पूरा बोर्डर एरिया पर क्राइम करने वाले आते हैं और चले जाते हैं । जो बोर्डर पर है क्राइम/स्मगलिंग से लेकर के सारा आप जाइये बोर्डर पर देख लीजिये सारा स्थिति पता चलेगा कि बोर्डर पर हो क्या रहा है ? सभपति महोदया, मैं कहना चाहूंगा आतंकवादी गतिविधियों पर । अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में ए0टी0एस0 का जो गठन किया गया है आज किसी से छिपा हुआ नहीं है । आज आतंक विरोधी दस्ते के लिए दिनांक 22 जुलाई,14 को जो नियमावली का गठन किया गया है

यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । आज हम कह सकते हैं कि निर्माण के लिए जो भी राशि दी गयी है पहले चार पांच किश्त में बांटकर दी जाती थी आज हमलोग एक बार में बजट डिपार्टमेंट को देते हैं तो उससे होने वाले निर्माण कार्य दिखता है । अगर आपको निर्माण कार्य दिखता है तो कहीं न कहीं अच्छे थाने, अच्छा पुलिस बल में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होने का प्रमाण भी नजर आ रहा है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): माननीय सदस्य, अब समाप्त करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदया, मैं आग्रह करूंगा कि मैं अपने मधुबनी के जिस क्षेत्र से आता हूं 80 वर्ष पुराना जो हमारा नगर थाना का हो गया उसमें आधुनिकता लायी जाय । साथ ही दरभंगा महाराज के जगह में पुलिस लाइन है उसको खाली कराया जाय । साथ ही अपने जगह में पुलिस लाइन की स्थपना हो ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): लिखकर दे दीजिये । मा0 सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव जी।

श्री विनोद प्रसाद यादव: सभापति महोदया, आज गृह विभाग के अनुदान मांग पर सरकार के पक्ष में मैं अपनी बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । गृह विभाग एक ऐसा विभाग है कि जबतक विधि व्यवस्था किसी राज्य का सुदृढ़ नहीं होगा तबतक विकास की कल्पना करना बेमानी होगी। हम बिहार के लोग खुशनसीब हैं जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वे विधि व्यवस्था के प्रति काफी सचेत और चिंतनशील हैं जिससे देश दुनिया मे बिहार की विधि व्यवस्था की चर्चा होती है नाम होता है महोदया । मैं समझता हूं कि बिहार की विधि व्यवस्था जितना अच्छा है उतना जो देश के अन्य राज्य हैं इतनी घनी आबादी वाले उन राज्यों की इतनी अच्छी विधि व्यवस्था नहीं है । आज देश के पैमाने पर देख लें तो जो आबादी है उस अनुपात में बिहार में जितना कम क्राइम है दूसरे राज्यों में क्राइम ज्यादा है । इस देश की राजधानी जो दिल्ली है जहां केन्द्रीय सरकार का विधि व्यवस्था पर नियंत्रण है उससे काफी अच्छा प्रदर्शन बिहार का है । मैं समझता हूं कि जो भी देश के अंदर बी0जे0पी0 शासित राज्य हैं चाहें झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाण हो, जितने राज्य हैं हमारे जो विपक्ष के भाई लोग जो विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं पहले उनको अपने पार्टी के शासित राज्यों के विधि व्यवस्था से संबंधित बातों का अध्ययन कर लेना चाहिए और तब उनको बातें रखनी चाहिए कि उन राज्यों की क्या हालात है कैसी विधि व्यवस्था है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं बिहार की बात कर रहा हूं बिहार के बारे में बता रहा हूं कि हमलोग खुशनसीब हैं कि आपको माननीय नीतीश कुमार जैसे नेता मिले हैं जो किसी भी तरह से विधि व्यवस्था के मामले में कम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं ।

चाहे जिस स्तर का व्यक्ति हो अगर क्राइम करेगा तो उसको कानून के तहत जो भी सजा मुकर्रर है सजा मिलेगी उसमे कोई समझौता होने वाला नहीं है । ऐसा कोई भी देश का मुख्यमंत्री नहीं है उनका विधि व्यवस्था के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का है । मैं समझता हूं कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं बिहार के जो बिहार के विधि व्यवस्था के लिए आप किसी भी कोने में चले जाइये आपको आधी रात में भी विचरण करने में कोई डर भय नहीं लगेगा। यह हमारे पुलिस पदाधिकारियों के मेहतनत के बल पर राज्य में इस तरह की विधि व्यवस्था कायम हुई है मैं समझता हूं कि आप भी इससे पहले सत्ता में थे लेकिन अब आपकी मजबूरी है कि यदि सरकार के पक्ष में अपनी बात रखेंगे तो आपके पार्टी के नेता कल आपको शो–कॉज नोटिस थमा देंगे कि आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं । खैर, दबी जुबान से ही सही यहां पर आप नहीं कहते लेकिन बाहर में इस बात को जरूर कबूल करते हैं कि बिहार की विधि व्यवस्था बहुत अच्छी अन्य राज्यों की तुलना में । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप जिस भी थाने में चले जाइये अपराध का जो ग्राफ है वह पहले से काफी नीचे गिरा है चाहे जिस नेचर का अपराध हो । अपराध का नेचर जैसा भी हो उसमें कमी आयी है । और मैं समझता हूं कि देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो आप विधि व्यवस्था का सवाल उठाते हैं तो क्राइम फ्री जोन कहीं भी नहीं है जहां पर क्राइम नहीं होता है । क्राइम को नियंत्रित किया जा सकता है, क्राइम को कम किया जा सकता है, क्राइम को समाप्त करने की बात माननीय नेता, प्रधानमंत्री जी लोक सभा चुनाव के वक्त कहे थे कि देश में हमारा शासन होगा तो देश में अमन चैन होगा। आज पठानकोट उनके रहते जो घटना हुई उनको सबक लेना चाहिए कि यह जो लंबी लंबी बात हम करते हैं बात केवल कथनी से नहीं होती है करनी से होती है । आप काम करने में विश्वास कीजिये । काम पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि केवल बातें बनाने से नहीं होगा । बात बनाकर आप लोगों को अमन चैन नहीं दे सकते हैं शांति नहीं दे सकते हैं । विधि व्यवस्था कायम करने के लिए आपको काम करना होगा । हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सभी लोग सभी पदाधिकारी कटिबद्ध हैं राज्य में कानून का राज सुशासन का राज कायम करने के लिए । मैं समझता हूं कि डकैती हो, अपहरण हो जितने तरह के जो क्राइम के नेचर हैं उसमें आप अगर जाकर आंकड़ा देखेंगे तो उसमें काफी ह्रास हुआ है । आज अपहरण की घटना के बारे में जो बात उठाते हैं आज राज्य में अपहरण शब्द बहुत कम गया है । अपहरण का दूसरा रूप ले लिया है अपहरण का रूप शादी विवाह के मामले में ज्यादा है ।

और उस बात को अपहरण से आप जोड़ेंगे तो इसको अपहरण नहीं कहा जाएगा ।

(व्यवधान)

आप ही इस बात को कबूल करते हैं मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं । मेरा कहना केवल यह है कि विधि व्यवस्था का संधारण को लें सरकार ने पथ निर्माण विभाग से राज्य के चारों तरफ पैसों का जाल बिछाया है। पुल पुलिया का निर्माण कराया है । हमारे ऐसे पदाधिकारी हैं किसी भी क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संधारण में जाने में कोई कठिनाई नहीं हो और हर तरफ हमारे पदाधिकारियों का मनोबल उंचा रखने के लिए सरकार समय समय पर सम्मानित करते रहती है । 15 अगस्त के अवसर पर हमारे राज्य के कई पदाधिकारी सम्मानित हुए 26 जनवरी के अवसर पर ।

क्रमशः

टर्न–17/राजेश/28.3.16

डा0 विनोद प्रसाद यादव, क्रमशः– 26 जनवरी को सम्मानित करते हैं तो क्या उन्हें जो सम्मान मिलता है, ऐसे ही सम्मानित किया जाता है, बिना काम किये किसी को सम्मानित किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है, जब किसी का काम अच्छा होता है, तब ही न सरकार किसी को सम्मानित करती है, आपको तो कहना चाहिए कि इस बिहार राज्य में उद्योग का विकास कैसे करें लेकिन आप ऐसा न कहके बिहार और बिहार की जनता के हित के विरुद्ध सोचते हैं, आपको बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, आपको बिहार की जनता के हित में बात करनी चाहिए, चूंकि आप बिहार से चुनकर आते हैं, अगर आपका मान–सम्मान बढ़ेगा, तो पूरे बिहार का मान–सम्मान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल इससे सत्तापक्ष का ही मान सम्मान बढ़ेगा, अगर बिहार का मान–सम्मान देश दुनिया में बढ़ता है, तो उससे आप भी गौरवान्वित होते हैं.....(व्यवधान)

ऐसी बात नहीं है, आप तो खुद बाहर में चर्चा करते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जब तक आपलोग 2005 से 2013 तक सत्ता में थे, तो विधि–व्यवस्था की चर्चा पर आपलोग अपना रेकर्ड चेक कर लीजिये, जो आपने सदन में बातें कही हो और आज दो साल, तीन साल के अंदर आपका नजरिया बदल गया, तो इतना जल्दी नजरिया बदल कैसे गया, मैं यही सोचता हूं कि इतनी जल्दी कैसे बदलाव हो गया, जो आपने सात साल तक सरकार के पक्ष में बातें रखी, बिहार की विधि–व्यवस्था के संबंध में बातें रखी, सरकार के विकास के संबंध में जो बातें

रखी, वह आज दो तीन सालों में कैसे बदल गया, जब आपलोग 2013 में अलग हुए, तो यह भी मुझे लगता है, आश्चर्य की बात कि जब ये लोग हमारे गठबंधन से अलग हुए और गठबंधन टूटते ही विधि व्यवस्था पर आपलोगों ने तूफान पैदा कर दिया, जहॉ देख रहा हूँ, तो कभी चापाकल में जहर, तो जहॉ खिचड़ी बन रहा है उसमें जहर, आखिर आपलोगों के अलग होते ही ऐसा बवाल क्यों हो जाता है, इसमें बात क्या है कि आपके अलग होते ही इसतरह की बातें होने लगती है, यह एक चिंतनीय विषय है, इसपर सोचने की बात है। जब आप लोक-सभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो लोक-सभा के चुनाव लड़ने में जब तक चुनाव चल रहा था,जब तक चुनाव सम्पन्न नहीं हो गया, तब तक विधि-व्यवस्था का सवाल नहीं उठा, तब तक कहीं पर विधि-व्यवस्था गड़बड़ नहीं था, चारो तरफ शांति का माहौल था लेकिन जैसे ही परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आया, विधि- व्यवस्था बिहार में खराब होने लगी और आपलोग चारो तरफ हाय-तौबा मचाने लगे, इससे तो यही साबित होता है कि आपलोगों को विधि-व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सत्ता पाने से, आपको यदि सत्ता मिल जाय, आपको हाथ में बिहार का बागडोर मिल जाय, तो विधि-व्यवस्था दुरुस्त है और आपके हाथ से जैसे ही बागडोर खिसक जाय, तो विधि-व्यवस्था खराब है, यह केवल आपके मन की उपज है और बिहार की जो जनता है,वह काफी सोच समझकर काम करती है,आज बिहार की विधि-व्यवस्था ठीक है, विकास की गति जो आगे चल रही है, इसी कारण से बिहार की जनता ने अपार जनसमर्थन से बिहार का बागडोर, प्रचंड बहुमत से महागठबंधन के पक्ष में बहुमत किया और आपलोग जो हसीन सपने देख रहे थे कि हम तो देश में सत्ता पा लिया है और बिहार में हम सत्ता प्राप्त करके अश्वमेघ के घोड़ा की तरह हम चारों तरफ घूमते रहेंगे, हमको कोई छूने वाला और न ही पकड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा लेकिन हुआ उलटा, जैसे ही चुनाव परिणाम आया, गिनती शुरु होने से पहले आपलोग जश्न मना रहे थे लेकिन जैसे ही गिनती शुरु हुई, तो महागठबंधन प्रचंड बहुमत से आयी, तो आपलोग विधि-व्यवस्था खराब होने की बात करने लगे, आप देख रहे हैं कि जो हमारे थाने हैं, सभी थानों में सरकार ने पुलिस को सुव्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए अत्याधुनिक हथियार, नई-नई गाड़ियॉ तथा अन्य तरह की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराया है ताकि हमारा जो विधि व्यवस्था का संधारण है, उसमें कोई कमजोरी नहीं रहे, हमारे थाने के जो पदाधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वहॉ जाता है..... (व्यवधान)

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- अब आप समाप्त करें।

डा0 विनोद प्रसाद यादवः- महोदया, कम ही समय में अपनी बात को समाप्त करुंगा। महोदया, आज थानों में जो लोग भी जाते हैं,उनकी बातें सुनी जाती है और थाना से लेकर डी0जी0पी0 स्तर तक जो व्यक्ति जाता है अपनी शिकायत को ले करके, उनकी शिकायतों को सुना जाता है और शिकायतों में जिसतरह का दम होता है,उसपर कार्रवाई होती है और इसके अलावे एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा राज्य है, विधि व्यवस्था के सवाल पर आप जितना भी इसको कम करने की कोशिश कीजिये, हमारा राज्य आगे बढ़ता जायेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए कृत संकल्प है कि इस राज्य में सुशासन का राज होगा, विधि व्रूवस्थ में किसी तरह की कमी की आने की बात नहीं है। मैं अब अपने क्षेत्र से संबंधित एक दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करुंगा। हमारा क्षेत्र गया जिला में पड़ता है और गया जिला में आमस थाना है हमारा और यह जी0टी0 रोड पर अवस्थित है,वहॉ पर घटनाएँ घटी थी और सरकार के संज्ञान में भी है, आज वहॉ का थाना भवन जर्जर स्थिति में है, पुलिस के लोगों को वहॉ पर सुव्यवस्थित ढंग से काम करने में काफी कठिनाई होती है, चूंकि यह झारखंड का बोर्डर एरिया है,यह बोर्डर पर थाना है और उसके बाद झारखंड का एरिया है, इसलिए हम मांग करते हैं कि उस थाने को अपग्रेड किया जाय, वहॉ अत्याधुनिक हथियार या अन्य जो भी सुविधाएँ दी जा सकती है,उसको अविलंब उपलब्ध कराया जाय। दूसरी बात गया जिलान्तर्गत शेरघाटी मार्ग पर एक सगाही स्थान है, यह गुरुआ थाना में सगाही पड़ता है और गुरुआ थाना में बरसात के दिनों में नदी से घूम करके 20 किलोमीटर घूमने के बाद सगाही बाजार पर लोग आते हैं, बरसात के दिनों में काफी कठिनाई होती है, गर्मी के दिनों में जैसे अभी कोई कठिनाई नहीं है लेकिन बरसात के दिनों में काफी कठिनाई होती है, इसलिए उस इलाके की भौगोलिक स्थिति को देख करके अगर सगाही में एक थाना भवन स्थापित करते है, तो विधि व्यवस्था के संधारण में बहुत अच्छा होगा। अंत में मैं नीरज की उन पंक्तियों के साथ किः-

"एक मुहिम ऐसा चलाया जाय,जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाय" और बापू का नाम ले करके देश में जो दूकानदारी चला रहे हैं उनको गोडसे के सिद्धांत को छोड़ करके बापू के सिद्वांत को लाया जाय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान । आपका समय है 5 मिनट।

श्री शकील अहमद खानः- सभापति महोदया, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रथम वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद भाई

ने जो बातें कहीं, तो मुझे कुछ बातें याद आयी भारतीय जनता पार्टी के सिलसिले में। पहले तो वशीरबद्र का एक शेर सुन लीजिये बड़ा मजा आयेगा आपको:-

"कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियॉ जलाने में "

महोदया, भारतीय जनता पार्टी के लोग विधि, विधान एवं जस्टिस की बात करते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है कि आप अपने ही अखबार ऑगनाईजर का 1947 के 14 अगस्त का अखवार पढिये और उस अखबार में क्या है ? तिरंगे के विरोध में आपने अखवार में लिखा कि जिनको आजादी मिल रही है जनता के द्धारा रही है, वे तिरंगा पकडा देंगे तो देश के लिए शुभ नहीं है,आप पढ़ लीजिये जाकर आज, पर इस किताब को भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर पढ़िये,उन किताबों को 1911 से लेकर 1913 तक सावरकर का माफीनामा, कहा मै गया हूं वहॉ का प्रभारी था,अंडमार-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के जेल में 1911 से 1913 के बीच माफीनामा सावरकर का जिसने कहा अंग्रेजी शासक से कि मुझे माफ कर दो,मैं तुम्हारी सेवा करुंगा और ये चिट्ठियॉ कई बार सदन के पटल पर रखी गयी पार्लियामेंट में, तुम चाहो तो इनकार कर दो लेकिन अगर सच्चाई आपकी, आप यदि इनकार करना चाहते है तो 1942 के आंदोलन में, 1942 का आंदोलन 8 अगस्त की रात में पारित किया जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी समय पर हिन्दू महासभा में अपने-अपने कार्यकर्ताओं को जो चिट्ठियॉ लिखी गयी, आज उस चिट्ठियॉ को देखो और आज हमको लॉ और विधान की बात सिखाते है।

क्रमश:

टर्न-18/कृष्ण/28.03.2016

श्री शकील अहमद खान : क्रमश: 1948 में बापू की हत्या के बाद किसने लिखा ? गृह मंत्री, लौह पुरूष सरदार पटेल ने क्या कहा ? सुन लीजिये । मैं आर0एस0एस0 को इसलिए बैन करता हूं ।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं, आर0एस0एस0 को इसलिए बैन करना चाहता हूं कि आपने बापू की हत्या के बाद मिठाईयां और खुशियां बांटी । यह है आपका इतिहास।

(व्यवधान)

आप किसकी बात करते हैं ? आपको लालू जी से जो तकलीफ है ? लालू, नीतीश और सोनियां गांधी से जो आपको तकलीफ है, सुन लीजिये । मैंने बड़े ध्यान से सुना है । लालू जी, नीतीश जी और सोनियां गांधी जी से आपको तकलीफ है, आपके पेट में जो दर्द है, मैं जानता हूं कि दर्द क्यों है ? मैंने कहा था कि मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं । मैं कांग्रेस पार्टी से हूं । डिफरेंसेस हो सकते हैं । लेकिन 1989 के बाद से लेकर आजतक बिहार के गरीबों, दलितों और जो मजलूम जनता, जो ये समाज रहा है, उसकी जुबान, हिम्मत और उसको एम0एल0ए0,एम0पी0 और मुखिया बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनलोगों ने किया है । इसलिए आपको दर्द होता है । मैं जानता हूं । जब समाज में परिवर्त्तन आता है, जब समाज में व्यवस्था बदलती है और मजलूमों के हाथों में हिम्मत आती है तो तकलीफ होगी उनलोगों को मनुस्मृति को मानते हैं । उनको तकलीफ होती है, मैं जानता हूं । भाई साहब, अफजल गुरू के सवाल पर आपने भी इतने सवाल किये, सुन लीजिये । भारतीय जनता पार्टी जम्मु-कश्मीर में उस पी0डी0पी0 के साथ सरकार बनाने जा रही है जो अफजल गुरू को हीरो मानता है। यह इतिहास है इनका । भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू-कश्मीर में उसके साथ सरकार बनाने जा रही है । इसलिए विधि-विधान, लॉ और जस्टीस में याद कीजिये, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, आप याद कीजिये 2002 को, आप सवाल का जवाब दीजियेगा, जितने सवाल मैंने किये, उतने का जवाब दीजियेगा । आपको मैं बताऊं, 2002 में और कोई नहीं, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी को जिसको इन दंगाईयों ने मारा है, इनको याद नहीं और सुन लीजिये, सरकार नीयत पर चलती है । मैं जानता हूं कि सूबे में दिक्कतें हो सकती हैं, सूबे में अपराधें हो सकती हैं लेकिन सूबे की एक सरकार अगर क्रिमिनल्स के साथ, कम्युनल एजेंटों के साथ काम करती है जैसे गुजरात में किया, वह नीयत इस देश को नहीं चाहिये, नहीं चाहिये,नहीं चाहिये ।

मैं आपको बताऊं, हमलोग तो वो है भाई साहब, सुबेदार पे रखते चलो सरों के चिराग कि जब तलक तुम्हारे जुल्म की आंधियां चले । तुम्हारे जुल्म की आंधियों के खिलाफ देश जागा हुआ है । देश का हर समाज । हम भाई चारा वाले लोग हैं । मुहब्बत करनेवाले लोग हैं, प्रेम करनेवाले लोग हैं और तुम्हारा भाई चारा तो गजब है, कैसा है तुम्हारा भाई चारा ? हम समझे इनको भाई और हमको चारा । कैसा है इनका भाई चारा । तो हुजूरेवाला, मैडम, हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य,आप समाप्त करें ।

श्री शकील अहमद खान : आज मैं इस सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं । लालू, नीतीश और सोनियां गांधी जी ने गृह विभाग का जो आज के दिन में जो बजट पेश किया है, आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैचारिक सवाल नहीं है।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : आप समाप्त करें ।

श्री शकील अहमद खान : आप बजट पर बात कीजिये । आपकी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का बजट देखिये ।

सभापित श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य श्री शकील जी, आप समाप्त कीजिये

व्यवधान

श्री शकील अहमद खान : डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत सरकार ने 50 परसेंट बजट दिया है । यह है बजट । मैं कहना चाहता हूं कि मैंने चुनौती ली है । बिहार के साक्षी हैं । ये गरीबों, मजलूमों के साथ न्याय करने का यह पक्ष है और अन्याय करनेवाला पक्ष इस तरफ खड़ा है, न्याय और अन्याय के बीच में है । फैसला करेंगे स्पीकर महोदय । फैसला करेगी अदालत । फैसला करेगा तारीख । कौन से फैसले होंगे और तारीफ सच्चे लोगों के पक्ष में होगा ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री शकील अहमद खान : तारीफ सत्य के पक्ष में होगा । तारीफ गोडसे के पक्ष में नहीं होगा, गांधी के पक्ष में होगा । तारीफ सावरकर के पक्ष में नहीं होगा । तारीफ महात्मा गांधी के पक्ष में होगा । जवाहर लाल नेहरू के पक्ष में होगा । भीमराव अम्बेदकर के पक्ष में होगा । मौलाना आजाद के पक्ष में होगा । तारीफ इन माफी मांगनेवालों के पक्ष में नहीं होगा, वेमूला के पक्ष में होगा ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद । आपका 12 मिनट समय है ।

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कारा विभाग और आज जो संबंधित सभी विभागों के द्वारा जो अनुदान मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदया, किसी भी राज्य और राष्ट्र के लिये सामान्य प्रशासन, गृह विभाग उसी महत्व का होता है, जैसा महत्व सौर मंडल में सूर्य का है, चन्द्रमा का है, वही महत्व किसी भी राज्य, राष्ट्र के लिये सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग का हुआ करता है । राज्य के पूरे काम-काज का संचालन का प्रतिबिम्ब प्रदर्शित करता है, यह सामान्य प्रशासन विभाग और पुलिस प्रशासन विभाग, किसी

भी राज्य,राष्ट्र के विकास के जो आयाम लिखे जाते हैं, जो कल्पना किये जाते हैं, वे उनके कार्य गुजारियों से निर्देशित होता है । सभापति महोदया, विपक्ष के साथी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष के साथी का यह दायित्व है कि वे सत्ता पक्ष को आईना दिखाये । उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे से किसी भी सरकार को मार्गदर्शन मिलता है । उनकी यह भूमिका है और मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं हमारे राजनीतिक पुरखे हुआ करते थे डा0 लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी । कर्पूरी ठाकुर जी ने 1967 में ही सदन में अपने वक्तव्य को रखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग के वाद-विवाद में शामिल होते हुये उन्होंने कहा था कि हम वो लोग हैं जो इस राज्य,राष्ट्र को बनाने आये हैं । इस राज्य,राष्ट्र में गरीबों-गुरबों का जो बिना जुबान के लोग हैं, उनके लिये न्याय की लड़ाई लड़ने आये हैं, सिर्फ शासन, सत्ता में नहीं आते, हम न्याय स्थापित करने के लिये जद्दो-जेहद करते हैं सरकार में आ करके भी । चूंकि जो सरकार होती है, सभापति महोदया, वह किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं हुआ करता है । सरकार एक सिस्टम का नाम हुआ करता है । गवर्नमेंट एक सिस्टम है । जो अपने चला करती है, परसन और पार्टी जो सत्तारूढ़ होते हैं, उस सिस्टम को मोनिटरिंग करने की जिम्मेवारी होती है । मोनिटर करना हमारा दायित्व है और विपक्ष के लोगों का दायित्व है कि हम में कहीं त्रुटि हो, कही कमी हो, तो वह हमारा मार्गदर्शन करे । कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय । बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय । कबीर की इन पंक्तियों को उन्होंने उद्धृत करने का काम किया था । हमारे राजनीतिक पुरखे डा0 लोहिया ने अपनी ही सरकार को बर्खास्त करने की बात कही थी । उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए । तो हम वो लोग हैं, हम उस विरासत के लोग हैं ।

विनोद जी, आप बैठिये । हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं,अच्छी बात है, वे हमें आईना दिखावें । लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि साथियों, एक सिस्टम है और हमारा जो एडॉपटेशन है, जो हमारा पार्लियामेंट्री एडौप्टेशन है, वह हमने जिस तरह का नियम-कानून अंगीकार किया है,स्वीकार किया है, अपने राज्य,राष्ट्र को चलाने के लिये । उसमें जो व्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो परसनल सिस्टम है,वह हमने एडौप्ट किया हैं । समय-समय पर बातें उठती रहती है कि हम उनको कहते हैं मौडरेट करें, हम उनको कैसे अमेंड करें । यह निश्चित तौर पर है कि हमारे संविधान निर्माात्री सभा के लोगों ने जब संविधाान की संरचना तैयार की तो हमारा संविधान दुनियां के बहुत सारे संविधानों का संक्लन कहा जाता है । दुनियां के बहुत सारे संविधानों का संकलन है हमारा संविधान । उसमें हमने ज्यादा इंगलैंड से

लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है । तो यह जाहिर है कि उनके सिस्टम को हमने एडौप्ट किया और हमारा जो सिस्टम है, बल्कि यह कहा जा सकता है अपने संविधान के स्वरूप को देखते हुये भी और जो उनके सिस्टम को हमने एडौप्ट किया है–व्यूरोक्रेट्स आर द रीयल गवर्नमेंट, वी वनली मोनिटर । इसको इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

क्रमश :

टर्न–19/सत्येन्द्र/28–3–16

डॉ0 रामानुज प्रसाद(क्रमशः) तो सुझाव आप दे दीजिये और सुझाव हमारे पक्ष से भी आना चाहिए। सुधार के लिए आपको हम आश्वस्त करते हैं और हमारी सरकार के मुखिया आपको मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों, सभापति महोदया कि हमारी सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का संकल्प है। अभी एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है और उन्होंने कहा है। जो राज्य के ब्यूरोक्रेटस हैं राज्य के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच बात करते हुए उन्होंने खुद कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ऐसे नहीं चलेगी कानून व्यवस्था। यह स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है।

श्री मो0इलियास हुसैनः सभापति महोदया,बोलने के क्रम में इन्होंने बोल दिया कि ब्यूरोक्रेट्स इज ए रियल गवर्नमेंट। इसका Clarification होना चाहिए।

डॉ0 रामानुज प्रसादः मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, कहने का मेरा आशय ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक सेट–अप में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रियल गवर्नमेंट है। रियल गवर्नमेंट ये सिस्टम जो है, गवर्नमेंट सिस्टम का नाम है जो चलता रहता है। हम और आप आते जाते रहते है। कभी हम ट्रेजरी बेंच पर होते हैं तो कभी हम ओपोजिशन बेंच पर होते हैं।

श्री मो0 इलियास हुसैनः ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट कैसे है? वो भी तो आते जाते रहते हैं।

डॉ0 रामानुज प्रसादः सभापति महोदया,मेरा कहने का आशय ऐसा नहीं था लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैं यह कहना चाहता था कि सुधार के लिए सम्मिलित प्रयास होने चाहिए और वो चूंकि चलने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम में जो खामी है उसके सुधार का प्रयास हो और हम उसको मोडरेट करें, हम उसको अमेंड करें इसके लिए ही जनता हमें चुनकर भेजती है ये कहने का अर्थ है मेरा। ये हम कहना चाह रहे थे कि अगर वैसे नहीं होता सिस्टम की बात तो मैं यही उदाहरण दे रहा हूँ माननीय सदस्य को, यह दिखा रहा हूँ और सभी सदस्य के

साथी, सभापति महोदया आप भी देख रही हैं कि इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है,खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा है। यह अखबार की प्रति है उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा कानून व्यवस्था। (व्यवधान)मेरी बात तो सुनिये न शांति से। सुनिये, मैं यह कह रहा हूँ, आप क्राईम बढ़ाये सात साल में उसका भी आंकड़ा है, यह मैं लेकर आया हूँ और आज के भी टाईम का आंकड़ा है। मैं आना चाहता हूँ आप ही के बातों पर आप लोगों ने जो शुरूआत किया है अपनी बात रखते हुए कटौती प्रस्ताव पर मैं वहीं आना चाहता हूँ कि आपने जो जंगल राज का हौवा खड़ा किया है उसमें सच्चाई क्या है? साढ़े सात साल आप साथ रहे हैं,आपके लोग केन्द्र में बैठे हुए हैं- न खायेंगे न खाने देंगे और विजय माल्या को भगायेंगे। ये सारी दुनिया देख रही है और असम में जाकर सफाई देंगे। इसको नहीं भूलिये मैं ये कहना चाहता हूं (व्यवधान)मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूँ सभापति महोदया,मैं ये रखना चाहता हूँ देश की स्थिति और राजनीतिक हालत पर शोध होते रहते हैं। अभी अभी एक शोध हुए हैं और वो शोध के शोधार्थी के जो शोध पत्र हैं उसका मैं थोड़ा उद्धृत करना चाहता हूँ। वर्ष 1990 के चुनाव के बाद पिछड़े जाति के धनिकों में राजनीतिक और सत्ता में हिस्सेदारी प्रबल होती जा रही थी लेकिन उनको सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। पिछड़े और दलित गरीबों का शोषण और दमन जारी था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद उभरा आन्दोलन इन सबों से शक्ति बटोर कर प्रबल हो उठा। लालू यादव की सरकार बनने के बाद ये राजनीतिक स्थिति में ग्रामीण जीवन की जड़ता तोड़कर उन्हें प्रखंड और सरकारी कार्यालयों में सक्रिय कर दिया । पंचायत का फंड अगड़ी जाति के धनिकों के हाथ में जा रहा था। सारे जो संचालन हो रहे थे धन का वह धन जहां केन्द्र से आने वाला हो या राज्य मद से चलने वाली योजना हों सारे के सारे जगहों में जो लूट मचे थे। मैं इसको आगे पढ़ दूं क्या? और पोल खुल जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो आज हौवा खड़ा कर रहे हैं, साढ़े सात साल तक आप शासन में थे, साथ में थे तो नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा करते थे और पी0एम0 मेटेरियल इनको बतलाते थे। सुशील मोदी जी तो एक बहाना था बिहार इज नीतीश। आपने कहा था- नीतीश इज बिहार ऐंड बिहार इज नीतीश। बी के बरूआ के तरह आपने इसी बिहार में आपके नेता ने कहने का काम किया था और आप बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ ये जो महागठबंधन की सरकार है माननीय लालू प्रसाद जी के समाजिक न्याय का एजेंडा और नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का एजेंडा जिनके साथ आप रह चुके हैं और समाजिक न्याय और न्याय में नहीं समझियेगा फर्क तो ....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) अब आप समाप्त करें।

डॉ0 रामानुज प्रसादः लेकिन मैं कहना चाहता हूं समाजिक न्याय के साथ विकास तो इस दर्द की दवा जनता कर दी है और आगे भी आपको करेगी। विजय माल्या की पार्टी चलाने वाले लोग, अंडानी, अंबानी के पार्टी चलाने वाले लोग गरीबों का हक छिनने वाले लोग आपको पच नहीं रहा है। लालू यादव का नाम आपको नहीं पचता है।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) माननीय सदस्य,अब आप समाप्त कीजिये।

डॉ0 रामानुज प्रसादः सभापति महोदया,मैं अब कहना चाहता हूं हमारे साथी कह रहे थे उनके मन की बात को समझते हुए मैं ये खुद कहना चाहता हूॅ कि जो स्थिति है। मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूॅ हमने कहा राजनीतिक पुरखे की बात करी है हमने कहा कि हम लोहिया के लोग है, कपूर्री जी के लोग है। कपूर्री ठाकुर ने खुद मुख्यमंत्री के रूप में 1977 में इसी सदन में वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था जब विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कानून व्यवस्था पर तो उन्होंने कहा था हमारे नेता कपूर्री ठाकुर जी ने कि मैं इसका फर्क जानता हूॅ और भुगतना पड़ता है। मैं सरकार में रहते हुए इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डालता हूॅ बल्कि सच्चाई को स्वीकार करता हूॅ कि शक्तियों का, अधिकारों का, पदों का दुरूपयोग हो रहा है, मैं स्वीकारूंगा नहीं तो सुधारूंगा नहीं। हम स्वीकारने वाले लोग है,हमारे नेता का इतिहास रहा है हम स्वीकारते हैं और सुधारने की बात करते हैं।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) माननीय सदस्य समाप्त करें।(व्यवधान) लिखकर दे दीजये।

डॉ0 सुनील कुमारः माननीय सभापति महोदया,मै गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ। अच्छी कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के विकास का पैमाना होता है और जब से(व्यवधान)सभापति महोदया,अभी गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ। सरकार के जो विधायक हैं वो सरकार के पक्ष में बोलने के खड़े होते हैं। सब को आजादी है अपनी बात रखने का लेकिन वो टोका टोकी में व्यर्थ का समय बर्वाद होता है मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूॅ अगर धैर्य और शालीनता नहीं है तो कहें तो मैं बैठ जाऊं। अगर सुनने का धैर्य और शालीनता नहीं है तो मैं कहें तो बैठ जाऊं। हिम्मत से सच कहो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के कहने की आदत अब नहीं रही।(क्रमशः)

टर्न–20/मधुप/28.3.16

...क्रमशः...

डॉ0 सुनील कुमार : सभापति महोदया, बिहार या किसी राज्य के विकास का पैमाना कानून–व्यवस्था होता है । सिर्फ चार महीने हुये हैं बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन को और बिहार में भय और आतंक का राज कायम हो गया, बिहार के लोग अपराध के साये में जी रहे हैं । हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती के साये में लोग जी रहे हैं । शाम में 5 बजे ..... (व्यवधान) आपको मैंने कहा कि धैर्य रखें। शाम में 5 बजे ही घर जाने को लोग विवश हो गये हैं, अभी जिस तरह का माहौल कायम हो गया है । 2005 के पहले अपहरण का उद्योग बिहार में चल रहा था लेकिन महागठबंधन के सरकार के गठन के बाद दो नया उद्योग शुरू हुआ है – एक बैंक डकैती उद्योग और दूसरा मूर्ति चोरी उद्योग । अभी जो बिहार के हालात हैं उसमें न तो नर सुरक्षित है और न नारायण सुरक्षित हैं । जो हालात बिहार के हो गये हैं उसमें अभी अपराधियों और सत्तापक्ष के विधायकों में अपराध करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है । जिस तरह के अपराध सत्तापक्ष के विधायक कर रहे हैं – कहीं ट्रेन में लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, कहीं नाबालिग के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं लड़की का अपहरण हो रहा है, कहीं विधायिका अपने पति को थाने से छुड़ाकर लेकर भाग रही है, कहीं विधायक के बच्चे डॉक्टर को पीट रहे हैं तो कहीं विधायक डी0एस0पी0 को गंगा में फेकने की बात कर रहा है, कहीं बार–बालाओं की डांस चल रही है बिहार दिवस में, इस तरह का माहौल बिहार में कायम हो गया है ।

सभापति महोदया, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र पहले ही अपने क्षेत्र का कर देना चाहता हूँ । महागठबंधन की सरकार में एक और परम्परा शुरू हुई है, जो पहले कभी किसी सरकार में न तो बिहार राज्य में और न ही हिन्दुस्तान के किसी राज्य में शुरू हुई । यह परम्परा यह शुरू हुई कि जो जाति के लोग या जो समुदाय के लोग महागठबंधन को वोट दिया, उनके लिए आई0पी0सी0 के सारे रूल को शिथिल कर दिया । हमारे बिहारशरीफ में 11.12.2015 को एक घटना घटी जिसमें पुलिस पदाधिकारी ने सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुये एक समुदाय के लोगों पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया । पॉंच नामजद अभियुक्त बनाये गये लेकिन सरकार के किस पदाधिकारी, सरकार के किस मंत्री का फोन गया कि आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई । जिसके फलस्वरूप यह हुआ कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया ।

अभी अखबारों में आपने देखा होगा, दो दिन पहले बिहारशरीफ जल रहा था, कटरा पर एक जगह है सभापति महोदया, जहॉ पर सिर्फ 100 घर हिन्दू लोग रहते हैं और 20 हजार मुसलमान लोगों के बीच घिरे हैं । होली मना रहे थे, मटका फोड़ रहे थे, थोड़ा-सा रंग का छींटा पड़ गया, उतने में 10 हजार लोग पुलिस के सामने पथराव और गोलीबारी करना शुरू कर दिये । इतनी भयावह स्थिति हो गई कि पूरा बिहारशरीफ का माहौल बदल गया । अभी भी एफ0आई0आर0 पुलिस ने किया है, न जाने कल क्या होगा, सरकार के कौन पदाधिकारी फोन करेंगे कि ये तो सत्तापक्ष के लोग हैं, ये तो हमारे समर्थक लोग हैं, इनपर कोई कार्रवाई न करो । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जिस समुदाय के लोग या जिस जाति के लोग महागठबंधन को वोट देंगे उनके लिए आई0पी0सी0 का रूल नहीं चलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आई0पी0सी0 का रूल बिहार में चलेगा जो आपके विपक्ष में वोट देंगे ?

उतना ही नहीं, पुलिस का जिस तरह का नकारात्मक व्यवहार रहता है, जिस तरह का लोगों के साथ व्यवहार रहता है, लगता है कि न्याय मिलना सम्भव नहीं है । अभी 15 तारीख को एक घटना घटी बेना थाना के अन्तर्गत । घटना कुछ भी नहीं है, एक राजा राम मुखिया का प्रत्याशी है, दोसूत का रहने वाला है, उसने अपने गॉव के किसी लोग को कहा कि हमारे पक्ष में प्रचार करो, जब उसने पक्ष में प्रचार करने से मना कर दिया तो अपनी पत्नी से एक छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया । पहला एफ0आई0आर0 हमने देखा जिसमें पी0ओ0 ही नहीं है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस नहीं है कि यह घटना बिहारशरीफ में घटी, पटना में घटी, कलकत्ता में घटी या बॉम्बे में घटी लेकिन बेना थाना में यह एफ0आई0आर0 रेकॉर्ड हो गया और समानता सिर्फ यही था कि जिस महिला ने एफ0आई0आर0 किया, वह उसी जाति की थी जिस जाति का वहॉ का थाना प्रभारी था । इस तरह के संवेदनशील थाना प्रभारी रहते हुए कैसे न्याय मिल सकता है लोगों को ! हमने उसकी शिकायत एस0पी0 से की लेकिन मुझे पूरा मालूम है कि न्याय जनता को नहीं मिलेगा ।

सभापति महोदय, कई हमारे साथियों ने अपराध के ऑकड़े दिये । कई हमारे साथियों ने बताया कि 2004 में कितना अपराध हो रहा था, 2015 में कितना अपराध हो रहा था । अभी जिस तरह से माहौल महागठबंधन सरकार में हुआ है कि जो विरोधी लोग हैं उनको गोलियों को भून दिया जाय । कई राजनीतिक हत्याएँ हुईं, कई राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्याएँ हुई चाहे वह बृजनाथी सिंह की हत्या हो, चाहे विशेश्वर ओझा की हत्या हो, कई हत्याएँ हुईं । बिहारशरीफ में

जो एक घटना घटी है जिसमें नवादा के विधायक आरोपी हैं, सरकार कुछ भी करके उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई । जब उनको इच्छा हुई, वे सरेन्डर किये और जेल में गये तो होली के दौरान भोज देना शुरू किये । सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जब मीडिया के लोगों ने सरकार को आगाह किया तब लोगों का होश खुला और जॉच कराये तो वहॉ के जेलर को उन्होंने निलंबित किया।

(व्यवधान)

उनकी गिरफ्तारी के बाद भी, उनके सरेन्डर करने के बाद भी सरकार किसी तरह से उनको बचाने का उपाय कर रही है । मैंने पहले भी शून्यकाल में एक लाया था कि इसकी जॉच सी0बी0आई0 से करायी जाय लेकिन पता नहीं सरकार ने उसको ग्रहण किया या नहीं किया । जो माहौल अभी बिहार में हो गया है, न सिर्फ बिहारशरीफ जेल में, सीवान जेल में भी, जिस शहाबुद्दीन को सजा दिलवाने के लिए एन0डी0ए0 की सरकार ने इतना परिश्रम करके सजा दिलवाया लेकिन आज मंत्री उन्हीं से आदेश लेने के लिए जाते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है बिहार में । इस तरह का माहौल पैदा हो गया है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार तरह-तरह के हथकंडे अपनाती रहती है । सरकार कहती है कि कानून का राज है । अरे जो आपसे गलती हुई है, उसको मानिये तो ! जो आपसे गलती हो गई है उसको मानना चाहिये । अंधा सिर्फ वही नहीं है जिसकी ऑखें नहीं हैं, अंधा वह भी है जो अपने दोषों को देखता नहीं है । उसी तरह सरकार अभी अंधी हो गई है ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : सजा आप दिलवाइयेगा ? कोर्ट सजा देती है ।

डॉ0 सुनील कुमार : कोर्ट सजा दी हुई है, सजा तो मिला हुआ है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : बोलने दीजिये । समय कम है, इनको बोलने दीजिये । बैठ जाइये । बोलने दीजिये ।

डॉ0 सुनील कुमार : इतना होने के बाद भी सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है । कई हमारे साथियों ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है । हम सरकार के प्रवक्ता से, सरकार के मंत्री से और सरकार के मुखिया से यह पूछना चाहते हैं कि...

....क्रमशः....

टर्न–21/आजाद/28.03.2016

डॉ0 सुनील कुमार : (क्रमशः) कि जिस तरह की घटनायें घट रही है, आज बिहार के बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, बिहार के बेटों का हत्या हो रहा है, अगर उनके घर में भी हत्या हो, उनकी बेटियों की भी इज्जत लूटी जाय तो क्या हम यही ब्यान देंगे कि कानून अपना काम कर रही है । हम इस सरकार से पूछना चाहते है, क्या यही ब्यान देंगे क्या?.....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : समाप्त कीजिए, समय समाप्त हो गया है ।

श्री श्रवण कुमार : महोदया, जिस तरह के आपत्तिजनक बात को सदन में माननीय सदस्य उठा रहे हैं, इस तरह का लॉ स्टैंडर्ड की बात सदन में नहीं होनी चाहिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : सभापति महोदया, अपराध के मुद्दे पर सरकार की मौत हो गई है, अब मौत के डर से नाहक आप परेशान क्यों हैं, आप जिन्दा कहां थे कि मर जायेंगे, आप तो मर ही चुके हैं ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करिए । माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, आपका 5 मिनट समय है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : आदरणीय सभापति महोदया, गृह विभाग के बजट पर जो बोलने का अवसर दिया है, आज के विधि–व्यवस्था पर इस बिहार का इस देश और दुनिया में जो प्रतिष्ठा बढ़ा है, हमको लगता है कि पूरा देश में इससे प्रतिष्ठा बढ़ा है । सुशासन बाबू के नाम पर हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जिनसे विधि–व्यवस्था के बारे में दुनिया के लोग सिखते हैं । इससे देश में बड़ा प्रतिष्ठा बढ़ा है, बिहारीपन का जो अस्मिता था, बिहार का जो पिछले दिनों का इतिहास रहा है, वह बहुत गरिमापूर्ण रहा है । ठीक है हमारे विरोधी मित्र विरोध में बोलते हैं लेकिन वे ओछी बात बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए । लगता है कि दूध बेचने वाले जब घर–घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि दूध में पानी नहीं मिलाया है लेकिन जो दारू पीते हैं और वे अपने हाथ से पानी मिलाते हैं तो उनसे कोई नहीं पूछता है । इसलिए दूध बेचने वालों को भी महत्व देना चाहिए । जो कर्म किया है, जैसे एक रूपया का बिन्दी जो होता है, उसको माथे पर लगाया जाता है लेकिन हजारों रूपया में जो पायल मिलता है, जो बहुत झुनझुना जैसा आवाज देता है, उसको पैरों में पहनते हैं । इसलिए नीतीश कुमार जी इस देश के अस्मिता को अपने माथे पर लगाया है, इस देश का शान बढ़ाया है, बिहार के अस्मिता को दुनिया में पहचान बनाया है । बिहार का जो सुशासन है, बिहार का जो विधि–व्यवस्था है, वह बड़ा परचम लहराया है । खासकर के विरोधी भाईयों से कहेंगे कि नीतीश कुमार जी

साथ थे साढ़े सात साल तो विधायक राजकिशोर केशरी जी की दु:खद हत्या थी । आज हमसे आप अलग हो गये, उसके बावजूद भी गवाहों को पूर्ण सुरक्षा देकर कार्रवाई करके इसे अंतिम मुकाम तक पहुँचाया गया और अपराधी को सजा मिली। इससे बड़ा कानून का क्या राज हो सकता है । हमारे साथ थे उनके विधायक की हत्या हुई, उस समय कानून का राज बता रहे थे और अब जंगल राज बात रहे हैं। बैचेनी हो तो बैचेन मत होईए, जनता आपको सबक सिखा दी है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ, बिहार में बिजली नहीं आयी परन्तु उसके बावजूद भी बिहार की जनता 1920 तक पूर्ण बहुमत दिया है, ऐसा बहुमत दिया है, भरपेटा बहुमत दिया है कि पूरा राज कीजिए, आज नीतीश कुमार का शासन है । नीतीश कुमार महागठबंधन का शासन है । इसीलिए खासकर हम बी0जे0पी0 के भाईयों से विरोधी के रूप में कहना चाहते हैं कि बिहार में जो विरासत था, याद करिए कि नीतीश कुमार जी के राज आने के बाद अब राम-नाम पर राजनीति नहीं होती है, अब नीतीश कुमार के राज आने के बाद विकास की बात होती है । राम-राज करने वाले केवल राम के नाम पर सत्ता चाहते थे, नीतीश कुमार जी विकास के नाम पर बड़ी परिश्रम करके इस देश और दुनिया में एक मैसेज दिया है, इसीलिए आपको सोचना चाहिए । यह सही बात है कि आपके साथ बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी बात करते हैं । लेकिन नीतीश कुमार जी ने देश और दुनिया में जो मैसेज दिया है, वह आपको भी सिखने की जरूरत है । आने वाले समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी । कुछ हमारे माननीय सदस्य मित्र बोल रहे थे कि बिहार में यह स्थिति है । आप याद करिए कि हमारे दल के विधायक जुबानी अपराध किये हैं, उसको क्या सजा मिला है ? दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई जुबान से बोला है, अगर समाज के साथ सामाजिक रूप से कोई गलत मैसेज देने का प्रयास किया है तो उसको भी सजा मिला है, यह पहला बार इतिहास में हुआ है कि नीतीश कुमार जी जुबानी कोई अपराध करता है तो उसको भी सजा मिलता है । पिछले दिनों हमारे महागठबंधन के लोग, माननीय सदस्य लोग जो भी गलतियां किये हैं, उनको सजा हुआ है । मैं सदन के सामने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यह बात कह रहा हूँ ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदया, हम विपक्षी भाईयों से कहना चाहते हैं कि आप सुझाव दीजिए, केवल सत्ता के नाम पर केवल विरोध नहीं कीजिए, आने वाले समय में आप भी बिहार को उन्नत बनाने में सहयोग कीजिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने साढ़े सात साल राज किया है और उस समय आपने सुन्दर और सुशासन

कहा था । आने वाले समय में 2020 तक नीतीश कुमार जी का सुशासन है, सुन्दर व्यवस्था है, उसमें सहयोग करते हुए सुन्दर बिहार बनाईए । इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपने जो समय दिया है, उसके लिए आपको बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सोनी जी, आपका 10 मिनट समय है ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : सभापति महोदया, आज गृह विभाग का जो बजट पेश हुआ है, उसके पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, यह विषय बिहार के आम-अवाम एवं बिहार से बाहर रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है । चूँकि यह सुरक्षा, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है । हम तमाम सदन के लोग, सदन में बैठे लोग और पिछले 2 घंटे से इसपर वाद-विवाद चल रहा है । सत्ता पक्ष के लोग जो दो साल पहले हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 8 साल तक सुशासन की सरकार में नीतीश जी का गुणगाण करते हुए बिहार में जो विकास का काम हुआ है , बिहार में जो कानून एवं व्यवस्था है, उससे बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है, उसका यह गवाह है । आज विपक्ष में चले गये और यहां लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का अंग होता है और जहां तक हम समझते हैं कि पिछले 5 साल के सदन के अनुभव मे, जब मैं 5 साल तक इस सदन का सदस्य रहा तो विरोधी का काम आईना दिखाने के साथ-साथ जो कानून व्यवस्था है, जो भी सरकार में खामियां है, उसपर सुझाव देना, उस गलती को कैसे सुधारा जाय, इसके बारे में भी बताना है । लेकिन पिछले 2 घंटे से मैं बैठा हूँ और हर माननीय सदस्य का भाषण सुना । यह वही स्थिति हो रही है कि जब हम गांव में बचपन में रहते थे, हमारा गांव चारों तरफ से सामाजिक न्याय को तोड़ने वाले लोगों से घिरा हुआ था । अगल-बगल के गांव में देखते थे कि अपने भी लोग आते थे और कहते थे कि क्या कहे भाई, फंलाना बड़ा तंग कर रहा है तो हमलोगों के बाबू जी, दादा कहते थे कि उनके भाई को जरा जाकर कह दीजिए तो भाई को जाकर क्या कहें, हम गये भाई को कहने के लिए कि देखिए ये झुठ-मुठ कह रहा है कि 500 रू0 का 5000 रू0 सूद हो गया तो वह कहता था कि दोनों भाई मारा-मारी कर लिया और कहा कि इसको कहने पर सूद माफ नहीं करेंगे और इसको भी मारेंगे । इसलिए भाई भी इंसाफ नहीं दिलाया । अन्त में बेचारे को 5000रू0 देना पड़ता था ।

..... क्रमशः .....

टर्न–22/अंजनी/दि0 28.03.16

...क्रमशः...

श्री रणधीर कुमार सोनी : दोनों मिलकर, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई राम का नाम लेंगे तो कोई रहीम का नाम लेंगे लेकिन उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको विनाश, लड़ाई–झगड़ा, गोलबंदी और किस तरह से ध्रुवीकरण करना है, उसपर ये विश्वास रखते हैं । यह मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ ।

(व्यवधान)

आजतक हमने जो भी देखा है । कोई भी कार्य, जो नीतीश कुमार जी ने पिछले दस सालों में बिहार के मान–सम्मान को, बिहार के स्वाभिमान को, बिहार की गरिमा को, बिहार के अस्तित्व को, बिहार के मान को पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : उन्होंने देश में ही नहीं, विदेशों में भी बिहार का गौरव बढ़ाया है। हमारे बिहार के बहुत से लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं और अन्य नौकरी करते हैं और वे जब यहां आते हैं तो कहते हैं कि बिहार का क्या नाम हुआ, विदेश में भी नीतीश जी के कार्य का नाम लिया जाता है और हमारा मालिक कहता है कि तुम्हारा बिहार बदल गया है । तो यह जो बिहार के विकास की जो तस्वीर है, जिसे माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है । श्री नीतीश कुमार जी ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस के मान को, स्वभाविमान को जगाया है और उनको खुलकर काम करने का मौका दिया है । अभी हमारे बहुत से साथी चर्चा कर रहे थे कि बहुत से केसों के संबंध में, बहुत से माननीय सदस्य के बारे में, घटना तो हुई, घटनायें तो घटती रहेगी लेकिन घटना के बाद हमारी सरकार या हमारे पुलिस प्रशासन के लोग की क्या भूमिका रही, यह सब लोग जानते हैं । क्या सरकार ने किसी भी क्राइम को आगे बढ़ने दिया, कोई चाहे हमारे सत्ता दल के हों या हमारे कार्यकर्त्ता हों या बिहार के कोई लोग हों, एक भी उदाहरण दीजिए, जिसमें सरकार ने, हमारे दल के नेता ने किसी को बचाने का काम किया ? यह तो वही कहावत चरितार्थ हो गया कि दस लोग हैं, कोई कुछ कह देते हैं, कोई कुछ और बोल देते हैं, आप एक भी उदाहरण बताइए कि हां फलानां को छोड़कर दे दिया गया कि फलानां क्राइम करेगा ? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खास करके सदन में जो मौजूद सदस्य हैं, एक सदस्य कह रहे थे कि गुजरात की तुलना नहीं करें, मध्यप्रदेश की तुलना नहीं करें, छत्तीसगढ़ की

तुलना नहीं करें तो हमलोगों को कोई तुलना करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बताने की जरूरत है कि आज अगर सरकार है, और जगह सरकारें चलती हैं, घटनायें होती हैं, घटना के बाद सरकार ने किस तरह की कार्रवाई किया, इसका उदाहरण होता है और इसी को उदाहरण हमलोग देते हैं । आप देख लीजिए अपनी आंखों से, इंटरनेट से, सभी साधन उपलब्ध हैं और उसके बाद बोलिए कि हमारी जो बिहार की सरकार है, वह क्या काम कर रही है ? आप देखिए, पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ने के लिए यदि कोई गलत-सलत नाम दे देता है तो पुलिस प्रशासन के लोग उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और जहां घटना घटती है, वहीं पुलिस पब्लिक से मिलकर वहां के लोगों को भयमुक्त करने के लिए पहुंच जाती है । यदि कोई घटना घटती है तो प्रशासन के लोग या थानेदार चाहे एस0डी0पी0ओ0 हों या एस0पी0 साहेब, जिस तरह का क्राइम रहा, उसमें हम देखते हैं कि दो, चार, दस दिन तक जबतक सभी लोग भयमुक्त नहीं होते हैं, तबतक पुलिस पब्लिक मीटिंग करके लोगों को आश्वस्त करने का काम करती है । जो बिहार की सरकार है, चाहे वह ग्रामीण पुलिस हो, बहुत छोटा सा पद है चौकीदार का, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता है । लेकिन उसका काम है कि गांव में जो भी घटनायें घटती हैं, उसकी सूचना देना । सरकार ने उसके बारे में भी सोचा, उसको भी 58 साल से 60 साल किया, उसको भी और सुविधा दी गयी, उसका वेतनमान बढ़ाया गया और यह सब देना इसलिए हुआ कि ताकि वह अपने डियुटी के प्रति, अपने कार्य के प्रति और मजबूती और ईमानदारी से काम करे । विनोद जी, मैं आपको देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमलोग जब बच्चे थे, राजनीति में नहीं थे, उस समय कॉलेज में पढ़ते थे 1987 और 1988 में, 1987 में मैट्रिक किया और 1988 में कॉलेज गया तो लोग कहते थे कि पार्टी आयी है जो श्रीराम का नाम लेती है । हम तो सोचते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के दूबारा सदस्य हैं, अगले बार भी हो सकते हैं, पहले भी रहे होंगे लेकिन 6 साल के अन्दर आप भगवान राम के करेक्टर को नहीं जान पाये । राम ने खुद वाण उठाया था, राम ने लक्ष्मण को नहीं कहा था, राम ने खुद वाण उठाया था और समुद्र ने उनके सामने हार माना । राम भगवान का नाम लेकर आपलोग पार्टी में आये, पार्टी से विधायक बने और राम के करेक्टर को भी नहीं जान पाये, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । हम रामायण पढ़े हैं, राम ने खुद वाण उठाया था समुद्र के आगे, लक्ष्मण को नहीं कहा था उठाने के लिए । अफजल गुरू के बारे में हमारे भाईसाहेब ने बताया कि जिस अफजल गुरू को, कश्मीर में पी0डी0पी0 ने जिस अफजल गुरू को अपना

भगवान मानता है, उसके साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं । आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पार्टी के नेता को शर्म आनी चाहिए । वही कहा कि एक भाई सुद लेता है और एक भाई लड़कर उसको डरा देता है । यहां अफजल गुरू बोलते हैं और साथ में सरकार बनाते हैं । देखिए- मन में राम, बगल में छुरी और मौका लगे तो काटे मुड़ी । हमलोगों के यहां देहात में कहावत है कि मन में राम, बगल में छुरी और मौका लगे तो काटो मुड़ी । राम को भी रखते हैं और छुरी को भी साथ रखते हैं । हमलोग राम और रहीम, इसाई और अम्बेदकर सब में विश्वास करनेवाले लोग हैं । हमारे जो नेता हैं, हमारा राजनीतिक जीवन 1993 में शुरू हुआ, वर्ष 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ, हम उस समय ग्रेजुऐशन कर चुके थे । हमने तो राजनीति में नीतीश जी को देखकर राजनीति में आये और उनको देखते-देखते आज उनके आर्शीवाद से हमें दूबारा सदन में आने का मौका मिला ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : आप तमाम लोगों से अनुरोध है, खास करके जो गृह विभाग का बजट है, उसमें सभी लोगों को, चाहे विपक्षी लोग के हों, सभी लोग इसमें साकारात्मक सुझाव देते तो बहुत अच्छा रहता ।

इन्हीं श।ब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य डॉ0 मोहम्मद जावेद जी, आपका दस मिनट समय है ।

डॉ0 मोहम्मद जावेद : बहुत-बहुत शुक्रिया, सभापति महोदया, आज गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हूँ । किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में सबसे जरूरी चीज होती है लॉ एण्ड ऑर्डर और वनस्पत बाकी स्टेट से हमारा जो लॉ एण्ड और्डर है, वह बेहतर है । हम जानते हैं कि काफी कमियां हैं लेकिन हमारी उम्मीद है कि उन कमियों पर हमलोगों का कंट्रोल रहेगा ।

...क्रमश:...

टर्न-23/शंभु/28.03.16

डा0 मो0 जावेद : क्रमश:.....जहां तक सरकार की बात है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मैडम, अभी कुछ दिन पहले ही किशनगंज जेलर का जो आचरण था- जब नीतीश जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत जानकारी लेते हुए उसपर कार्रवाई की। हमारे अपने

गठबंधन के एम0एल0ए0 ने जो क्राइम किया उसको पकड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि जो अभी की सरकार है उसका काम सराहनीय है। लेकिन कुछ कमियां जो हमारे कन्सटीच्वेंसी शीलतपुर के बारे में अक्सर मैं दिखाता हूँ- 26.09.13 को डी0सी0एल0आर0 के रिपोर्ट जजमेन्ट के बाद वहां पर शीतलपुर में जमीन का नपाई हुआ 258 एकड़ में 176 एकड़ खाता में पाया गया, 26.85 वक्फ की जमीन मिली, 22.30 एकड़ भूदान का था और 1. 7 बिहार सरकार का था। अभी तक खाली नहीं हो पाया है। मेरी गुजारिश होगी सरकार से इसको जल्द से जल्द खाली कराकर जो रहमानी फाउंडेशन की जमीन है उसको दिया जाय.....व्यवधान....भैय्या, मैं सबसे खामोश रहता हूँ।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : आप बोलिये।

डा0 मोहम्मद जावेद : हमारे भाइयों ने बहुत चर्चा किया और करते आ रहे हैं दो साल से- दो साल के कबल अगर राम राज कहीं था तो वह बिहार में था, लेकिन जब से इनका ट्रांसफर यहां हुआ है बिहार में जंगलराज हो गया, परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज हिन्दुस्तान में कहीं हिफाजत से मैं अपने आप को महसूस करता हूँ तो वह इस जंगलराज में- वर्ना, आज हिन्दुस्तान में जो बेचैनी है, जो खौफ है उससे हम सब वाकिफ हैं और हम मानते हैं कि ये चल नहीं सकता है, इसमें रूकावट आने की जरूरत है। मैडम, मुझे खुशी हुई कि 17 मार्च को वर्ल्ड सूफी डे में प्रधानमंत्री ने अपने सच्ची मन की बात की तरह उन्होंने बोला कि अल्ला हैज 99 नेम और कोई भी नाम भ्वाइलेंस या फोर्स नहीं बताता और जितने भी टेरेरिस्ट हैं, जो रिलिजन के नाम से लड़ते हैं वह ऐन्टी रिलिजन हैं। हम सब मानते हैं और खासकर अगर देखा जाय तो ये जितने भी सोकॉल्ड इस्लामिक टेरेरिस्ट हैं 99 परसेंट अगर उनका नुकसान जिसको हुआ है, जो मरे हैं वे मुसलमान हैं। लेकिन मैडम, हमारे प्रधानमंत्री एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिन्दुस्तान से ताल्लुक रखते हैं जहां हजारों नहीं, लाखों देवता और देवियां हैं। वे भी कभी भ्वाइलेंस स्पीच नहीं करते तो फिर गुजरात कैसे हो गया, मुजफ्फरनगर कैसे हो गया और जब-जब इलेक्शन जहां-जहां होता है वहां फसाद करने की कोशिश कैसे होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बी0जे0पी0 यहां आ गयी तो हमारे बिहार में हर जिले में फसाद का माहौल बना। यह तो शुक्र है बिहार के लोगों का और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रशासन के लोगों का कि यहां पर मुजफ्फराबाद या मुजफ्फरनगर नहीं होने दिया, गुजरात नहीं होने दिया, वर्ना इन्होंने हर कोशिश की। मैडम, आज जो हालात हैं हिन्दुस्तान में हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप देख ही रहे हैं कि हैदराबाद में

क्या हुआ, जे0एन0यू0 में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ, जादवपुर में.....व्यवधान....ऐ भाई चुप रहो.....व्यवधान। ये क्या हुआ, क्या हमारे बच्चे वे बोल रहे थे कि लेकर रहेंगे आजादी, किस चीज से आजादी, वे बोल रहे थे लेकर रहेंगे आजादी गरीबी से, अत्याचार से, भूखमरी से, पूंजीवाद से और भेदभाव से और बी0जे0पी0 को ये रास नहीं आयी क्योंकि ये गरीब के खिलाफ की पार्टी है, ये पूंजीपति वाद पार्टी है और इन्होंने क्या किया- हमारे बच्चों पर एलीगेशन चार्जेज किया और आज यहां बोलते हैं कि बिहार में जंगलराज है। पूरे हिन्दुस्तान में जंगलराज कर दिया है इन्होंने, आज हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, आज हमें उठना पड़ेगा। आज जितना स्तर इनटोलरेंस का बढ़ गया है..... व्यवधान।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) बोलने दीजिए।

डा0 मोहम्मदजावेद : और दूसरी तरफ हमारे बी0जे0पी0 के साथी उनलोगों से हाथ मिलाते हैं.... ....व्यवधान।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) बोलने दीजिए इनको।

डा0 मोहम्मद जावेद : जो अफजल गुरू की बात करते हैं। जो आते ही, जम्मू कश्मीर में जब हुकूमत बनती है तो आते ही पहला काम करता है कि जो मुस्सर्रत 2010 से ही वहां पर आतंक मचाये हुआ था कश्मीर में उसको रिलीज किया। यह वही लोग हैं जो कांधार में खुद जाकर टेरेरिस्ट को छोड़कर आये ऐसे बड़े बड़े टेरेरिस्ट को, जिसका हर्जाना आज तक हमको देना पड़ रहा है। ये वे लोग हैं जो बापू के हत्यारे को पूजते हैं। उनका नाम सदन में और पार्लियामेंट में लेते हैं, ये वे लोग हैं। आज हिन्दुस्तान के लोग खतरे में हैं, अगर दलित आवाज उठाता है तो उसको कह देता है नक्सलवादी है, अगर ट्रायबल कोई आवाज उठाता है तो उसको माओवादी कह दिया जाता है और मुसलमान अगर कोई आवाज उठाता है तो टेरेरिस्ट कह दिया जाता है और जो बाकी हिन्दुस्तानी आवाज उठाते हैं उसको देशद्रोही कहा जाता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मैडम, इसी सदन में हमारे साथ थे, एम0एल0ए0 थे और आज यूनियन मिनिस्टर हैं। क्या कहा था उन्होंने, जो बी0जे0पी0 को वोट नहीं देगा वह सब पाकिस्तान चला जाय। क्या हम 100 करोड़ आबादी के लोग पाकिस्तान जायेंगे या 100 सवा लाख लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे, यह फैसला हमें करना है। मैडम, मुझे कभी कभी तो यह चिंता होती है आज हमारे हाऊस में नहीं हैं हमारे सीनियर नेता सबसे ज्यादा ऊर्दू फारसी वही बोलते हैं, शुरू भी शायरी से करते हैं, खत्म भी शायरी से करते हैं हमारे नन्दकिशोर यादव जी, कहीं उनको न नोटिस मिल जाय कि बहुत ऊर्दू फारसी

बोलते हो चले जाओ यहां से- आज यह माहौल है हिन्दुस्तान में और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि जर्मनी में एक शक्स थे मार्टिन म्यूलर जो एक पादरी थे और वे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें जीवित रहना है तो सबको मिलकर रहना है और ये इम्पोर्टेंट मैसेज था। उन्होंने कहा कि जब सोशलिस्ट पर हिटलर ने अत्याचार किया तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। उसके बाद जब ट्रेड यूनियन पर अत्याचार किया तब भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से नहीं ताल्लुक रखता था, फिर ज्यूस पर जब अत्याचार हुआ, करोड़ों लोगों को मारा गया तब भी मैं चुप था क्योंकि मैं ज्यूस भी नहीं था, लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया तब मेरे को बचानेवाला जर्मनी में कोई नहीं बचा कि उसके लिए कोई बोल सके तो स्थिति इतनी भयावह है यहां पर। हमलोगों को समझना होगा और अगर हम नहीं समझे तो हमें कोई नहीं बचा पायेगा। हमें फिर नेचर पर बिलिव करना होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इजिप्ट में भी फेरोन का हमने अत्याचार सुना होगा। फेरोन के अत्याचार में मुसा अलइसार को भेजा गया था तब वहां पर जो ज्यूस हैं उनको राहत मिली। उसके बाद हिटलर का शासन हमने देखा इसी 100 साल के अंदर उसका शासन हटाने के लिए पूरे विश्व के लोग एकजुट हो गये और हटाया.....क्रमशः।

टर्न-24/अशोक/28.03.2016

डा0 जावेदः क्रमशः हमारे हिन्दुस्तान में भी जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो उस उत्याचार को खत्म करने के लिए श्री राम जी का जन्म हुआ, उससे पहले कंश राज का अत्याचार हुआ तो उनको खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, आज हिन्दुस्तान में 25 करोड़ कन्हैया पैदा हो गये इस अत्याचार को मुक्त कराने के लिए । इसलिए आखिर में, मैं आपके इजाजत से इस कटौती के खिलाफ बोल रहा हूँ और इसका जो बजट्री एलोकेशन है होम डिपार्टमेंट का, उसको पास करने की अपील करता हूँ । बहुत-बहुत शुक्रिया मैम ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार । आपका समय पांच मिनट है ।

श्री जिवेश कुमार : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ और जाले विधान सभा के समस्त जनता को धन्यवाद देता हूँ जिनके कारण आज मुझे यहां बोलने का मौका मिला

है। मैं आपके माध्यम से सदन के काबिल सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि समय पांच मिनट मिला है इसलिए बीच में टोका-टोकी न करें तो इस पांच में मिनट में अपने क्षेत्र की बात कह सकूं ।

मैं आपके माध्यम से इस सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि

" करेंगे वे क्या किसी की रहनुमाई,
करेंगे वे क्या किसी की रहनुमाई ।
लुटा के जो खुद कारवां आ गये ।। "

सुशासन की बात करने वाले लोग, जब सरकार का बजट पढ़ा जा रहा था, गृह का महोदय बजट पढ़ा जा रहा था तो उसमें नक्सवाद, आज बिहार नक्सलवाद से व्रस्त है, उसके लिये कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूॅ । महोदय, सात निश्चय की बात लगातार हो रही है, मैं जानना चाहता हूॅ आपके माध्यम से कि आखिर ये सात निश्चय किस के लिए हैं, ये सात निश्चय जिसके लिए है -ये सात निश्चय जिसके लिए हैं महोदय, (व्यवधान) मैंने पहले कहा कि टोका-टोकी न करे- महोदय ये सात निश्चय जिसके लिए है, कम से कम उनके लिए एक निश्यच ले लेते कि उसके जाान-माल को इस बिहार में सुरक्षित रखने का एक निश्चय कम से कम मुख्यमंत्री जी ले लेते तो अच्छा होता । निश्चय सात ही लेना था, ऐसा क्या किसी पंडित ने कहा था ? निश्चय सात ही लेना था ऐसा क्या किसी मौलवी ने कहा था? आप आठवां निश्चय, कम से कम पहला निश्चय लेते, राज्य की जनता की जान-माल की सुरक्षा का पहला निश्चय लेना चाहिए था महोदय । जब इस राज्य में लालू जी और राबड़ी जी की सरकार चल रही थी, उस 15 साल की सरकार के क्रम में इस सदन के आज के मुखिया एक बात बराबर बोला करते थे कि राज्य में लगातार संगठित अपराध में वृद्धि हो रही है, आज मैं याद दिलाना चाहता हूॅ उनको कि जब 2005 में आप आये और एन.डी.ए. की सरकार बनी तो आप संगठित अपराध पर लगाम लगा कर इस प्रदेश में अमन-चैन बैठाने का कायम किया, आज पुनः आपके आते इस राज्य में संगठित अपराध में अचानक बेतहाशा वृद्धि क्यों हो गई ? क्योंकि अपराधी खुद ही कह रहे हैं " जब सइयां भइले कोतवाल तो अब डर काहे का " ।

महोदय, ए.के. 47 पिछले दस साल से गायब था, अब ए.के. 47 की गूंज फिर से आ गई बिहार के अन्दर, विचार करना पड़ेगा । आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूॅ और पुलिस की तारीफ कोई माननीय सदस्य कर रहे थे, मैं बतलाना चाहता हूॅ कि इस सदन में चुन कर आये माननीय सदस्य

ने चौदह साल के बच्ची के साथ रेप किया और एक महीना तक इस बिहार की पुलिस पकड़ नहीं पाई और जैसे लोग बारात जाते हैं, जैसे लोग बारात जाते हैं वैसे मारूति कार में बैठकर वे कोर्ट में आकर सरेन्डर करने का काम किये ....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : एक मिनट महोदय । मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। महोदय, माना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर महागठबन्धन का महाबोझ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपराधी जेल से सरकार चलाये । महेदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ । महोदय, दो मिनट का समय लूंगा ।

अध्यक्ष : दो मिनट नहीं, अब आप समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : अभी होली के दिन, हमारे यहां कड़वा में हिन्दू-मुस्लिम राईट हो गया, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि दोषियों को पकड़ कर दिखा दें । छः बजकर 15 मिनट में नमाज अदा होनी थी, साढ़े पांच बजे हिन्दुओं की टोली पर ईंट क्यों बरसाई गई ? दोषियों को पकड़ कर दिखला दे महोदय ।.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आज सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय के बजट पर बातें हो रही हैं । विधि व्यवस्था का प्रश्न प्रधान है । मैं आपके माध्यम से सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के ग्राम पकड़ी पुनक के नन्द नारायण राम की हत्या उसी जिला और उसी प्रखण्ड की सरहरवा निवासी वकील सिंह ने कर दिया और अभी तक वकील सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक उस दलित को कोई मुआवजा नहीं मिला- यह हालात है बिहार की । अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे नक्सलवाड़ी के बारे में, चिन्ता है ए.के. 47 की, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ कि इस बात की कि जब बड़े-बड़े लोग दर्जनों हथियार रखते हैं घर में और लेकर चलते हैं तब बिहार में विधि व्यवस्था की चिन्ता नहीं होती है और गरीब भूमिहीन अगर एक राईफल उठाता है तो चिन्ता हो जाती है - क्यों चिन्ता हो रही है ? आज विधि व्यवस्था का सवाल है । आज पूरे बिहार में जमीन का सवाल, आज गरीब लोग जमीन पर बसे हैं, नवादा में महादलितों की झोपड़ी जला दी गई, भाजपा के विधायक है वहां, अभी तक वे महादलितों से पूछने नहीं गये कि क्या हालात है । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक कोई पूछने नहीं गया - कहां इमानदारी है ? और कहां व्यवस्था है ? बेगूसराय जिलान्तर्गत बलियापुर में, वहां पर 100 बीघा जमीन का पर्चा महादलितों को दिया गया है और आज उस जमीन पर महादलितों

का कब्जा नहीं है और ये महादलित लोग शंका जताये थे कि यहां के सामंती तत्व हमारी हत्या कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, इसकी सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई महोदय जिसका परिणाम है 21 मार्च को, 21 मार्च को दो दलितों की हत्या कर दी गई । दो दलितों की हत्या कर दी गई और इसी तरह से पश्चिम चम्पारण में गोनहा प्रखण्ड के, गोनहा प्रखण्ड में महादलित लोगों को 1971 में पर्चा दिया गया और उन पर बसाया गया, लेकिन वहां के लोकल प्रशासन वहां के राज घरानों से मिली भगत करके और उस जमीन पर उनके नाम से पर्चा कट रहा है और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है । मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर सोंचने के लिए तैयार है । हम अपनी पीठ अपने हाथ थपथपाते हैं, लेकिन बिहार के गरीबों की क्या हालात है, यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है । आर्थिक सामाजिक जनगणना ने साबित कर दिया है कि आज बिहार में 65 प्रतिशत लोग भूमिहीन है- यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके तंत्र कह रहा है, सरकार कह रही है, आपने उस पर क्या कदम उठाया ?

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, आपका चार मिनट समाप्त हो गया, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : आज बिहार में गरीब लोग हैं, हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी उजागर होती है कि हमने यह तय नहीं कर पाया कि बिहार में कितने गरीब हैं, परिणाम होता है कि.....क्रमशः

टर्न-25-28-07-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री सत्यदेव राम : परिणाम होता है कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को वंचित होना पड़ता है । इन्दिरा आवास स्वीकृत हुआ पता चला कि जमीन नहीं है तो इन्दिरा आवास नहीं बनेगा । आपके कन्यादान का पैसा , कबीर अन्त्येष्ठि का पैसा , वृद्धावस्था पेंशन का पैसा , आज सारे गरीब लोग जो बी0पी0एल0 से बाहर हैं उनको नहीं मिल रहा है । कहाँ हमलोग रहते हैं , कहाँ हमलोग देखते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सत्यदेव राम : हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार बजट पर समर्थन मांग रही है , अगर गृह विभाग मांग रहा है तो उसको इस बात की गारन्टी करनी होगी कि हम बिहार में नये सिरे से ठीक से जाँच कराके और बी0पी0एल0 सूची तैयार कर देंगे । उसे पूरा कर देंगे । सारे गरीबों को उससे फायदा होगा ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये । श्री ललन पासवान ।

श्री सत्यदेव राम : एक मिनट महोदय । महोदय, मैं जेल से आ रहा हूँ । जेल के बहुत सारे सवाल पर कहना चाहता हूँ कि आपने 2000 में परिहार समिति बनायी है । और वैसे जो सजा याफ्ता लोग हैं उनको समय पर रिहा करने के लिए बनाया है लेकिन आज मैंने देखा कि जेल के अंदर 20 वर्षों से सजा याफ्ता लोग पड़े हुए हैं । 20 वर्ष पूरा हो गया है लेकिन परिहार समिति की पता नहीं बैठक होती है कि नहीं होती है, उनके ऊपर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि परिहार समिति की बैठक करके उन कैदियों को रिहा करने की दिशा में पहल करें ।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी हो गयी बात, अब छोड़ दीजिये । श्री ललन पासवान । ललन जी, आप दो मिनट में समाप्त करिये । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री ललन पासवान : सर, इतना बड़ा दलित का मामला है उसके लिए दो मिनट का और समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के . . . .

अध्यक्ष : अब कहाँ आजादी से शुरु कर रहे हैं । हमने कहा जो दो मिनट का समय है ।

श्री ललन पासवान : आजादी के बाद 1952 में, आरक्षण बाबा साहब अम्बेदकर ने इस देश में लागू किया ।

अध्यक्ष : हमने कहा दो मिनट समय है ।

श्री ललन पासवान : आरक्षण का बकाया कोटा अध्यक्ष महोदय, सर आजादी से ही न शुरु करना पड़ेगा । आरक्षण का बकाया कोटा 3 लाख 64 हजार पूरे बिहार में और देश में 40 लाख बैक लौग खाली है । आरक्षण दस वर्षों के लिए लागू किया गया था । आज मात्र 6 प्रतिशत 9 से 10 लाख बिहार में कर्मचारी हैं । उसमें मात्र पचास हजार अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारी आजतक कार्यरत है । पूरा बैक लौग खाली है । हम गृह विभाग से ही शुरु करें । 70 हजार, बिहार में सिपाही हैं, आरक्षी बल हैं 65 से 70 हजार और 4320 अनुसूचित जाति के और 1120 जनजाति के पूरा खाली है 6 हजार 7 हजार हुआ अनुसूचित जाति का और 4 हजार से ऊपर हुआ अनुसूचित जन जाति के आरक्षण का बकाया कोटा पूरा खाली है । उसी तरह से शिक्षा विभाग में 11 हजार व्याख्याता प्रोफेसर हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या मात्र 123 है अध्यक्ष महोदय । मैं कहना चाहता हूँ पदोन्नति में , हाई कोर्ट का आधार बनाकर बिहार सरकार में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया । सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बिहार सरकार स्वयं देखेगी । अभीतक बिहार में पदोन्नति के मामले लंबित हैं , मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं , अभी तक सैकड़ो नहीं , हजारों

अनुसूचित जाति के कर्मचारी और पदाधिकारी प्रोन्नति के सवाल आरक्षण नहीं मिलने के आधार में ये अभी तक लंबित हैं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट ।

श्री श्याम रजक : मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की, उनकी पार्टी की सरकार है - मामला लोक सभा में पड़ा हुआ है ,अगर उसको ये पास करवा दें । वहाँ बी0जे0पी0 के लोग हैं, अगर दलितों के प्रति थोड़ा भी दर्द हे तो उनको प्रोन्नति में आरक्षण पास कराना चाहिए ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार दिल्ली की है या बिहार की उससे मतलब नहीं है, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ । दिल्ली में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है और प्रोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है ।

अध्यक्ष : अभी गृह विभाग की मांग चल रही है ।

श्री ललन पासवान : हाँ, निश्चित तौर पर मांग करेंगे नरेन्द्र मोदी जी से भी और माननीय नीतीश कुमार जी से भी मैं मांग करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहे हैं । रोहतास और कैमूर नक्सल इलाका है और नक्सल इलाका से इस बार उसको हटा दिया गया है । सड़क के कारण पूरा पहाड़ पर जितना गांव है, वह नक्सल में अगर होता तो वहाँ सड़कें बना दी जाती और नक्सल में शामिल उसको किया जाय और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि यदुनाथपुर चार राज्यों का उग्रवाद का शरणस्थली रहा है वहाँ एस0डी0पी0ओ0 कम से कम चार थाना मिलाकर मुख्यालय बना दिया जाय । चार राज्यों का छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड , बिहार , मध्यप्रदेश का वहाँ शेल्टर है । वहाँ अगर एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय बना दिया जाय । इसके लिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 15 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखने का काम किया । इसमें चार माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और एक उनके गठबंधन के तो इसलिए 5 के करीब लोगों ने अपनी बातों को रखा । महोदय, अपेक्षा थी कि नेता विरोधी दल बाहर और भीतर, हर हमेशा

कानून, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अख़बारों में छपने का काम करते रहे, अपेक्षा थी कि नेता विरोधी दल आज गृह विभाग के बजट पर गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखते या सुनते या अपने सदस्यों को भी बिन्दु वार अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करते तो अच्छा लगता । महोदय, लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए , खामियाँ अगर हैं तो उसका जिक्र होना चाहिए ।

श्री प्रेम कुमार : आपके बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते तो अच्छा होता ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, बोलेंगे, बोलेंगे । मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि नहीं वह अलग विषय है । माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन के नेता हैं, बोलते ही रहते हैं लेकिन आप सुनते कहाँ हैं ? परेशानी यह है । महोदय, ये जो पुलिस प्रशासन है, गृह विभाग यह सबसे महत्वपूर्ण अवयव है । अंग्रेजों ने सैकड़ों साल पहले इसके स्ट्रक्चर को और इसके अवधारणा को निर्मित करने का काम किया था । और सी0आर0पी0सी0 , आई0पी0सी0 की भी रचना उसी वक्त हुई थी । पुलिस मैन्यूअल का भी निर्माण हुआ था । मामूली संशोधन के साथ पूरी दुनिया में न केवल भारत में वही व्यवस्था चल रही है । उस समय भी महोदय, यह कल्पना की गयी थी, जब राजा रजवाड़ा का राज था तो थाने का निर्माण नहीं हुआ था । इंसपेक्टर, डी0एस0पी0 , एस0पी0 इन पदों का सृजन नहीं हुआ था । आजादी के बाद केवल हमलोगों ने प्रखण्डों का निर्माण किया नहीं तो बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी समय के है । और आज भी महोदय, स्पौटलाईन यार्ड की पुलिस की ट्रेनिंग दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है । लेकिन कौन बेहतर है , कौन अच्छा है यह निर्भर करता है परिणाम पर । विद्यार्थी बहुत पढ़ने का काम किया, नेताा विरोधी दल बहुत भाषण देने का काम किया तो चुनाव का परिणाम उसका द्योतक होता है । मैं शुरु करुंगा चुनाव के समय में 2013 में जब एन0डी0ए0 टूटा , इनलोगों के आचरण के चलते टूटा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी । सबसे अधिक वोट उसे आया था ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, सुनिये तो । आंकड़े देख लीजिये । आपको सबसे अधिक वोट नहीं आया है । माफ कीजियेगा आपको सबसे अधिक वोट नहीं आया है ।

(व्यवधान)

तीसरे नंबर पर चले गए । आप जो कहेंगे वही बात मानने के लिए तैयार हैं । महोदय, पहले तो इन लोगों ने प्रोपेगण्डा किया क्या ? नीतीश कुमार का गठबंधन श्री लालू प्रसाद के साथ नहीं होगा । फिर हुआ कि गठबंधन होगा तो

चलेगा नहीं । जिन लोगों के खिलाफ जो बगल में बैठते हैं ललन जी , अभी आरक्षण की बात कर रहे थे । जिन लोगों के खिलाफ इनलोगों ने कार्रवाई की अपेक्षा की, गठबंधन उन्हीं से कर लिए । अपराध की बात पर मैं आता हूँ । महोदय, आपको याद होगा , आप भी हमलोगों के साथ थे । राष्ट्रीय जनता दल और कौंग्रेस के साथ चुनाव आयोग के सामने में गए थे ।

क्रमशः

टर्न–26/विजय/28.03.16

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः क्रमशः याद होगा जब चुनाव आयोग के सामने में हमलोगों ने कहा कि सभी बूथों पर सी0आर0पी0 और बी0एस0एफ0 की टुकड़ी रहे, सेंट्रल रिजर्व फोर्स रहे तो माफ कीजियेगा गुजरात के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, वो भी आयोग के एक मेम्बर हैं वे हत्प्रभ रह गए । याद होगा आपको उन्होंने कहा कि हम तो उम्मीद नहीं करते थे कि रूलिंग पार्टी भी इस तरह की डिमांड करेगी । आपने ही महोदय कहा था कि हमलोग चाहते हैं कि फेयर चुनाव हो । फेयर चुनाव हुआ । उसके आंकड़ें हैं महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसे चुनाव हुए कि यहां के लोग अब दूसरे जगह ट्रेनिंग देने जाते हैं । महोदय, 19 करोड़ रूपया हमारी पुलिस ने पकड़ने का काम किया । सेंट्रल रिजर्व फोर्स के लोग नहीं थे बूथ पर केवल थे । चुनाव करवाने में ही उनको डिप्लाय किया गया था । 3 लाख 95 हजार 242 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 2 लाख 37 हजार 872 व्यक्ति से बौंड भराया गया ।

(व्यवधान)

सुनिये । भगवान बचाये आपको । सुनिये तो ।

अध्यक्षः माननीय नेता, प्रतिपक्ष । आपलोगों ने ही बहुत सारे मुद्दों को उठाया है । माननीय मंत्री बिंदुवार बतायेंगे आप सुनिये न ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, दुर्भाग्य है इनलोगों का, हमलोग क्या करें । ये लोग तो उछल–उछल कर कहते थे कि हमलोग इस बेंच पर आने वाले हैं । अब जनता ने इन्हें नहीं आने दिया तो आक्रोश में हैं । उकसा रहे हैं बात नहीं सुनना चाह रहे हैं।

महोदय, चार महीने भी इस सरकार को नहीं हुआ है । महागठबंधन के खिलाफ ये क्या क्या बालें क्या क्या नहीं बोले वह तो रेकर्ड है, जनता ने उसका फैसला किया। क्या बोलते थे - आ रहा है जंगल राज-2 । यह कोई नयी बात नहीं है, रियेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यह तो हो चुका है । यह सब परीक्षा में रामवाण बेहतर क्वेश्चन लिखने का काम उपर से नीचे तक इनके नेता कर चुके हैं । रिजल्ट आया-53 महोदय।

(व्यवधान)

ऐसा परिणाम आया महोदय कि मैं इनलोगों को कहना चाहता हूं ।

श्री प्रेम कुमार: सब मोर्चे पर फेल हैं । जनता ने मैनडेट आपको दिया था सरकार चलाने के लिए और चार महीने में सभी मोर्चे पर आप फेल कर गए । इसीलिये आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते ।

(इस अवसर पर भाजपा के मा0 सदस्यगण सदन से वाक-आउट कर गए)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: जनता के बीच से चले गए सदन से चले गए तो कोई ज्यादा अपेक्षा इनसे नहीं थी । यह कहते हैं महोदय कि श्री नीतीश कुमार का शासन कुशासन में बदल गया । ये क्यों भूल जाते हैं जब इनके साथ नीतीश कुमार थे तो ये सत्ता में आए थे । अकेले ये आ नहीं सकते, इनके अपने लोग भी कहते हैं इस बार भी यह तय हो गया दो तिहाई बहुमत मिला महागठबंधन को । महोदय, अपराध चार महीने में, चार महीने में अपराध के आंकड़े । अब महोदय देखा जाय राष्ट्रीय रेकर्ड क्या है 28 लाख 51 हजार 563 अपराध दर्ज हुआ है पूरे देश में । बिहार में कितना है महोदय एक लाख 77 हजार 595 आबादी के हिसाब से बिहार तीसरा राज्य है और क्राइम के मामले में 8 वां स्थान इसका महोदय है । आबादी के हिसाब से राज्य में तीसरा और क्राइम के मामले में 8 वां । सात राज्य कौन कौन हैं इनके उपर । वे छोटे छोटे राज्य हैं महोदय । इसीलिये अपराध के मामले में हवा में बात करके किसी आंकड़े पर और ये आंकड़े तो भारत सरकार के हैं नेशनल क्राइम ब्युरो के हैं । कोई हमलोग की सरकार के श्री नीतीश कुमार जी के रेकर्ड ब्युरो के आंकड़े नहीं हैं महोदय । इसलिये आंकड़े आप तर्क के आधार पर नहीं बकवास के आधार पर, जो दुर्दशा इनकी चुनाव में हुई आगे आने वाले वक्त में भी वही होने वाली है । मैं कहता हूं मैं गर्व से कहता हूं हिन्दुस्तान का पहला मुख्यमंत्री और महागठबंधन का नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं कि अपने पराये में कानून के मामले में फर्क नहीं करते । अपने भी 8 माननीयों पर कार्रवाई करने का फैसला, यह भी ऐतिहासिक है । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया नहीं किया । मैं एक का जिक्र करना चाहता हूं महोदय । इनके एक

एम0पी0 जो राज्य सरकार में भी पहले किसी जमाने मे गृह सचिव रहे थे और भारत सरकार में भी गृह सचिव रहे थे । उन्होंने क्या कहा चुनाव में अपराधियों से पैसे लेकर के टिकट बांटे गए हैं इसलिए मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाउंगा । एक पालिटीशियन कहता तो बात समझ में आती । अफसर के रूप में उनकी साख, उनका ईमान की चुनौती हिन्दुस्तान में कोई नहीं दे सकता । उन्होंने ये शब्द कहा । क्या कार्रवाई की इन्होंने अगर उन्होंने झूठ कहा तो । जब आरोप लगे, अपराध के मामले में तो विधायकों की गिरफ्तारी ही नहीं हुई, कार्रवाई भी उतने ढंग से हुई । कहते कि सरेन्डर किया, क्यों सरेन्डर किया। और आइ0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 में क्यों दर्ज किया उस जमाने में भी यह निर्माण तो अदरणीय नीतीश कुमार जी के महागठबंधन के नेतृत्व में तो आइ0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 का निर्माण नहीं हुआ । उस समय में भी यह धारा अंग्रेजों के द्वारा जोड़ी गयी कि क्रिमिनल एब्सकोंड कर सकता है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ सकता है तो कोर्ट की इजाजत से कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जायेगी यह इस बात का सबूत है कि उस समय भीं इसकी कल्पना की गई थी, कोई नयी बात नहीं थी । लेकिन कुर्की जप्ती जब होती है, कठोर कार्रवाई तो सरेन्डर किया जाता है । इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा, कहां जाएगा, कहां जाएगा कानून के पकड़ से बाहर । और यह दुनिया का रिवाज है इसलिए महोदय ये आरोप लगाना कि जंगल राज आ गया, ठीक है महोदय एक याद आती है बात हमें आदरणीय स्व0 बी0पी0 सिंह साहब जब चुनाव कम्पेन कर रहे थे क्या आवाज आती थी -राजा नहीं फकीर है और देश का तकदीर है । आज वही आरक्षण मंडल कमीशन लागू किया तो क्या नारे लगने लगे- राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है । जिनके मुंह में जुबान है, जिनके पास पैसे हैं, कारपोरेट सेक्टर जिनके पीछे खड़ा है और दिल्ली की सल्तनत है, क्या कहना है उनका । जो चाहे सच को झूठ, झूठ को सच बनाने की ताकत रखता है । लेकिन यह देश गांधी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण का देश है । जब आजादी मिली थी उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी कोई माई का लाल इस लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता पर कोई कुठाराघात कर नहीं सकता । और यह बिहार के रिजल्ट ने परिणाम दे दिया। इसलिए इस बकवास का बहुत उत्तर देना मैं अपेक्षित नहीं मानता महोदय । अब महोदय, कुछ चीज जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार आगे करने वाली है चूंकि महोदय आंकड़े अपराध के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में विस्तृत व्योरा इन्होंने रखने का काम सदन में लगभग डेढ़ घंटे के

भाषण में उन्होंने रखने का काम किया था । आगे क्या क्या करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था आदि ठीक करने के मामले में उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा महोदय । महोदय, विधि व्यवस्था को सक्षम और कार्यशील बनाने के लिए राज्य के अन्य जिले में भी पृथक ईकाई का गठन किया जा रहा है।

क्रमशः

टर्न–27/राजेश/18.3.16

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, क्रमशः- महिलाओं से छेड़खानी एवं लैंगिक अपराध 24X7 कार्यरत रहेगा,शीघ्र ही की जा रही है। एक अप्रैल 2016 से शराबबंदी को कठोरता से लागू करने के लिए भी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और पुलिस को जवाबदेही दी जा रहीं है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा आम जनों को पुलिस मामलों से संबंधि।त किसी भी तरह से शिकायत परिवाद पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक,बिहार,पटना के कार्यालय कक्ष में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है जो सातों दिन सप्ताह में 24 घंटा कार्य करेगा,इस कार्य योजना को महोदय मई,2016 से प्रारंभ करने का लक्ष्य है। महोदय,पुलिस विभाग में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के संबंध मेंगृह आरक्षी विभाग,बिहार पटना की अधिसूचना संख्या–4111 दिनांक 28.5.13 एवं ज्ञापांक–2748 दिनांक 20.4.15 द्वारा आरक्षित एवं गैर आरक्षित में सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के पदों पर 97 प्रतिशत पदों के अन्तर्गत 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वर्तमान में पुलिस के लिए 1,06,696 पद सृजित है,हलॉकि ललन जी चले गये हैं लेकिन वर्ष 2017 तक यह संख्या 1,24,193 पद हो जायेंगे। सिपाहियों के शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से पुलिस मैनुएल में सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। हमारी स्मार्ट पुलिस हो हमारी, यह अत्यावश्यक है महोदय। बिहार राज्य पुलिस बल के अधीन चालक संवर्ग में कुल 1602 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सक्षम प्राधिकार को भेजी गयी है। महोदय,चालक की कमी है,इसको पूरा करना अतिआवश्यक है। बिहार राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्य कुशलता,परिश्रम समाजिक उत्थान एवं सशक्तिकरण के उद्वेश्य से अनुसूचित जनजाति महिला सशस्त्र बटालियन बाल्मिकीनगर, जिला–बगहा का सृजन "बिहार स्वाभिमान पुलिस कटालियन" के नाम से गठन

किया है। नवसृजित 675 सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार को अधियाचना भेजी गई है। महोदय, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 2005 से अब तक 2152 नियुक्तियॉ की गई है तथा 1140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 35 से अधिक पद महिलाओं के आरक्षित है। इसके अतिरिक्त महोदय परिचारी(सार्जेन्ट) के 214 पद, स्टेनो ए0एस0आई0 के 87 तथा टाईपिस्ट ए0एस0आई0 के 78 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है। इसी तरह से महोदय अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के भर्ती के लिए एक अलग पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा हैजिसके माध्यम से अवर निरीक्षक एवंवन एवं पर्यावरण विभाग/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,परिवहन विभाग/गृह रक्षा वाहिनी के वर्दीधारी कर्मियों के लिए (ग्रेड वेतन 1900 रुपये से 4200 रुपये तक) पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। महोदय, कांडो के त्वरित अनुसंधानएवं विधि-व्यवस्था से जुड़े कार्य हेतु पृथक ईकाई का गठन वर्तमान में 178 थानों में किया गया है। राज्य के शेष बचे थानों में लागू करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है जिसे जून-2016 तक पूरा कर लिया जायेगा। महोदय,माननीय सदस्य अक्सर प्रश्न करते हैं कि अनुसंधान में बहुत देरी हो रही है तो इसके लिए बड़ा ही सक्षम एवं क्रांतिकारी कदम है। महोदय, पहली बार राज्य के उग्रवाद प्रभावित/सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में अपराध से निबटने हेतु एक हेलीकॉप्टर क्रय(वेट लीज ऑप्शन) पर प्राप्त/क्रय की योजना है,यह भी पहली दफे हो रहा है। इसके अतिरिक्त महोदय,राज्य के सभी थानों को सी0सी0टी0एन0एस0(crime & crimal tracking networking system) परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है,जल्दी ही निविदा का निष्पादन होगा और इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा। महोदय,थानों में सुविधा भी बढ़ाने की जरुरत है क्योंकि हमारे जो पुलिस पदाधिकारी है वे थानो में दिन रात काम करते हैं,इसलिए थानों में पानी,शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। इसके निर्माण हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को ही नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। महोदय,पुलिस की प्रोपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए,इसके लिए बिहार पुलिस एकेडमी,राजगीर का निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए प्रधान सचिव,बिहार,पटना को नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया गया है ताकि द्रुत गति से इसके निर्माण में जो कठिनाईयॉ हो,उसको दूर करके आगे मामला को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही महोदय असूचना तंत्र को और सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए विशेष शाखा का पुर्नगठन प्रस्तावित है। पुलिस के लिए मीडिया पॉलिसी बनाई गई है,जिसमें जिला में पुलिस अधीक्षक/पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस

महानिदेशक रैंक के पदाधिकारी प्रेस को ब्रीफ करेंगे तथा सोशल मीडिया को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जायगी। साईबर क्राइम महोदय यह एक नयी चीजें हैं। साइबर क्राइम का नियंत्रण वर्तमान में आर्थिक अपराध ईकाई के द्वारा की जाती है। साईबर सेल का गठन राज्य के सभी पुलिस जिलों में करने का प्रस्ताव है और इसपर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही लापता बच्चों की खोजबीन के लिए विशेष रुप से नेशनल ट्रेकिंग सिस्टम फार मिसिंग चिल्ड्रेन trackthemissing child.gov. पद पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। लापता बच्चों की बरामदी हेतु अभियान राज्य के 40 पुलिस जिलों में चलाये जा रहे हैं। शराब बंदी को पूर्णतः लागू कराने के संबंधा में सभी थाना प्रभारियों से प्रमाण पत्र लिया गया है कि इनके क्षेत्र में कोई भी अवैध शराब की भट्ठी का संचालन अथवा शराब का व्यापार का परिचालन नहीं हो रहा है।

अध्यक्षः- माननीय मंत्री जी, शराबबंदी सरकार लागू कर रही है,उसके लिए दंड का भी प्रावधान कर रहे हैं,एक बार पीने वाले से तो अपील सरकार की तरफ से कर दीजिये कि पीना छोड़ दें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, मुख्यमंत्री जी इसके लिए अपील कर चुके हैं, जो नहीं छोड़ेगे तो वे जायेंगे,उसमें लोग क्या करेगा,कानून के तहत कार्रवाई होगी।

भूमिहीन थानों/पुलिस लाइन के लिए भूमि की व्यवस्था शीघ्र कर ली जायेगी। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस विभाग की सेवाओं को लाया जा रहा है। इसमें नियत अवधि के अन्तर्गत अनुपालन आवश्यक होगा,इससे एकाउर्नटिबिलिटी एवं रेसपौनसिबिलिटी काफी बढ़ेगी। DNA profiling, GCMS, video spectral compartor, comparasion microscope तथा voice matching के यंत्र स्थापित किये गये है। प्रदर्शो की आधुनिक पद्धति से जॉच की जा रही है। मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर स्थित regional FSL को भी सुसज्जित किया जा रहा है। अनुसंधान एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्धेश्य से सेना द्धारा प्रशिक्षित 60 श्वान (डॉग) का क्रय किया गया है। सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के जिलों में कैनल निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है। महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि यह जो फीगर है,इसे प्रोसिडिंग का पार्ट बनाया जाय क्योंकि समय समाप्त हो गया है महोदय।

अध्यक्षः- ठीक है। माननीय मंत्री जी का लिखित वक्तव्य कार्यवाही का हिस्सा बनेगा।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य परिशिष्ट द्रष्टव्य)

टर्न: 28/कृष्ण/28.03.2016

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अंत में मैं सदन से दख्वास्त करूंगा कि पुलिस का आधुनिकीकरण, एकाउंटीब्लिटी, एफिसियेंसी और क्राईम कंट्रोल में और अधिक पारदर्शी, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करें पुलिस पदाधिकारी लोग । इसीलिये यह बजट उस ख्याल से और कम ही कहा जाय तो बेहतर है । सब को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उल्टे लोग चले गये जो सबसे ज्यादा लॉ एण्ड आर्डर पर शोर मचाते थे । हम उनसे अपेक्षा करते हैं, कहीं वे सुन रहे होंगे तो वे हृदय परिवर्त्तन करें, सरकार कानून-व्यवस्था में कंप्रमाईज नहीं कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जायेगा और किसी को झूठा फंसाया नहीं जायेगा । इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि सदन इसको पारित करे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि -

'' गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 72,97,36,46,000/-(बहत्तर अरब संतानवे करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

गिलोटीन

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

'' 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये :-

मांग संख्या - 03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 31,80,16,16,000/-(एकतीस अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख सोलह हजार)रूपये,

मांग संख्या : 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 3,73,32,53,000/- (तीन अरब, तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार)रूपये

मांग संख्या : 06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 97,92,44,000/- (सनतानवे करोड़ बानवे लाख चौवालीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 07 निगरानी विभाग के संबंध में 34,10,08,000/-(चौंतीस करोड़ दस लाख आठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 19,75,53,88,000/- (उन्नीस अरब पचहत्तर करोड़ तिरपन लाख अठासी हजार)रूपये

मांग संख्या : 12 वित्त विभाग के संबंध में 02,82,06,01,000/- (दो अरब बेरासी करोड़ छः लाख, एक हजार)रूपये

मांग संख्या : 15 पेंशन के संबंध में 162,74,60,29,000/- (एक सौ बासठ अरब चौहत्तर करोड़ साठ लाख उनतीस हजार) रूपये

मांग संख्या : 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 71,83,91,90,000/-(एकहत्तर अरब तिरासी करोड़ एकानवे लाख नब्बे हजार)रूपये

मांग संख्या : 17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 1,02,58,64,000/- (एक अरब दो करोड़ अनठावन लाख चौंसठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 21,46,04,69,000(इक्कीस अरब छियालीस करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार)रूपये

मांग संख्या : 19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 2,42,26,82,000/-(दो अरब बेयालीस करोड़ छब्बीस लाख बेरासी हजार)रूपये

मांग संख्या : 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 82,34,69,66,000/-(बेरासी अरब चौंतीस करोड़ उनहत्तर लाख छियासठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 23 उद्योग विभाग के संबंध में 7,88,77,66,000/-(सात अरब अठासी करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 2,04,49,60,000/- (दो अरब चार करोड़ उनचास लाख साठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,72,55,71,000/-(दो अरब बहत्तर करोड़ पचपन लाख एकहत्तर हजार)रूपये

मांग संख्या : 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 7,81,95,37,000/- (सात अरब एकासी करोड़ पंचानवे लाख सैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या : 27 विधि विभाग के संबंध में 8,19,55,40,000/- (आठ अरब उन्नीस करोड़ पचपन लाख चालीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 18,94,52,000/-(अठारह करोड़ चौरानवे लाख बावन हजार)रूपये

मांग संख्या : 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध के संबंध में 2,93,99,67, 000/-(दो अरब तिरानवे करोड़ निन्यानवे लाख सड़सठ हजार)रूपये

मांग संख्या : 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 1,73,37,000/-(एक करोड़ तिहत्तर लाख सैंतीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 32 विधान मंडल के संबंध में 1,52,30,54,000/-(एक अरब बावन करोड़ तीस लाख चौवन हजार) रूपये

मांग संख्या : 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 5,28,00,33,000/-(पांच अरब अठाइस करोड़ तैंतीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 35,03,89,34,000/- (पैंतीस अरब तीन करोड़ नवासी लाख चौंतीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 17,54,98,54,000/(सत्रह अरब चौवन करोड़ अनठानवे लाख चौवन हजार)रूपये

मांग संख्या : 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 71,50,49,74,000/-(एकहत्तर अरब पचास करोड़ उनचास लाख चौहत्तर हजार)रूपये

मांग संख्या : 38 निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संबंध में 1,51,84,34,000/- (एक अरब एकावन करोड़ चौरासी लाख चौंतीस हजार)रूपये

मांग संख्या : 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 10,90,33,84,000/-(दस अरब नब्बे करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार)रूपये

मांग संख्या : 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 8,35,40,85,000/- (आठ अरब पैंतीस करोड़ चालीस लाख पचासी हजार)रूपये

मांग संख्या : 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,27,31,54,000/- (दो अरब सत्ताइस करोड़ एकतीस लाख चौव्वन हजार)रूपये

मांग संख्या : 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 16,28,63,71,000/- (सोलह अरब अठाइस करोड़ तिरसठ लाख एकहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या : 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,21,66,74,000/- (एक अरब एकीस करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार)रूपये

मांग संख्या : 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 6,72,49,44,000/-(छः अरब बहत्तर करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार) रूपये

मांग संख्या : 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 5,92,89,85,000/- (पांच अरब बानवे करोड़ नवासी लाख पचासी हजार)रूपये

मांग संख्या : 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 50,17,09,73,000/-(पचास अरब सत्रह करोड़ नौ लाख तिहत्तर हजार)रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 मार्च,2016 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 (पच्चीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 29 मार्च,2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

दिनांक 28.03.2016 को बिहार विधान सभा में गृह विभाग की मांग पर सरकार का प्रतिवेदन

कानून का राज एवं भयमुक्त शासन स्थापित करना बिहार सरकार की नीति रही है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, राज्य मे पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि–व्यवस्था सुदृढ़कर कानून का शासन स्थापित करना और लोगों को भय–मुक्त समाज एवं विकास प्रदान करना। साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण राज्य के सभी जिलों में कायम है । सभी धार्मिक त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। सरकार ने चाहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की बात हो अथवा संवेदनशील प्रशासन देने की बात हो, जिसमें महिलाओं की पुलिस के सभी पदों पर 35 से अधिक नियुक्ति का मामला हो, लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) को लागू कराने का मामला हो, जनता के दरबार में कार्यक्रम को नियमित ढंग से लागू करना हो, सभी संस्थागत रूप से लागू किये गये हैं । इसके अतिरिक्त साईबर अपराधों से निपटने के लिए साईबर सेल (cyber cell) की स्थापना हो, सभी मामलों में सरकार ने त्वरित ढंग से कार्रवाई की है। वैज्ञानिक अपराध के लिए विधि विज्ञान का आधुनिकीकरण, DNA Lab सहित अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रीय लैब की स्थापना की गयी है। राज्य के प्रत्येक जिलें में श्वान दस्ता कार्यरत कराने का निर्णय लिया गया । प्रथम चरण में सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के जिलों में कैनल निर्माण कार्य पूर्ण कर तथा सेना द्वारा प्रशिक्षित 60 श्वानों का क्रय कर श्वान दस्तों को कार्यरत कराया जा चुका है। राज्य के सभी जिलों में महिला पुलिस थानों में स्थापना की गयी है तथा राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति/जन जाति थाना कार्यरत है। आकस्मिक आपदा स्थिति से निपटने के लिए प्रथम रिसपौंडर के रूप में कार्य करने के लिए पुलिस का आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । आतंकवादी मामलों से निपटने के लिए ए0टी0एस0 की स्थापना हुई है। सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के सभी वर्गों को सम्मान और न्याय मिल सके। तथा सरकार सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्प और सक्षम है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम (BPGRS) 1 मई से लागू करने की योजना है ताकि जन शिकायतों का तय अवधि में निपटारा हो सके ।

साथ ही अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था को और सक्षम एवं कार्यशील बनाने के लिए राज्य के अन्य जिलों में पृथक ईकाइयों का गठन किया जा रहा है (पूर्व से (178) थानों में लागू है)। इसे अब पूरे राज्य के सभी थानों में लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गंभीर एवं संवेदनशील अपराध, महिलाओं से छेड़खानी एवं लैंगिक अपराध को रोकने के लिए पूरे राज्य में CCTV लगाने हेतु परियोजना पर कार्य चल रहा है। पटना में 100 डायल एवं CCTV से अपराध पर निगरानी एवं यातायात नियंत्रण का कार्य लिया जा रहा है। पूरे राज्य के लिए एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष जो 24X7 कार्यरत रहेगा कि स्थापना शीघ्र ही की जा रही है।

- 1 अप्रैल 2016 से शराब बंदी के कार्यक्रम की योजना पर राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

- राज्य सरकार द्वारा आमजनों की पुलिस मामलों से संबंधित किसी भी तरह से शिकायत/परिवाद पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जो 24 7 घंटा कार्यरत रहेगा। इस कार्ययोजना को मई–2016 तक कार्यरत कर दिया जायेगा।
- राज्य के सभी जिला पुलिस मुख्यालयों में अपराध एवं अपराधियों पर निगरानी हेतु Eveteasing (महिलाओं से छेड़खानी पर) अंकुश रखने हेतु सी.सी.टी.वी. की स्थापना की कार्रवाई चल रही है।
- पुलिस विभाग में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–4111, दिनांक–28.05.2013 एवं ज्ञापांक–2748, दिनांक–20.04.2015 द्वारा आरक्षित एवं गैर आरक्षित श्रेणियों में सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के पदों पर 97: पदो के अन्तर्गत 35: पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
- राज्य सरकार पुलिस को सक्षम बनाने के लिए वर्ष–2012–13 से वर्ष–2016–17 तक पाँच चरणों में कुल 43,761 पदों का सृजन किया गया है।
- वर्त्तमान में पुलिस विभाग के लिए 1,06,696 पद सृजित है। वर्ष 2017 तक यह संख्या 1,24,193 पद हो जायेगें।
- नियुक्ति :– वर्ष–2006 से 2013 तक सिपाही के कुल 22813 675 त 23488 पदों पर नियुक्ति की गई है। 2015 में सिपाही के कुल 11464 पदों पर नियुक्ति कार्रवाई की गई है, जिसमें महिलाओं की संख्या 4179 है।

• विज्ञापन सं0–01/04, 02/04, 03/04	• 9591(नियुक्ति वर्ष 2006 से 08 के बीच में सम्पन्न हुई है।)
• विज्ञापन सं0–01/09, 02/09	• 5616
• विज्ञापन सं0–01/12	• 7606
• महिला सशस्त्र बटालियन(सासाराम)	• 675
• विज्ञापन सं0–01/14	• 11464
• **कुल :–**	• **34952**

- सिपाहियों के शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से पुलिस मैनुअल में सिपाही भर्त्ती के नियमों में बदलाव किया जा रहा है।
- बिहार राज्य पुलिस बल के अधीन चालक संवर्ग में कुल 1602 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सक्षम प्राधिकार को भेजी गयी है।
- बिहार राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्य कुशलता, परिश्रम, समाजिक उत्थान, एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति महिला सशस्त्र बटालियन, बाल्मिकीनगर, जिला–बगहा का सृजन "बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन" के नाम से गठन किया है। नवसृजित 675 सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार को अधियाचना भेजी गई है।
- पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 2005 से अबतक 2152 नियुक्तियाँ की गई है तथा 1140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इनमें 35 से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- इसके अतिरिक्त परिचारी (सार्जेन्ट) के 214 पद, स्टेनो ए0एस0आई0 के 87 तथा टाईपिस्ट ए0एस0आई0 के 78 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है।

- अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के भर्ती के लिए एक अलग पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अवर निरीक्षक एवं वन एवं पर्यावरण विभाग/उत्पाद एवं मद्य निशेध विभाग परिवहन विभाग/गृह रक्षा वाहिनी के वर्दीधारी कर्मियों के लिए (ग्रेड वेतन 1900 रू0 से 4200 रू0 तक) पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
- कांडों के त्वरित अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था से जुड़े कार्य हेतु पृथक ईकाई का गठन वर्तमान में 178 थानों में किया गया है। राज्य के शेष बचे थानों में लागू करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। जिसे जून–2016 तक पूरा कर लिया जायेगा।
- राज्य के उग्रवाद प्रभावित/सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में अपराध से निपटने हेतु एक हेलीकॉप्टर क्रय (वेट लीज ऑप्शन) पर प्राप्त/क्रय की योजना है।
- राज्य के सभी थानों को सी.सी.टी.एन.एस.(crime & criminal tracking networking system) परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य के सभी जिलों के थानों में पानी/शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। इसमें निर्माण हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को ही नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर का निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने के लिए प्रधान सचिव, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी, मनोनीत किया गया है।
- असूचना तंत्र को और सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए विशेश भाखा का पुनर्गठन प्रस्तावित है।
- पुलिस के लिए मीडिया पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें जिला में पुलिस अधीक्षक/पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के पदाधिकारी प्रेस को ब्रीफ करेगें तथा सोशल मीडिया को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- साईबर क्राइम का नियंत्रण वर्तमान में आर्थिक अपराध ईकाई के द्वारा की जाती है। साईबर सेल का गठन राज्य के सभी पुलिस जिलों में करने का प्रस्ताव है, इस पर कार्य चल रहा है।
- लापता बच्चों की खोजबीन के लिए विशेश रूप से नेशनल ट्रेकिंग सिस्टम फार मिसिंग चिल्ड्रेन trackthemissingchild. gov. पद पर डाटा अपलोड किया जा है।
- लापता बच्चों की बरामदगी हेतु अभियान राज्य के 40 पुलिस जिलों में चलाये जा रहे हैं।
- शराब बंदी को पूर्णतः लागू कराने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों से प्रमाण पत्र लिया गया है कि इनके क्षेत्र में कोई भी अवैध शराब की भट्टी का संचालन अथवा शराब का व्यापार का परिचालन नहीं हो रहा है।
- भूमिहीन थानों/पुलिस लाईन के लिए भूमि की व्यवस्था शीघ्र कर ली जायेगी।
- बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस विभाग की सेवाओं को लाया जा रहा है। इसमें नियत अवधि के अन्तर्गत अनुपालन आवश्यक होगा।
- DNA Profiling, GCMS, video spectral compartor, comparasion microscope तथा voice matching के यंत्र स्थापित किय गये है। प्रदर्शो की आधुनिक पद्धति से जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर स्थित Regional FSL को भी सुसज्जित किया जा रहा है।
- अनुसंधान एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेना द्वारा प्रशिक्षित 60 श्वान (डॉग) का क्रय किया गया है। सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के जिलो में कैनल निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है।

बिहार में गंभीर अपराधों की स्थिति

बिहार में गंभीर अपराधों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

- **हत्या :–** वर्ष 2012, 2013, 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 के दौरान काफी कमी आयी है। वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में हत्या कांडों में 225 कांडों की कमी यानि 6.6 प्रतिशत की कमी आयी है।
- **डकैती :–** वर्ष 2012, 2013, 2014 की अपेक्षा 2015 में डकैती कांडों में काफी कमी आयी है। वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में 112 कांडों की कमी यानि 21 प्रतिशत की कमी आयी है।
- **लूट :–** वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में 2.5 प्रतिशित की आंशिक वृद्धि हुयी है। लूट कांडों का थानावार गहन विश्लेषण कर कार्य योजना के तहत कालबद्ध तरीके से कमी लाने की कार्रवाई की जा रही है।
- **सामान्य अपहरण :–** वर्ष 2011 के पश्चात उत्तोत्तर वृद्धि हुयी है क्योंकि माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार खोयें हुये बच्चों/व्यस्कों के संबंध में 24 घंटे के अन्दर घर वापस नहीं होने पर विधिवत भा0द0वि0 की धारा 363 के तहत अपहरण का कांड दर्ज करने का निदेश दिया गया। वर्ष 2015 के दौरान इस प्रकार के कुल 1655 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2015 के दौरान अपहरण शीर्ष में दर्ज 7127 कांडों में से 4484 वयस्क महिलाओं एवं अवयस्क लड़कियों का शादी के लिए या प्रेम प्रसंग के क्रम में पलायन के कारण अपहरण का कांड दर्ज किया गया। कुल 6202 कांड यानि 87 प्रतिशत अपहरण के कांड प्रेम प्रसंग, शादी एवं खोये हुये बच्चों एवं व्यस्कों के संबंध में प्रतिवेदित हुए है।
- **फिरौती हेतु अपहरण :–** वर्ष 2013 एवं 2014 की अपेक्षा 2015 में कमी आयी है। वर्ष 2014 की अपेक्षा 2015 में 6.4 प्रतिशत की कमी आयी है। वर्ष 2015 में प्रतिवेदित 58 कांडों में 53 कांडों का उद्भेदन किया गया, 57 अपहृतों की बरामदगी की गयी तथा 148 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। फिरौती हेतु अपहरण के कांडों को राज्य सरकार के द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है जिसके फलस्वरूप अधिकांश अपहृतों की सकुशल बरामदगी हुयी है।
- **बलात्कार:–** वर्ष 2014 की अपेक्षा 2015 में 7.6 प्रतिशत की कमी आयी है।
- **बैंक डकैती/बैंक लूट:–** वर्ष 2013, 2014 तथा 2015 में प्रत्येक वर्ष 09 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। कोई वृद्धि नहीं हुयी है। बैंक लूट के कांडों मे भी वर्ष 2014 की अपेक्षा 2015 में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। वर्ष 2015 में प्रतिवेदित कुल 14 बैंक डकैती एवं लूट कांडों में से 13 कांडों का उद्भेदन किया जा चुका है जिसमें कुल 56 बैंक डकैतों/लुटेरों की गिरफ्तारी की गयी है तथा 26,25,500/–रूपये (छब्बीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ)रूपये लूट/डकैती की राशि सहित आग्नेयास्त्र एवं वाहन बरामद किये गये हैं।
- विगत तीन वर्षों के जनवरी माह के अपराध आँकड़ों के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि सामान्य अपहरण को छोड़कर हत्या, डकैती, बलात्कार की घटनाओं में उत्तोत्तर कमी आयी है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार खोयें हुये बच्चों/व्यस्कों के संबंध में 24 घंटे के अन्दर घर वापस नहीं होने पर विधिवत भा0द0वि0 की धारा 363 के तहत अपहरण का कांड दर्ज करने का निदेश दिया गया। इसके कारण सामान्य अपहरण के कांडो में लगातार वृद्धि देखी गयी है।

लूट शीर्ष में आंशिक वृद्धि हुई है। हाल में प्रतिवेदित अधिकांश लूट कांडों का उद्भेदन हुआ है। इससे इस शीर्ष में भी अपराधों में कमी के संकेत हैं।

<u>राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ष 2014 के अपराध ऑकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की अवस्थिति</u>

- **<u>कुल संज्ञेय अपराध (भा0द0वि0)</u>**

  राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ष 2014 के अपराध ऑकड़ों के अनुसार भा0द0वि0 के तहत दर्ज संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर ।अमतंहम छ्जपवदस त्जम व्रि ज्वजस ब्वहदप्रंइसम ब्तपउमद्ध 229.2 है जबकि बिहार राज्य का अपराध दर मात्र 174.2 है। अपराध दर के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 22 वाँ है। अपराध दर यानि कि संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर दिल्ली (767.4) 1 ला, मध्य प्रदेश (358.5) 3 रा, हरियाणा (298.2) 4 था, छत्तीसगढ़ (229.7) 10 वाँ, गुजरात (213.3) 15 वाँ, महाराष्ट्र (212.3) 16 वाँ, स्थान पर बिहार से काफी आगे है।

- **<u>हत्या :–</u>**

  हत्या के मामले में अपराध दर के आधार पर बिहार (3.3) कांड प्रतिलाख जनसंख्या की अपेक्षा छत्तीसगढ़ (3.9), हरियाणा (4.1) एवं झारखण्ड (5.0) बिहार काफी पीछे है। अपराध दर के आधार पर हत्या में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का 12 वाँ स्थान है।

- **<u>डकैती :–</u>**

  डकैती के शीर्ष में बिहार में अपराध दर 0.5 प्रतिलाख जनसंख्या है जबकि गुजरात (0.5), हरियाणा (0.6), झारखण्ड (0.7) एवं महाराष्ट्र (0.8) बिहार के आगे है। अपराध दर के अनुसार डकैती शीर्ष में बिहार का 10 वाँ स्थान है।

- **<u>लूट :–</u>**

  राष्ट्रीय स्तर पर अपराध दर 3.1 प्रतिलाख जनसंख्या है जबकि बिहार का अपराध दर 1.6 प्रतिलाख जनसंख्या है। बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर 19 वाँ स्थान है। महाराष्ट्र (8.0), हरियाणा (3.3), मध्यप्रदेश (2.6), गुजरात (2.0), राजस्थान (1.8) बिहार से काफी आगे है। छत्तीसगढ़ (1.6) एवं झारखण्ड (1.6) बिहार के बराबर है।

- **<u>सामान्य अपहरण :–</u>**

  भा0द0वि0 के तहत दर्ज अपहरण कांडों में बिहार का अपराध दर 6.4 प्रतिलाख जनसंख्या है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका 15 वाँ स्थान है। हरियाणा (11.5) 3 रा, मध्य प्रदेश (10.3) 6 वाँ, राजस्थान (8.0) 7 वाँ एवं छत्तीसगढ़ (7.9) 8 वाँ स्थान पर अपराध दर के अनुसार बिहार से काफी आगे है।

- **<u>महिला अपराध :–</u>**

  महिला अपराध में दर्ज कांडों में बिहार का अपराध दर 31.3 प्रति लाख जनसंख्या है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 वाँ स्थान है। मध्य प्रदेश (79.0) 5 वाँ, छत्तीसगढ़ (49.6) 15 वाँ, महाराष्ट्र (47.6) 16 वाँ, झारखण्ड (37.4) 21 वाँ एवं गुजरात (37.2) 22 वें स्थान पर अपराध दर के अनुसार बिहार से आगे है।

- **<u>बलात्कार :–</u>**

बलात्कार काडों में बिहार का अपराध दर 2.3 प्रति लाख जनसंख्या है जो राष्ट्रीय अपराध दर 6.1 से काफी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का 28 वाँ स्थान है। मध्य प्रदेश (14.0) 3 रा. छत्तीसगढ (11.4) 7 वाँ, राजस्थान (11.0) 8 वाँ, झारखंड (6.6) 16 वाँ, महाराष्ट्र (6.1) 17 वाँ, गुजरात (2.9) 26 वाँ स्थान पर है।

- अनु0जाति के विरूद्ध अपराधः–

  बिहार में अनु0जाति के विरूद्ध अपराध दर 47.6 प्रति लाख अनु0जाति की जनसंख्या है। राजस्थान (65.7) प्रति लाख अनु0जाति जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों में शीर्ष पर हैं।

- अनु0 जन जाति के विरूद्ध अपराध :–

  बिहार में अनु0 जन जाति के विरूद्ध अपराध दर 5.8 प्रति लाख अनु0 जन जाति की जनसंख्या है। छत्तीसगढ (9.2), मध्यप्रदेश (40.9), राजस्थान (42.8) प्रति लाख अनु0जाति जनसंख्या के आधार पर बिहार से आगे है।

- साम्प्रदायिक दंगाः–

  बिहार में साम्प्रदायिक दंगा का अपराध दर 0.1 प्रति लाख जनसंख्या है जबकि झारखण्ड (1.1), हरियाणा (0.8) एवं राजस्थान (0.2) बिहार से आगे है।

- फिरौती के लिए अपहरण :–

  इस शीर्ष में बिहार में अपराध दर 0.1 प्रति लाख जनसंख्या है जो गुजरात (0.1), हरियाणा (0.1), झारखंड (0.1) के बराबर है।

- जातीय संघर्ष :–

  इस शीर्ष में बिहार में अपराध दर 0.005 प्रति लाख जनसंख्या है जबकि छत्तीसगढ (0.6), महाराष्ट्र (0.3) गुजरात (0.2), झारखंड (0.2) बिहार से आगे है।

अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

(क) मानव संसाधन में वृद्धि

विगत 5 वर्षों के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 10 वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पुलिस प्रयोगशाला में 04 राजकीय छायाचित्र परीक्षकों, 02 राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षकों की सीधी नियुक्ति तथा 16 वरीय वैज्ञानिक सहायकों यानि कुल 32 वैज्ञानिकों की सीधी नियुक्ति की गयी है। 26 वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों एवं वरीय वैज्ञानिक सहायकों का संविदा का भी इस वर्ष नवीकरण किया गया है।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में मानव संसाधन में वृद्धि के लिए सार्थक पहल किये गये हैं। 46 वरीय वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। साथ ही 27 वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

(ख) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर का शुभारम्भ

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर का भवन निमार्ण कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण होने के पश्चात 04 वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं 07 वरीय वैज्ञानिक सहायकों को पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर दिनांक 01.01.2015 से नये भवन में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। वर्ष 2015 के दौरान प्रयोगशाला द्वारा कुल 322 प्रदर्श प्राप्त किये गये तथा 245 का निष्पादन किया गया।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर के भवन का निर्माण कार्य भी 2014 में पूर्ण हो चुका है। इसे कार्यरत कराने के लिए उपकरणों का क्रय किया जा रहा है।

(ग) उपकरण

विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने हेतु डी0एन0ए0 लैब सहित दर्जनों अत्याधुनिक उपकरणों को विगत 5 वर्षों के दौरान स्थापित किया गया जो कार्यरत है। **पूर्वी क्षेत्र में बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ डी0एन0ए0 प्रयोगशाला कार्यरत है।**

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के वैज्ञानिक दल द्वारा वर्ष 2011 से 2015 तक कुल 1179 महत्वपूर्ण कांडों के घटनास्थल का भ्रमण कर प्रदर्शों के संकलन तथा वैज्ञानिक जाँच कर जिला पुलिस को वैज्ञानिक सहायता प्रदान कर उद्भेदन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसी अवधि के दौरान कुल 14191 प्रदर्शों की जाँच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक सहायता प्रदान की गयी है।

(घ) श्वान दस्ता

श्वान दस्ता को सशक्त बनाने के लिए मुख्यालय के लिए 02 यूनिट, प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों के लिए 04 यूनिट तथा पुलिस जिलों/रेल जिलों के लिए 44 यूनिट यानि कुल 50 यूनिट श्वान दस्ता के गठन के लिए राज्य स्तर से स्वीकृति प्रदान की गयी। श्वान दस्ता के प्रत्येक यूनिट के लिए 02 स्नीफर तथा 02 ट्रैकर श्वानों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। प्रथम चरण में कुल 17 यूनिट स्थापित करने के लिए कैनल निर्माण का कार्य पूर्ण है। वर्ष 2015 में 15 तथा वर्ष 2016 में 45 कुल 60 प्रशिक्षित श्वानों का क्रय आर0भी0सी0 सेन्टर, मेरठ से किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय स्तर पर केनल सहित श्वान यूनिट इस माह से कार्यरत है।

वर्ष 2015 में प्रतिवेदित कांडों में आरोपपत्रित कांडों का प्रतिशत

राज्य में वर्ष 2015 में प्रतिवेदित फिरौती हेतु अपहरण से संबंधित 93 प्रतिशत कांडों में, बैंक डकैती/बैंक लूट के 75 प्रतिशत कांडों में, हत्या 55 प्रतिशत कांडों में तथा अन्य प्रकार के डकैती एवं लूट के लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

वर्ष 2015 के दौरान गिरफ्तारी एवं अन्य उपलब्धियाँ

वर्ष 2015 के दौरान कुल 1,96,407 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गयी तथा 3216 अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी की गयी। जनवरी 2016 के दौरान 17,115 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गयी तथा 320 अवैध आग्नेयास्त्र जप्त किये गये। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 के दौरान गिरफ्तार अपराधकर्मियों तथा जप्त अवैध आग्नेयास्त्रों की संख्या में क्रमशः 2.56 प्रतिशत तथा 35.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

नवम्बर 2015 के पश्चात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध आग्नेयास्त्रों तथा अवैध शराब की बरामदगी आदि के लिए विशेष समकालीन अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके कारण नवम्बर 2015 के बाद गिरफ्तारी एवं जप्ती में काफी वृद्धि हुयी है। गिरफ्तारी हेतु विशेष रूप से चलाये गये समकालीन अभियान के दौरान माह–नवम्बर 2015 से 20 फरवरी 2016 तक कुल–18529 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है।

नवम्बर 2015 से 20 फरवरी 2016 तक समकालीन अभियान के दौरान कुल–13593 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई है।